सर्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

एवं वार्षिक कार्ययोजना

2003-04

(2002-2007)

जनपद-एटा

अनुक्रमणिका

अध्याय सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	जनपद की पृष्ठभूमि	01 – 09
2.	शैक्षिक परिदृश्य	10 - 30
3.	नियोजन प्रक्रिया	31 - 45
4.	सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य	46 - 51
5.	समस्याएं एवं रणनिति	52 - 65
6.	शिक्षा की पहुंच का विस्तार	66 - 71
7.	शिक्षा गांरटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार	72 - 89
8.	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	90 - 124
9.	गुणवत्ता संबंद्धर्न	125 - 174
10.	परियोजना क्रियान्वयन एक अनुश्रवण	175 - 195
11.	कुल परियोजना लागत	196 - 201
12.	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट	202 - 204

अध्याय – 1

जनपद का परिदृश्य

जनपद का संक्षिप्त इतिहास –

आगरा मण्डल में एटा प्रमुख जनपद के रुप में विख्यात है। जिसके पूर्व में फर्रुखाबाद, पश्चिम में मथुरा, अलीगढ़ व हाथरस हैं। उत्तर पूर्व में बदायूँ तथा दक्षिण में फिरोजाबाद आगरा व मैनपुरी स्थित हैं। जनपद एटा का मुख्यालय प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जी0टी0 रोड पर स्थित है। विशेष जानकारी हेतु एटा के इतिहास को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है।

प्राचीन काल :–

प्राचीन काल में एटा जनपद की भूमि पर 76 ई0 से 176 ई तक कुषाण काल के शासकों कनिष्क, हुविष्क एवं बासुदेव ने शासन किया 200 ई0 से 330 ई0 तक नागवंश, 350 ई0 के बाद गुप्त शासन और हर्षवर्धन का शासन रहा। इसके पश्चात 9 वीं तथा 10 वीं शताब्दी में राजपूतों का शासन रहा।

मध्यकाल :–

12 वीं शताब्दी से लेकर 15 वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र क्रमशः मोहम्मद गोरी, सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन, मोहम्मद विन तुगलक, मुहम्मद शाह तथा इकबाल खाँ के आतंक तथा लूटपाट एवं दासता का शिकार रहा तत्पश्चात् 16 वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया। 118 वीं व 19 वीं शताब्दी में यह जनपद राजा सूरमल एवं नवाब बजीर के अधीन रहा।

ब्रिटिश काल :–

सन् 1802 से जनपद एटा अंग्रेजों की दासता के अधीन हुआ तथा स्वतन्त्रता संग्राम में योगदान दिया। भारत के स्वतन्त्रता सेनानियों में एटा जनपद के शिवदान

सिंह, रामनाथ तिवारी, चतुर्भुज वैश्य, रामचरन लाल, महावीर जी का नाम अमर शहीदों में विशेषरुप से उल्लेखनीय है।

जनपद के ऐतिहासिक स्थल :

1. सोरों :-

एटा जनपद के मुख्यालय से 45 किमी0 दूर स्थित सोरों पुरातन काल से बराह भगवान की जन्म स्थली, कपिल मुनि तथा संत शिरोमणि मानसकार गोस्वामी तुलसीदास की साधना स्थली, सूर्य कुण्ड, भागीरथी गुफा, हरि की पौड़ी, तुलसी घाट प्राचीनतम मन्दिरों के लिए प्रसिद्ध है।

2. पटियाली :-

एटा शहर से 32 कि0मी0 दूर पटियाली तहसील में महाभारत काल का राजा द्रुपद का किला आज भी अपनी भग्नावस्था में स्थित है। मध्य युग के सूफी सन्त अमीर खुसरों की जन्मस्थली भी यहीं हैं।

3. अतरंजी खेड़ा :-

अपने गर्भ में शक, कुषाण एवं गुप्त कालीन मूर्तियों, मुद्राओं एवं ठप्पों को छिपायेअतरंजी खेड़ा एटा शहर से 16 किमी0 दूर काली नदी के किनारे खण्डहर तथा टीले के रुप में स्थित है। भगवान बुध की बिहार स्थली तथा पुरोचन नगरी की यादें आज भी अतरंजी खेड़ा के दिल में विद्यमान हैं। जिसके प्रमाण अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के पुरातत्व कक्ष में सुरक्षित हैं।

4. पटना पक्षी विहार :-

एटा की जलेसर तहसील के मुख्यालय से 7 किमी0 दूर स्थित पटना पक्षी विहारमें स्थापित शिवलिंग, को जिसका एक सिरा ऊपर तथा दूसरा सिरा पाताल में है। जरासन्ध ने अपनी तपस्या से स्थापित किया था। खजूर के पेड़ों से आच्छादित वन, विशाल झील यहाँ का प्रमुख आकर्षण केन्द्र हैं। यहाँ स्थानीय पक्षियों की 175 प्रजातियां तथा 65 दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां हैं जो दिसम्बर से मार्च तक के मध्य देखी जा सकती हैं।

5. विल्सड़ :-

एटा जनपद की प्रमुख ऐतिहासिक स्थल विल्सड़ है। जहाँ ध्वासावशेषों में अशोक स्तम्भ मन्दिर, स्तम्भ तथा स्तूप पर पाली भाषा में शांति सन्देश विद्यमान है।

6. सकीट :-

एटा शहर से 22 किमी0 दूर स्थित सकीट में स्थित प्राचीन किले के खण्डहर तथा 13 वीं शताब्दी में निर्मित मस्जिद तथा उन पर अंकित शिलालेख यहाँ की प्राचीनता कोप्रदर्शित करते हैं।

7. नदरई :-

एटा मुख्यालय से 25 किमी0 दूर स्थित नदरई ग्राम में महाबली भीमसेन का चौरासी मन का घण्टा, गणेश मूर्ति तथा नदरई का पुल यहाँ के आकर्षण केन्द्र हैं।

8. सराय अगहत :-

यहाँ पर स्थित अगस्त मुनि के टीले की खुदाई में सोने-चाँदी के सिक्के तथा वुद्धकी प्रतिमायें प्राप्त हुई हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त मेरिया का प्राचीन विष्णु मन्दिर भरगैन की कब्रें तथा मकबरे, रुकमणि की कुटिया व एटा शहर का कैलाश मन्दिर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।

एटा जनपद की वर्तमान स्थिति

प्रशासनिक दृष्टिकोण से एटा जनपद को 5 तहसील खण्डों में विभाजित किया गया है।

1. एटा सदर
2. कासगंज
3. पटियाली
4. अलीगंज
5. जलेसर

सामुदायिक विकास खण्ड –

एटा जनपद की उपरोक्त 5 तहसीलों के अन्तर्गत 15 विकास खण्ड हैं जिनके नाम निम्न प्रकार से हैं।

1. सोरों	2. कासगंज	3. अमांपुर
4. सहावर	5. गंजडुण्डवारा	6. पटियाली
7. सिढ़पुरा	8. जलेसर	9. अवागढ़
10. मारहरा	11. नि0 कलां	12. शीतलपुर
13. सकीट	14. अलीगंज	15. जैथरा

सारणी – 1.1

जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था

क्र0सं0	नाम	संख्या
1.	तहसील	5
2.	विकास खण्ड	15
3.	न्यायपंचायत	149
4.	ग्राम पंचायत	905
5.	राजस्व ग्राम/बस्तियाँ	1610
6.	मजरे/बस्तियां (आबाद)	1507
7.	नगर निगम	–
8.	महा पालिका	–
9.	नगर पालिका	06
10.	नगर पंचायत	13
11.	वार्ड	303

जनपद की समग्र स्थिति

भौगोलिक स्थिति –

जनपद एटा 17.18 व 28.23 उत्तरी अक्षांशों पर तथा 78.11 व 79.18 पूर्वी देशान्तरों के समान्तर रेखाओं के मध्य स्थित है।

सीमायें –

जिले के पूर्व में फर्रुखाबाद, पश्चिम में बदायूँ तथा दक्षिण में फिरोजाबाद, आगरा एवं मैनपुरी जनपद हैं।

क्षेत्रफल –

गंगा यमुना पवित्र नदियों के मध्य स्थित एटा जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 4446 वर्ग किमी है।

तहसील व नदियां –

इस जनपद में 5 तहसीलें हैं। जिनके अन्तर्गत कुल 15 सामुदायिक विकास खण्डहैं। गंगा व काली नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ईसन सेंगर, बूढ़ी गंगा आदि यहाँ कीमौसमी नदियाँ हैं। उपरोक्त नदियों के अलावा यहाँ की झीलों में प्रमुख रुस्तम गढ़झील थाना दरियागंज झील, सिकन्दरपुर वैश्य झील है।

जनसंख्या –

वर्ष 2002 की जनगणना के अनुसार जनपद एटा की कुल जनसंख्या 2851696 है। जिसमें से पुरुष 1545189 तथा महिलायें 1306507 हैं। वर्ष 2002 की उपलब्ध जनगणना के आधार पर जनसंख्या की स्थिति निम्नवत है।

सारणी – 1.2

क्र0सं0	स्तर	संख्या	जनसंख्या		
			पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6
1.	ग्रामीण क्षेत्र	05	1293547	1081194	2374741
2.	नगर क्षेत्र	19	251642	225313	476955
		योग	1545189	1306507	2851696

श्रोत 2001 की जनगणना

वर्ष 2002 की जनसंख्या से यह स्पष्ट है कि महिलायें कुल जनसंख्या का 45.82 प्रतिशत ही हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट किया जा सकता है कि जनपद में वर्ष 2002 की जनसंख्या 1000 पुरुषों पर 845 महिलायें हैं। अतः यह स्पष्ट है कि जनपद एटा में पुरुषों की अपेक्षाकृत महिलाओं की भागीदारी काफी कम है।

वर्ष 1991 की अपेक्षा वर्ष 2002 की जनसंख्या में कुल 27.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसमें पुरुषों की वृद्धि 14.74 प्रतिशत तथा महिलाओं की बृद्धि 12.46 प्रतिशत हुई है। जनसंख्या में हुई वृद्धि से यह प्रदर्शित होता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या में आशातीत बृद्धि हुई है इसी कारण से पुरुष महिला अनुपात वर्ष 1991 में 1000 : 824 से बढ़ कर 1000 : 845 पहुँच गया है। विकास खण्डवार जनसंख्या का विवरणनिम्नवत है –

सारणी – 1.3

विकास खण्डवार जनसंख्या का विवरण

क्र0सं0	विकास खण्ड	वर्ष 2002 की जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग
1.	शीतलपुर	110554	93449	204003
2.	सकीट	94804	79394	174198
3.	नि0 कलाँ	91588	78759	170347
4.	अमांपुर	72462	60747	133209
5.	सहावर	65652	57109	122761
6.	अलीगंज	111460	94594	206054
7.	पटियाली	71425	57226	128651
8.	जैथरा	93455	76246	169701
9.	सिढ़पुरा	67301	55476	122777
10.	गंजडुण्डवारा	82287	65341	147628
11.	अवागढ़	74009	61982	135991
12.	जलेसर	89648	74033	163681
13.	कासगंज	92677	79767	172444
14.	सोरों	102220	83452	185672
15.	मारहरा	74005	63619	137624
	योग	**1293547**	**1081194**	**2374741**
16.	नगर क्षेत्र	251642	225313	476955
	कुल योग	1545189	1306507	2851696

सारणी 1.4

विकास खण्ड वार (अनुसूचित जाति की जनसंख्या

वर्ष 2001 की जनसंख्या

क्र0सं0	विकास खण्ड	वर्ष 2001 की जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग
1.	शीतलपुर	17590	12073	29663
2.	सकीट	15019	10236	25255
3.	नि0 कलाँ	14059	9551	23610
4.	अमांपुर	14019	9548	23567
5.	सहावर	13434	8978	22412
6.	अलीगंज	16913	11411	28324
7.	पटियाली	14972	9908	24880
8.	जैथरा	13570	9092	22662
9.	सिढ़पुरा	13962	9379	23341
10.	गंजडुण्डवारा	13455	8884	22339
11.	अवागढ़	14880	12150	27030
12.	जलेसर	16261	13277	29538
13.	कासगंज	13641	11140	24781
14.	सोरों	17024	13902	30926
15.	मारहरा	11005	9069	20074
	योग	219804	158598	378402
16.	नगर क्षेत्र	29559	24464	54023
	कुल योग	249343	183062	432405

शैक्षिक परिदृश्य :-

जनपद की विषय भौगोलिक स्थिति के कारण यहां का शैक्षिक स्तर पूर्व से हीकाफी गिरा हुआ है जिसमें सुधार लाने के लिये माह अप्रेल 2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) प्राथमिक स्तर पर संचालित है। शिक्षा की पहुंच का विस्तार, ठहराव, गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्रबन्ध क्षमता में विकास इसके मुख्य उद्देश्य रखे गये थे। शैक्षिक प्रगति लाने में भी इसका काफी लाभ मिल रहा है। शत–प्रतिशत नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता में समुचित वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इस कार्य में तीव्रतर प्रगति लाने तथा प्राथमिक स्तर से ऊपर उच्च प्राथमिक स्तर तक शैक्षिक व्यवस्था दुरुस्त करने एवंगुणवत्ता विकास करने हेतु जिले में "सर्व शिक्षा अभियान" वर्ष 2002–03 से प्रारम्भ किया गया है।

साक्षरता :-

वर्ष 1991 की जनसंख्या गणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 40.15 प्रतिशत है जिसमें 54.1 प्रतिशत पुरुष साक्षरता तथा 22.91 प्रतिशत दर महिला साक्षरता की हे। जबकि 2001 की जनसंख्या गणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 56.15 प्रतिशत है जिसमें से 69.12 प्रतिशत पुरुष साक्षरता तथा 40.65 प्रतिशत प्रतिशत महिला साक्षरता है। इस प्रकार वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 2001 में साक्षरता दर 39.85 प्रतिशत बढ़ी है। जिसमें से 27.80 प्रतिशत पुरुष साक्षरता तथा 77.43 प्रतिशत महिला साक्षरता बढ़ी है इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि वर्ष 2001 में पुरुष की अपेक्षा महिला साक्षरता दर बढ़ी है। अतः जनपद की साक्षरता की सम्पूर्ण स्थिति इस प्रकार दर्शायी जा रही है –

अध्याय–2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

जनपद की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण यहां का शैक्षिक स्तर पूर्व ही ही काफी गिरा हुआ है जिसमें सुधार लाने के लिये माह अप्रैल, 2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम(डी0पी0ई0पी0) प्राथमिक स्तर पर संचालित है। शिक्षा की पहुंच का विस्तार, ठहराव, गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्रबंध क्षमता में विकास इसके मुख्य कारण काफी लाभ मिल रहा है। शत-प्रतिशत नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता में समुचित वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इस कार्य में तीव्रतर प्रगति लाने तथा प्राथमिक स्तर से ऊपर उच्च प्राथमिक स्तर तक शैक्षिक व्यवस्था दुरूस्त करने एवं गुणवत्ता विकास करने हेतु इस जिले में जिस अभियान का शुभारम्भ किया जा रहा है उसे ''सर्व शिक्षा अभियान'' नाम दिया गया है।

साक्षरता :

वर्ष 1991 की जनसंख्या गणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 40.15 प्रतिशत है जिसमें 54.1 प्रतिशत पुरुष साक्षरता तथा 22.91 प्रतिशत दर महिला साक्षरता की है। जबकि 2001 की जनसंख्या गणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 56.15 प्रतिशत है। जिसमें से 69.12 प्रतिशत पुरुष साक्षरता तथा 40.65 प्रतिशत महिला साक्षरता है। इस प्रकार वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 2001 में साक्षरता दर 39.85 प्रतिशत बढ़ी है जिसमें से 27.80 प्रतिशत पुरुष साक्षरता तथा 77.43 प्रतिशत महिला साक्षरता बढ़ी है इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि वर्ष 2001 में पुरुष की अपेक्षा महिला साक्षरता दर बढ़ी है। अत: जनपद की साक्षरता की सम्पूर्ण स्थिति इस प्रकार दर्शायी जा रही है:-

सारणी-2.1

1991 की साक्षरता की स्थिति

क्र0सं0	जनपद की साक्षरता दर	प्रतिशत		प्रतिशत वृद्धि
		1991	2001	
1.	कुल साक्षरता	40.15	56.15	39.85
2.	कुल पुरुष साक्षरता	54.1	69.13	27.8
3.	कुल महिला साक्षरता	22.91.	40.65	77.43
4.	कुल ग्रामीण साक्षरता	37.1	50.8	37.8
5.	कुल ग्रामीण पुरुष साक्षरता	52.1	66.58	27.8
6.	कुल ग्रामीण महिला साक्षरता	18.11	.29.08	61
7.	कुल नगरीय साक्षरता	55.3	76.5	38
8.	कुल नगरीय पुरुष साक्षरता	64.4	81	26
9.	कुल नगरीय महिला साक्षरता	44.7	79.3	77

स्रोत : 1991 तथा 2001 की जनगणना।

जनपद की कुल साक्षरता की स्थित का अवलोकन करने के उपरान्त विकास खण्ड बार साक्षरता की स्थित निम्न सारिणी द्वारा अवलोकित की जा सकती है।

सारणी-2.2

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर		
		पुरुष	महिला	योग
1.	सोरो	47.49	16.91	35.97
2.	कासगंज	65.53	24.96	47.95
3.	अमांपुर	64.38	24.31	46.71
4.	सहावर	46.63	15.62	33.89
5.	गंडुण्डवारा	44.20	13.20	28.94
6.	पटियाली	69.03	35.10	54.43
7.	सिढपुरा	70.66	31.40	53.19
8.	जलेसर	72.45	34.62	57.32
9.	अवागढ़	75.92	33.81	57.68
10.	मारहरा	75.39	31.88	56.64
11.	नि0कला	75.40	30.59	54.81
12.	शीतलपुर	81.71	38.80	62.86
13.	सकीट	72.83	34.29	56.50
14.	जैथरा	71.63	34.94	55.62
15.	अलीगंज	70.62	34.45	54.02
	कुल ग्रामीण साक्षरता	66.58	29.08	50.80
	नगर क्षेत्र	81.00	79.30	76.50
	महायोग	69.13	40.65	56.15

स्रोत 2001 की साक्षरता दर के अनुसार

जनपद-एटा प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता
सारिणी-2.3

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	शीतलपुर	128	-	128
2.	सिढपुरा	136	-	136
3.	सकीट	125	-	125
4.	सोरो	107	-	107
5.	आवागढ	101	-	101
6.	आमापुर	120	-	120
7.	अलीगंज	164	-	164
8.	जलेसर	106	-	106
9.	जैयरा	140	-	140
10.	निकलाँ	137	-	137
11.	मारहारा	97	-	97
12.	कासगंज	113	-	113
13.	पटियाली	110	-	110
14.	गंज डुडवारा	89	-	89
15.	सहावर	79	-	79
16.	नगर क्षेत्र एटा	-	18	18
	नगर क्षेत्र कासगंज	-	17	17
	नगर क्षेत्र जलेसर	-	10	10
	नगर क्षेत्र गंज डुडवारा	-	8	8
	नगर क्षेत्र सोरो	-	12	12
	नगर क्षेत्र मारहारा	-	5	5
	योग	1752	70	1822
	स्वीकृत वर्ष 2003-04	40	-	
		1792	70	1862

जनपद-एटा प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

सारिणी-2.4

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	शीतलपुर	46	-	46
2.	सिढपुरा	32	-	32
3.	सकीट	25	-	25
4.	सोरो	33	-	33
5.	आवागढ	28	-	28
6.	आमापुर	26	-	26
7.	अलीगंज	60	-	60
8.	जलेसर	18	-	18
9.	जैयरा	39	-	39
10.	निकलाँ	40	-	40
11.	मारहारा	24	-	24
12.	कासगंज	20	-	20
13.	पटियाली	48	-	48
14.	गंज डुडवारा	22	-	22
15.	सहावर	20	-	20
16.	नगर क्षेत्र एटा	-	02	02
	नगर क्षेत्र कासगंज	-	02	02
	नगर क्षेत्र जलेसर	-	-	-
	नगर क्षेत्र गंज डुडवारा	-	-	-
	नगर क्षेत्र सोरो	0	01	01
	नगर क्षेत्र मारहारा	0	01	01
	योग	481	06	487
	स्वीकृत वर्ष 2003-04	32	-	-
		513	06	519

जनपद-एटा प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

सारिणी-2.5

क्र0 सं0	स्तर	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त विद्यालय			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	प्राथमिक विद्यालय	1792	70	1862	217	105	322	2009	175	2184	15	8	23
2.	मा0वि. से संबद्ध प्रा0वि0	-	1	1	-	-	-	-	1	1	17	-	-
3.	उच्च प्रा0वि0	513	06	519	237	112	349	750	118	868	-	6	23
4.	मा0वि0 से संबद्ध उ0प्रा0वि0	2	6	8	71	132	203	73	138	211	-	-	-
5.	केन्द्रीय विद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	नवोदय विद्यालय	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
7.	हाईस्कूल	1	2	3	39	88	127	40	90	130	-	-	-
8.	इण्टरमीडिएट	1	4	5	42	44	86	43	48	91	-	-	-
9.	डिग्री कालेज	-	1	1	05	04	9	5	5	10	-	-	-
10.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	-	-	-	-	3	3	-	3	3	-	-	-
11.	विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	तकनीकी संस्थान	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-
13.	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थायें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	आंगनवाड़ी केन्द्रों की सं0	295	-	295	-	-	-	295	-	295	-	-	-
15.	मकतब/मदरसे	-	-	-	12	5	17	12	5	17	05	-	05
16.	संस्कृमत पाठशालायें	-	-	-	01	03	4	-	3	4	-	-	-
17.	मूक वधिर/विकलांग विद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	वालश्रमिक विद्यालय	-	67	67	-	-	-	-	67	67	-	-	-

छात्र नामांकन

प्राथमिक स्तर:-

जनपद एटा में 6 से 11 आयु वर्ग के कुल 5,60,638 बच्चे चिन्हित किये गये है जिनमें 255,574 बालिकाएं है जिनमें से 309812 बच्चों का प्रवेश परिषदीय विद्यालयों में 1,13,541 बच्चों का प्रवेश मान्यता प्राप्त विद्यालयों में तथा लगभग 5000 बच्चों का प्रवेश अमान्य विद्यालयों में हुआ है। अभी तक कुल 32285 बच्चे (18051 बालक एवं 14234 बालिकाएं) विद्यालय से बाहर हैं जिनके शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य सर्वशिक्षा अभियान में रखा गया है। जनपद का एन0ईआर0 प्रतिशत तथा जी0ई0आर0 प्रतिशत है।

उच्च प्राथमिक स्तर :-

जनपद में 11 से 14 आयु वर्ग के कुल 170492 बच्चे चिन्हित किये गये है जिनमें 97178 बालक एवं 75314 वालिकाएं है। इनमें से 26116 बच्चों का परिषदीय विद्यालयों में 61814 बच्चों का प्रवेश मान्यता प्राप्त विद्यालयों में तथा लगभग 3000 बच्चों का प्रवेश अमान्य विद्यालयों में है एवं 79562 वच्चे जिनमें से 33417 बालिकाएं एवं 46145 बालक हैं वह स्कूकल के बाहर है। जिनका शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान में रखा गया है। जनपद का एन0ई0आर0 प्रतिशत तथा जी0ई0आर0 प्रतिशत है।

छात्र नामांकन (प्राथमिक विद्यालय)
जनपद-एटा सारिणी-2.6

क्र0 सं0	विकासखण्ड	6 से 11 वय वर्ग की कुल सं0			परिषदीय विद्यालयों में नामांकन			मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन			अमान्य विद्यालयों में नामांकन		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	शीतलपुर	20110	15970	36080	10675	10779	21454	9124	5240	14364	415	266	681
2.	सिढपुरा	12066	9982	22048	10012	8560	18572	1327	838	2165	503	302	805
3.	सकीट	18668	13593	32261	10712	10089	20801	7458	3067	10525	591	595	1186
4.	सोरो	19835	15465	35300	12104	9478	21582	7487	6892	14379	111	142	253
5.	सहावर	13704	8969	22673	8755	6867	15622	3418	1983	5401	1905	1175	3080
6.	अवागढ	12990	10458	23448	9555	8496	18051	2986	1567	4553	1073	650	1723
7.	आयापुर	12003	10145	22148	8903	7805	16708	2110	1964	4074	590	781	1371
8.	अलीगंज	21125	18592	39717	14141	13495	27636	5115	4549	9664	1949	554	2503
9	जलेसर	15213	12756	27969	9574	9264	18838	2389	1467	3856	312	259	571
10.	जैंथरा	17520	14739	32259	11972	11276	23248	2793	1461	4254	1612	759	2371
11.	नि0कला	12612	11701	24313	10283	10190	20473	2276	1469	3745	871	775	1646
12.	पटियाली	11673	11099	22772	8555	8610	17165	2573	1555	4128	539	361	900
13.	गंजडुडवारा	15590	12680	28270	10040	9318	19358	4815	2722	7537	563	254	817
14.	नगर क्षेत्र एटा	13406	9824	23230	10410	7550	17960	2500	2020	4520	931	265	1196
15.	नगर क्षेत्र कासगंज	17060	12301	29361	12379	8701	21080	613	410	1023	337	276	613
16.	नगर क्षेत्र जलेसर	5196	4882	10078	1376	1483	2859	566	323	889	825	287	1112
17.	कासगुंज	6860	5972	12832	1328	1299	2627	5155	3708	8863	770	438	1208
1.8	जलोसर	3359	2259	5618	811	755	1566	1530	999	2529	1069	955	2024
19.	गंज डुडवारा	2976	1514	4490	361	488	849	1710	1166	2876	14966	9064	24060
20	सोरो	1453	1171	2624	874	950	1824	2044	1234	3278			
21.	मारहारा	1645	1502	3147	814	725	1539	1187	620	1807			
	योग	255064	205574	460638	163634	146178	309812	68610	44931	113541			

छात्र नामांकन उच्च प्राथमिक विद्यालय

जनपद-एटा

सारिणी 2.7

क्र0 सं0	विकासखण्ड	6 से 11 वय वर्ग की कुल सं0			परिषदीय विद्यालयों में नामांकन			मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	शीतलपुर	7413	6980	14393	1299	1212	2511	3085	2721	5806
2.	सिढपुरा	4457	4188	8645	1963	2104	4067	1542	1653	3195
3.	सकीट	6027	4425	10452	817	618	1435	4997	3625	8622
4.	सोरों	5299	4494	9793	408	220	628	1103	954	2057
5.	सहावर	2428	1103	3531	580	295	875	1401	620	2021
6.	अवागढ	4492	3686	8178	1164	773	1937	1306	717	2023
7.	आयापुर	4754	3232	7986	780	613	1393	600	621	1221
8.	अलीगंज	6087	5592	11679	1356	1186	2542	1540	1328	2868
9.	जलेसर	5923	4268	10191	804	669	1473	1431	963	2394
10.	जैथरा	10204	7229	17433	771	554	1325	2271	1461	3732
11.	नि0कला	6837	6576	13413	661	613	1274	1842	1441	3283
12.	पटियाली	1887	1341	3228	831	690	1524	1013	575	1588
13.	गंजडुडवारा	5860	4480	10340	708	601	1309	5145	3883	9028
14.	नगर क्षेत्र एटा	5650	4006	9656	934	854	1788	3510	3224	6734
15.	नगर क्षेत्र कासगंज	7168	5463	12631	1048	515	1563	1036	276	1312
16.	नगर क्षेत्र जलेसर	2610	2204	4814	64	112	176	2448	2427	4875
17.	कासगुंज	3380	3043	6423	-	95	95	1112	786	1898
18.	जलेसर	716	351	1067	-	-	-	288	170	458
19.	गंज डुडवारा	2514	1269	3783	16	02	18	1041	850	1891
20	सोरो	721	660	1381		82	82	572	209	781
21.	मारहारा	751	724	1475	-	101	101	664	238	902
	योग	95178	75314	170492	14204	11912	26116	35499	26315	61814

सारिणी 2.8

स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति (2003 की स्थिति)

क्र0 सं0	विकासखण्ड	6 से 11 वय वर्ग			11-14 वय वर्ग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	शीतलपुर	1246	1173	2419	2021	1169	1390
2.	सिढपुरा	727	584	1311	952	431	1383
3.	सकींट	1105	780	1885	389	351	740
4.	सोरो	6999	5537	12536	2477	2223	4700
5.	सहावर	1212	827	2039	717	79	250
6.	अवागढ	1671	1245	2916	335	414	749
7.	आयापुर	934	960	1894	670	522	1192
8.	अलीगंज	3202	3353	9555	342	685	1027
9.	जलेसर	1736	1531	3276	362	469	831
10.	जैथरा	176	151	327	171	36	207
11.	नि0कला	1758	1579	3337	1295	1236	2531
12.	पटियाली	1118	1502	2620	465	347	812
13.	गंजडुडवारा	1179	1068	2247	102	110	212
14.	नगर क्षेत्र एटा	2012	1961	3973	505	447	952
15.	नगर क्षेत्र कासगंज	5129	3196	8325	1981	1916	3897
16.	नगर क्षेत्र जलेसर	201	144	345	145	107	252
17.	कासगुंज	51	55	106	84	43	127
18.	जलोसर	575	512	1087	264	233	497
19.	गंज डुडवारा	225	152	377	181	128	309
20	सोरो	41	45	86	51	28	79
21.	मारहरा	545	406	920	153	198	351
	योग	31751	26821	58572	13116	11172	24288

स्रोत: हाउस होल्ड सर्वे

सारणी 2.11

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत			गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशतवृद्धि		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2000-01	13519	10069	23588	57.32	42.68	100	--	--	--
2001-02	13637	11062	24699	45.22	44.78	100	.87	9.86	10.73
2002-03	13801	11662	25463	54.21	45.79	100	1.20	5.42	6.62
2003-04	14204	11912	26116	54.38	45.62	100	2.92	2.14	5.06

जनपद एटा 2002-01 से डी0पी0ई0पी0 तृतीय से आच्छादित रहा है। तथा 2002-03 से सर्व शिक्षा अभियान भी लागू हो गया है। उपरोक्त कार्यक्रमों के कारण जनपद में शिक्षा के स्तर में पर्याप्त सुधार आया है तथा नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई है। वर्ष 2003-04 में गत वर्ष की तुलना में बालकों के नामांकन में 2.92 तथा बालिका के नामांकन में 2.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2002-03 से 2003-04 में बालक के नामांकन में 1.20 तथा बालिका के नामांकन में 5.42 की वृद्धि तथा कुल नामांकन में 6.62 एवं 5.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

शिक्षकों की उपलब्धता :-

छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार जनपद में शिक्षकों की संख्या अत्यन्त कम है। वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात 1:75 है। अध्यापकों की पूर्ति 1936 शिक्षा मित्र भी व्यवस्था के माध्यम से की जा रही है फिर भी शिक्षकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जनपद में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 2295 पद रिक्त है तथा जनपद में वर्तमान 2002-03 तक 267 शिक्षामित्रों का चयन किया जा चुका है।

प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त शिक्षकों की संख्या में बढ़ोत्तरी व उसके सापेक्ष शिक्षकों की व्यवस्था न होने तथा गत वर्षो में विद्यालयों की संख्या में हुई बढ़ोत्तरी के कारण शिक्षकों की कमी की यह स्थिति और भी विकराल होती जा रही है। जिस बिन्दु पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

वर्तमान में जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कुल सृजित पद 6782 हैं। जिसमें से मात्र 4487 अध्यापक कार्यरत है। ड्राप आउट बच्चों को निकालने के बाद बचे हुए छात्रों की संख्या के आधार पर भी 1 : 40 के अनुपात में अध्यापकों की आवश्यकता देखी जाये तो जनपद में 2004 के कुल 1957 अध्यापकों की आवश्यकता है जिसमें से प्राथमिक शिक्षा के लिये 580 अध्यापकों की आवश्यकता है। अध्यापकों की इस कमी के कारण कुछ विद्यालयों को एक अध्यापकीय आधार पर चलाया जा रहा है। जो गुणवत्ता परक शिक्षा के वाधक है।

शत प्रतिशत नामांकन लक्ष्य, शालात्यागी बच्चों के शून्यीकरण के लक्ष्य एवं असेवित बस्तियों में विद्यालयों के लख्य की पूर्ति करते हुए पूर्व में स्वीकृत संख्या के आधार पर जो अध्यापकों की आवश्यकता बन रही है वह अध्याय 8 में दर्शायी है।

सारिणी 2.13

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय) सारिणी-5

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय

जनपद एटा में कार्यरत शिक्षकों की संख्या निम्नवत् है ।

	सृजित	कार्यरत	रिक्त 30.9.2003	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या	कार्यरत शिक्षा मित्र
परिवादीय प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक	5205	3269	1936	1602	267
परिपद उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक	1577	1218	359	--	--

स्रोत: लेखा अनुभाग बेसिक

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-3 के अन्तर्गत कुछ विद्या केन्द्र एवं शिक्षाकेन्द्र संचालित हैं इनका वर्षवार विवरण निम्नवत् है:-

सारिणी 2.14

क्रम	वर्ष	स्वीकृति संख्या		संचालित संख्या	
		विद्या केन्द्र	शिक्षा केन्द्र	विद्या केन्द्र	शिक्षा केन्द्र
1.	2000-01	38	8	38	8
2.	2001-02	37	67	37	-
3.	2002-03	--	--	75	75
4.	2003-04	--	--	75	75
योग		75	75	--	--

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता

सारिणी 2.15

क्रमांक	ब्लाक का नाम	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
		कुल कार्यरत शिक्षक	शिक्षा मित्र कार्यरत	कार्यरत शिक्षक	शिक्षा मित्र कार्यरत
1.	शीतलपुर	362	6	175	
2.	सिटपुरा	180	7	82	
3.	सकीट	239	11	85	
4.	सोरो	161	33	50	
5.	सहावर	112	17	53	
6.	आवागढ़	173	5	75	
7.	आमापुर	195	19	68	
8.	अलीगंज	267	27	108	
9.	जलेसर	232	13	87	
10.	जैथरा	214	28	64	
11.	नि0कलां	267	25	94	
12.	मारहारा	258	8	67	
13.	कासगंज	280	14	79	
14.	पटियाली	142	36	67	
15.	गंजडुडवारा	125	18	51	
16.	नगर क्षेत्र एटा	37	--	08	
17.	नगर क्षेत्र कासगंज	45	--	11	
18.	नगर क्षेत्र जलेसर	28	--	--	
19.	नगरक्षेत्र गंजडुडवारा	16	--	--	
20.	नगर क्षेत्र सोरा	25	--	05	
21.	नगर क्षेत्र मारहारा	22	--	07	
	योग	3269	267	1218	

सारिणी 2.16

विकास खण्ड वार शिक्षक-छात्र अनुपात 2003-04 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	विद्यालय की सं0	छात्र सं0	शिक्षक सं0	अनुपात
1.	शीतलपुर	128	21454	362	1:59
2.	सिटपुरा	136	18572	180	1:105
3.	सकीट	125	20801	239	1:87
4.	सोरो	107	21582	161	1:134
5.	सहावर	79	15622	112	1:139
6.	आवागढ़	101	18051	173	1:104
7.	आमापुर	120	16708	195	1:86
8.	अलीगंज	164	27636	267	1:103
9.	जलेसर	106	18838	232	1:81
10.	जैथरा	140	23248	214	1:109
11.	नि0कलां	137	20472	267	1:77
12.	मारहारा	97	17165	258	1:67
13.	कासगंज	113	19358	280	1:69
14.	पटियाली	110	17960	142	1:126
15.	गंजडुडवारा	89	21080	125	1:169
16.	नगर क्षेत्र एटा	18	2859	37	1:77
17.	नगर क्षेत्र कासगंज	17	2627	45	1:58
18.	नगर क्षेत्र जलेसर	10	1566	28	1:56
19.	नगरक्षेत्र गंजडुडवारा	08	849	16	1:53
20.	नगर क्षेत्र सोरा	12	1824	25	1:73
21.	नगर क्षेत्र मारहारा	05	1539	22	1:70
	योग	1822	291852	3269	1:89

सारिणी 2.17

विकास खण्ड वार शिक्षक-छात्र अनुपात 2003-04 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	विद्यालय की सं0	छात्र सं0	शिक्षक सं0	अनुपात
1.	शीतलपुर	46	2571	175	1:14
2.	सिटपुरा	32	4067	82	1:50
3.	सकीट	25	1435	85	1:17
4.	सोरो	33	628	50	1:13
5.	सहावर	20	875	53	1:17
6.	आवागढ़	28	1937	75	1:26
7.	आमापुर	26	1393	68	1:20
8.	अलीगंज	60	2542	108	1:24
9.	जलेसर	18	1473	87	1:17
10.	जैथरा	39	1325	64	1:21
11.	नि0कलां	40	1274	94	1:14
12.	मारहारा	24	1524	67	1:23
13.	कासगंज	20	1309	79	1:17
14.	पटियाली	48		67	:
15.	गंजडुडवारा	22	1563	51	1:31
16.	नगर क्षेत्र एटा	02	176	08	1:22
17.	नगर क्षेत्र कासगंज	02	95	11	1:09
18.	नगर क्षेत्र जलेसर	--	-	--	
19.	नगरक्षेत्रगंजडुडवारा	--	18	--	
20.	नगर क्षेत्र सोरा	01	82	05	1:16
21.	नगर क्षेत्र मारहारा	01	101	07	1:42
	योग	487	24328	1218	1:20

सारिणी 2.18

प्राथमिक अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

विवरण	1 किमी0 से कम पूरी पर वि0 उपलब्ध	1 किमी से अधिक किन्तु 1.5 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी से अधिक पूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित प्रा0 वि0/ ईजीएस
ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300से अधिक है ।	604	396	0	0
ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है ।	203	195	109	75

सारिणी 2.19

प्राथमिक अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

विवरण	3 किमी0 से कम पूरी पर वि0 उपलब्ध	3 किमी से अधिक
ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है ।	1056	0
ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है ।	402	49

विद्यालय में भौतिक सुविधायें

जनपद में पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधायों का विवरण इस प्रकार है-

सारणी 2.20

प्राथमिक विद्यालय स्तर

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	ग्रामीण क्षेत्र	नगर क्षेत्र	योग
1.	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	1792	70	1862
2.	एक कक्षीय विद्यलायों की संख्या	41	13	54
	दो कक्षीय विद्यलायों की संख्या	1335	24	1359
	तीन कक्षीय विद्यलायों की संख्या	296	26	322
	चार कक्षीय विद्यलायों की संख्या	76	6	82
	पाँच से अधिक कक्षीय विद्यलायों की संख्या	4	1	5
2.	शौचालय विहीन विद्यालय	844	10	654
3.	स्वच्छ पेयजल (हैण्डपम्प विहीन विद्यालय	129	11	140

जनपद में वर्तमान में कुल 1862 प्राथमिक विद्यालय संचालित है जिसमें से 1792 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में तथा 70 विद्यालय नगर क्षेत्र में है। संचालित विद्यालयों में कुल 4091 कक्षा-कक्ष है जिसमें से 3881 कक्षा-कक्ष ग्रामीण क्षेत्र में तथा 210 नगर क्षेत्र में है, जोकि नामांकन् तथा मानक के अनुसार भी काफी कम है। जनपद में 1008 विद्यालयों में शौचालय 1722 विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था एवं 514 विद्यालयों में चाहरदीवारी उपलब्ध है तथा 347 विद्यालय लघु मरम्मत योग्य एवं 156 विद्यालय वृहत् मरम्मत योग्य विद्यालय है। इस प्रकार कुल 503 मरम्मत योग्य विद्यालयों में से 487 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में तथा 16 विद्यालय नगर क्षेत्र में है।

सारणी 2.21

उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	ग्रामीण क्षेत्र	नगर क्षेत्र	योग
1.	**प्राथमिक विद्यालयों की संख्या**	513	6	519
2.	एक कक्षीय विद्यलायों की संख्या	09		09
	दो कक्षीय विद्यलायों की संख्या	08		08
	तीन कक्षीय विद्यलायों की संख्या	86	1	87
	चार कक्षीय विद्यलायों की संख्या	393	4	397
	पाँच से अधिक कक्षीय विद्यलायों की संख्या	17	1	18
3.	**मरम्मत योग्य विद्यालय**			
	लघु मरम्मत योग्य विद्यालय	25	2	27
	वृहत मरम्मत योग्य विद्यालय	23		23
4.	शौचालय विहीन विद्यालय	105		105
5.	स्वच्छ पेयजल (हैण्डपम्प विहीन विद्यालय)	110		110
5.	चाहरदीवारी विहीन विद्यालय	186		186

स्रोत: का0जि0बे0शि0अ0 एटा

परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों हेतु नवीन विद्यालयों के भवन निर्माण जर्जर भवनों के पुनर्निमाण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण, पेयजन सुविधा शौचालय एवं बाउण्ड्रीवान हेतु प्राविधान किये गये थे। उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित नही थे। जनपद एटा में प्रथम वर्ष में उक्त योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के कारण प्रथम वर्ष की संख्या को क्षेत्रों से मांग में शामिल नहीं किया गया।

अत: कुल वांछित संख्या में से द्वितीय वर्ष के प्राविधान को घटाकर सर्व शिक्षा अभियान के लिये प्राथमिक विद्यालयों हेतु 20 पुनर्निर्माण 1415 अतिरिक्त कक्षा कक्ष 854 शौचालय, 140 हैडपम्प वांछित है।

इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये सर्वशिक्षा अभियान में 32 अतिरिक्त कक्षा कक्ष 105 शौचालय एवं 110 हैंडपम्प की मांग की गई है।

सारिणी 2.22

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

क्र0सं0	विवरण	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	DIPEP III/11वें वित्त आयोग में प्रावधान जिला योजना/अन्य स्रोत	मांग IDPEP के अतिरिक्त	कमी	DIPEP III/11वें वित्त आयोग में प्रावधान जिला योजना/अन्य स्रोत	मांग IDPEP के अतिरिक्त
1	नवीन विद्यालय	-	-	-	-	-	-
2.	विद्यालय पुनर्निर्माण	20	-	-	-	-	-
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष (प्रति शिक्षक/प्रति कक्षा कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि के आधार पर)	1415 1 0 0	-	1415	112 0 0 0 0	-	112
4.	पेयजल सुविधा	140	-	-	110	-	110
5.	शौचालय	854	-	-	105	-	105
6.	चहारा दिवारी	-	-	-	-	-	-

स्रोत -विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अभिलेख

अध्याय – 3

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थानीय समुदाय की सहभागिता तथा विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली का अनुसरण किया गया है। इसमें राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा/बुनियादी शिक्षा को जन सामान्य तक पहुँचाने हेतु चिर–अभिलक्षित उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान से देश के बुनियादी/प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गयी है। हमारा उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6–14 वर्ष के समस्त बच्चों को उपयोगी तथा गुणवत्ता परक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने का है। इस कार्य क्रम के द्वारा स्कूलों की व्यवस्था में अपेक्षित सुधार करना, समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का कार्य एक मिशन के रुप में पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिये विभिन्न वर्गों के महिलाओं एवंपुरुषों के सामाजिक अन्तर एवं असमानता को समाप्त करने की संकल्पना की गयी है।यह प्रयास किया जायेगा कि 14 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जाये जो किसी प्रकार ड्राप आउट से मुक्त हो। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा संबंधी सभी प्रयासों में एक सूत्रता लाने का प्रयास किया गया है। ऐसे प्रयास किये जायेंगे जिनसे सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि हो तथा स्कूल स्तर के साथ–साथ विभिन्न स्तरों में भी क्रियात्मक विकेन्द्रीयकरण सुनिश्चित हो सके। जैसे पंचायती राज्य की विभिन्नसंस्थाएं स्वयं सेवी संस्थाएं, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला संगठन, सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया का बहुतमहत्व है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक बस्ती, मजरा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 0–14वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाये। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही शिक्षित युवक – युवतियों तथा अध्यापकों को इसके उद्देश्य एवं प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण

आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम बस्तियों की सूची तैयार की गयी है। जनपद एटा से सर्वप्रथम 2000–2001 में तथा दूसरा चरण 2001–2002 में सभी ग्राम बासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बन्धित सूचनाएं जिनकी सूची पहले से तैयार थीं एकत्रीकरण किया गया और एकत्र सूचनाएं/आंकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं, आवश्यकताओं की पहचान की गयी/सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिए निम्न सूचनाएं एकत्र की गयीं –

- ग्राम में 0–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या।
- विद्यालय/अनौपचारिक/आंगनवाड़ी/ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या।
- शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण।
- यदि ग्राम में विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं है तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय स्थापित किये जाने की व्यवस्था है।
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना संभव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं।
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय में भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं।
- यदि नहीं तो इसके व्यवस्था/सुधार के लिए ग्राम शिक्षा समिति के क्या सुझाव हैं।
- क्या विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुरुप है तथा छात्र–अध्यापक अनुपात क्या है।
- शिक्षण कार्य की स्थिति, क्या विद्यालय अपग्रेड किया जाये, शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार, क्या विद्यालय में आपका सहयोग अपेक्षित है।
- विकलांग/अक्षम बच्चों की पहचान।
- वर्तमान/विगत वर्ष में कितने बच्चों ने विद्यालय छोड़ा है।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये गये –

- परिवार सर्वेक्षण
- गांव के शैक्षिक मानचित्रण पर चर्चा

– प्राप्त सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम

शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, उत्साही एवं शिक्षितयुवक–युवतियों, शिक्षकों/शिक्षकाओं की एक बैठक बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओंके साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गयी। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया। शैक्षिकमानचित्र पर गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्र विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गांव की शैक्षिक व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गयी।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गयी –

1. गांव बस्ती की सम्पूर्ण जनसंख्या,
2. 0–6, 6–11 तथा 11–14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या,
3. स्त्री पुरुष की जनसंख्या,
4. पढ़ने, न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का कारण,
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी,
6. विशेष आवश्यकता बाले बच्चों की पहचान,
7. बालिका शिक्षा की स्थिति ।

उपरोक्त सभी तथ्यों समस्याओं आदि पर गांव के लोग व ग्राम शिक्षा समिति केसदस्यों के विचार–विमर्श के दौरान उभरते बिन्दुओं को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी! इस योजना को अध्याधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1999–2000 मेंपुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गयी ताकि बस्ती/ग्राम वार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन समस्त आकड़ों को रिकार्ड विकास खण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इसका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। माइक्रो प्लानिंग डाटा को अध्यावधिक बनाने केसाथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही रखा गया ताकि इनका उपयोग गांव स्तर पर आसानी से हो सके।

परिवार/बस्ती वार आंकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता के वर्गीकृत व विकास खण्डवार संकलित किया गया। 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो वर्गों में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6–11 वय वर्ग के तथा 11–14 वय वर्ग के समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक–पृथक इंगित कीगयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी हों पैतृक व्यवसाय में माता–पिता की सहायता करते हों अथवा सड़क छात्र/घुमन्तू (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) बच्चे।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इन बस्तियों/ग्रामों की सूची तैयार की गयी है जो नवीन विद्यालय स्थापित किये जाने का मानक पूरा करते हैं वहां विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्र कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आकलन करते हुये उसकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अध्यावधिक चक्र सर्व शिखा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001–2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायेगा। इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–03 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायेगा।

नगरीय क्षेत्रों से सर्वेक्षण कर प्राप्त आंकडों का सारिणीय व संकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षो का उपयोग वर्ष 2002–03 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयारकरते समय किया जायेगा।

स्कूल चलो अभियान –

जनपद में जुलाई 2000 तथा 2001 में बालक–बालिकाओं के नामांकन वृद्धि को बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान चलाया गया। जिसके कारण वर्ष 2000–01 मेंबालक – बालिकाओं के नामांकन में आशानुकूल वृद्धि हुई है।

स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के तहत व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। जिलेमें शत–प्रतिशत नामांकन कराने का शिक्षा विभाग तथा जिला प्रशासन ने संकल्प लिया। दिनांक 28–6–2001 को जिला परियोजना कार्यालय में समस्त सहायक बेसिक शिक्षाअधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, जिला समन्वयक तथा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित बैठक आयोजित की गयी और स्कूल चलो अभियान की रुप रेखा तैयार की गयी।

दिनांक 30–6–2001 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अभियान की कार्य योजना तैयार करने हेतु शिक्षा विभाग जिला शिक्षा परियोजना समिति एवं जिला प्रशासन केसमस्त अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी एवं विभिन्न स्तर पर कोर ग्रुप का गठन किया गया। उक्त बैठक में स्कूल चलो अभियान के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये–

1. जनपद के समस्त विकास खण्डों पर स्कूल चलो अभियान के लिये खण्डविकास अधिकारी नियुक्त किया गया।
2. जनपद के 149 न्याय पंचायतों पर स्कूल चलो अभियान चलाने के लियेसंकुल प्रभारी को न्याय पंचायत का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।
3. जनपद की 898 ग्राम पंचायतों पर स्कूल चलो अभियान के लिये ग्राम पंचायत पर वरिष्ठ अध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

यह निर्देश भी दिये गये कि शिक्षा विभाग एवं अन्य प्रशासनिक अधीकारी अपने–अपने क्षेत्र का भ्रमण कर स्कूल चलो अभियान सफल बनायेंगे। इसके साथ–साथ विकास अधिकारी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एटा जिला विद्यालय निरीक्षक,

जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, सचिव साक्षरतासमिति, जिला सूचना अधिकारी, तहसीलदार क्षेत्र का भ्रमण कर कार्यक्रम को सफल बनायेंगे। दिनांक 7–7–2001 को रा[illegible]ट, जैथरा, अलीगंज में स्कूल चलो अभियान की रैलीनिकाली गयी। जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, अध्यापक तथा बच्चों ने प्रतिभाग किया तथा विकास खण्ड अधिकारी जगत ने हरी झण्डी दिखाकर रैली का प्रारम्भ किया।

सर्व शिक्षा अभियान के स्वरुप को दृष्टिगत रखते हुये विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रणालीपुनः अपनायी गयी। जिसमें ग्राम/बस्ती स्तर पर शैक्षिक योजनाएं बनाने की दिशा में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

1. नियोजन टीम – सर्वशिक्षा अभियान की तैयारी एवं नियोजन करने के लिये डायट प्राचार्य के नेतृत्व में छः सदस्यीय टीम का गठन किया गया।

2. जिला पंचायत अध्यक्ष एटा की अध्यक्षता में दिन 1–10–2001 को जनपदस्तर पर एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें विधायकगण एवं जनप्रतिनिधियोंने प्रतिभाग किया। सर्व शिक्षा अभियान की रुपरेखा एवं उद्देश्य तथा विशेषताओं पर चर्चा की गयी। बैठक में सुझाव दिये गये कि सभी ग्राम में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जायें तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिये उच्च प्राथमिक विद्यालय भी स्थापित किये जाये।

3. जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठक दिनांक 30–9–2001 को आयोजित की गयी। बैठक में खण्ड विकास अधिकारियों ने भी भाग किया।

4. ग्राम स्तर/न्यायपंचायत स्तर तथा विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित की गयी। सर्वशिक्षा अभियान को प्रारम्भ करने से पूर्व समुदाय की

शिक्षा के प्रति क्या सोच है। उसकी शिक्षा में क्या अपेक्षाएं हें तथा वह इसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। बैठकों के माध्यम से सभी के विचार लिये गये। सन्दर्भ व्यक्तियों की पहचान स्वयं सेवी संस्थाओं की पहचान, पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की सोच उनके सहयोग आदि की जानकारी हो सकी। समस्त विचारोपरान्त पर्सपेक्टिव प्लान बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

परियोजना पूर्व की गतिविधियों का जिले में गठित 6 सदस्यीय टीम ने आंकलन किया। उनमें वे अधिकारी एवं शिक्षक भी सम्मिलित हैं जिन्होंनें प्लान बनाने के लिये सीमेंट इलाहाबाद के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इसके अतिरिक्त डी0पी0ई0पी0 के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी जिला समन्वयक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी उप–बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक बी0आर0सी0 समन्वयक न्याय पंचायत केन्द्र प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों से सहयोग मिला। विभिन्न बैठकों के निष्कर्षो से प्लान को आवश्यकता आधारित प्लान बनाने में सहायता मिली।

प्री प्रोजेक्ट गतिविधियों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक यह संदेश संकुल प्रभारी के द्वारा दिया गया कि कार्यक्रम पूर्ण रुपेण समुदाय की सहभागिता परआधारित है। इस की योजना के द्वारा समाज की आवश्यकताओं प्राथनिकताओं को ध्यान में रखकर सूक्ष्म नियोजन ग्रास रुट लेबिल प्लानिंग के आधार पर तैयार की जायेगी। योजना के निर्माण के पश्चात इसका क्रियान्वयन भी समाज के हर वर्ग/समुदाय के सहयोग से होगा। विशेषकर ग्राम पंचायतों को इसमें नियोजन/प्रबन्धन सम्बन्धी पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होगा। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में उनकी भागदारी होगी। स्वयंसेवी संस्थाओं की सशक्त भागीदारी होगी ताकि वास्तविक रुप से यह जनता का अभियान बन सके। जनपद एटा में स्थानीय विशेष की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर ग्रास रुट प्लानिंग के बाद जनपद स्तर पर नियोजन का स्वरुप निर्धारित किया गया।

जनपद में डी0पी0ई0पी0 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम विगत 2 वर्षों से संचालित है। उसी के वृहत स्वरुप में सर्व शिक्षा अभियान चालू किया जाना है। जिन विकास एजेन्सीज से हमें डी0पी0ई0पी0 में सहयोग प्राप्त हुआ है और जो विभाग मानव संसाधनोंका सृजन करते हैं उन विभागों के अधकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयीं।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से सम्बन्ध व सहयोग –

1. बाल विकास समन्वित योजना के साथ सम्बन्ध –

जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य कर्मी एन0जी0ओं0 आदि को सम्मिलित कर जिला सन्दर्भ समूह तथा विकास खण्ड सन्दर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत आई0सी0डी0एस0 के सथ समन्वय स्थापित किया जाता है। –

1. आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2. आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3. आंगनबाडी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4. केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5. केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु अनुपालन करने हेतु अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

2. समाज कल्याण विभाग के साथ समन्वय –

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के समस्त बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः300 व 480 प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

3. स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय –

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयोंमें अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का परीक्षण कराया जाता है। जिसमें चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उमके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्यकी देखभाल हो सके। स्वास्थ्य कार्ड का रख–रखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है।स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवायें ली जाती हैं।

4. ग्राम पंचायत के साथ समन्वय –

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग

सेग्राम पंचायत भूमि उपलब्ध करायी जाती है। जहां पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

5. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय –

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किग्रा0 प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरित कराया जाता है।

6. विकलांग कल्याण विभाग से सम्बन्ध –

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण ट्राईसिकिल, बैसाखी आदि उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/उपस्कर के वितरण में छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता दीजाये।

7. उ0प्र0 जल निगम / यू0पी0 एग्रो से समन्वय –

इन दोनों विभागों से सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्ड पम्पों की स्थापना की जाती है।

8. युवा कल्याण विभाग से समन्वय –

युवा कल्याण विभाग से सम्पर्क कर छात्रों की क्रीड़ा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरु युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों से स्थानीय समुदाय की सहभागिता विकसितकी जाती है।

9. पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय –

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्प संख्यक समुदाय के बच्चों को 300/– प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इनछात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

10. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय –

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण डी0आर0डी0ए0 से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60 प्रतिशत धनराशि ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य किया जाता है। जिससे अधिक से अधिक विद्यालयं भवनों से आच्छादित किया जा सके।

11. नेहरु युवा केन्द्र से समन्वय –

समुदाय की शिक्षा के प्रति भागीदारी एवं सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से नेहरु युवा केन्द्र के कार्यकर्ताओं से सहयोग प्राप्त किया जाता है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षणमें इनका विशेष सहयोग प्राप्त होता है। समाज से जुड़े होने के फलस्वरुप इनकी शिक्षा एवं स्वच्छता के प्रति जागरुकता लाने में अहम् भूमिका है।

सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने एवं क्रियान्वयन हेतु जनपद/विकास खण्ड स्तरों पर विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया जिसके विवरण निम्नवत् हैं।

बैठकों का विवरण

क्रम सं0	दिनांक	स्थान	प्रतिभागी	बैठकों में विचार विमर्श में उभरे बिन्दु
1.	9-11-2001	जिला परियोजना कार्यालय एटा	जि0 बे0 शि0 अ0, उप0 बे0 शि0 अ0, हा0 बे0शि0 अ0, ब्लाक समन्वयक, एन0 जी0 ओ0 सदस्य जिला समन्वयक	1. जनपद के विभन्न विकास खण्डों विद्यालय न जाने वाले बच्चों के नामांकन की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। 2. शिक्षकों की कमी को शिक्षा मित्र की नियुक्ति करके दूर किया जाये। 3. 6 से 11 वय वर्ग विद्यालय न जाने वाले बच्चों को ई0जी0एस0 व वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाये। 4. अभिभावक व अध्यापकों के बीच संवाद हीनता की स्थिति। 5. बाल श्रमिक बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लये वैकल्पिक केन्द्रों की स्थापना। 6. पेय जल/ शौचालय की कमी।
2.	19-11-2001	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरचन्द्रपुर, एटा	प्राचार्य डायट बेसिक शिक्षा अधि0 बरिष्ठ प्रवक्ता ब्लाक समन्वयक सहसमन्वयक	1. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्य%म को और प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। 2. शिक्षण अधिगम सामग्री व अनुपूरक शिक्षण सामग्री पर चर्चा। 3. विद्यालय में पाठ्य सहगामी सामग्रियों का अभाव एवं विद्यालय का नीरस वातावरण। 4. ग्राम शिक्षा समितियों को जागरुक बनाने के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता।

				5. बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हेतु शिशु शिक्षा केन्द्र पर अधिक ध्यान दिया जाय। 6. ड्राप आउट बच्चों को लेखा जोखा एवं मासिक समीक्षा का अभाव। सुझााव :- 1. शिक्षक प्रशिक्षण कार्य%म में क्रियाओं और शैक्षिक गतिविधियों को अधिक महत्व। 2. टी0एल0एम0 मेलों का आयोजन 3. विद्यालयों की रंगाई, पुताई कराई जाय तथा टाटपट्टी आदि क्रय किये जायें
3.	19-11-2001	जलेसर	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला समन्वयक, सह समन्वयक ब्लाक समन्वयक एन0जी0ओ0	1. श्रम विभाग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार 2955 ऐसे बच्चे पाये गये जो बाल श्रमिक का कार्य कर रहे हैं तथा कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। 2. ऐसे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने हेतु विचार किया गया। 3. बाल श्रमिकों को स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा सहयोग पर विचार विमर्श।
4.	28-11-2001 29-11-2001	जलेसर	उपजिलाधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, एन0जी0ओ0 नगर पालिका अध्यक्ष वार्ड सभासद, बी0आर0सी	1. बाल श्रमिकों के उन्नयन हेतु उपजिलाधिकारी ने सील चयनकार्यवाही एवं वैकल्पिक केन्द्र खोलने हेतु विचार विमर्श। 2. विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 2955 चिन्हित बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ने हेतु सभी वार्ड सदस्यों एवं नगर पालिका अध्यक्ष से विचार विमर्श। 3. जिला समन्वयक बैकल्पिक शिक्षा द्वारा अनुदेशकों के चयन एवं उनके कर्तव्यों पर विचार

			एवं अध्यापक	विमर्श।
				4. बाल श्रमिकों के अभिभावकों में जागरुकता लाये जाने की आवश्यकता।
				5. सभासदों द्वारा यह विचार व्यक्त किये गये कि बाल श्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने के लिये ऐसे केन्द्रों का संचालन किया जाये कि बाल श्रम के साथ प्राथमिक शिक्षा भी ग्रहण कर सकें।
5.	2-12-2001	कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा	बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं बी0आर0सी0	1. अध्यापकों का समय से विद्यालय न आना। 2. एकल अध्यापकीय विद्यालयों की समस्या। 3. नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु विचार विमर्श। 4. जर्जर एवं पुर्ननिर्माण हेतु विद्यालयों का आकलन। 5. सूक्ष्म नियोजन का कार्य शीघ्र पूरा कराये जाने हेतु विचार विमर्श। 6. पोषाहार वितरण पर विचार विमर्श।
6.	4-12-2001	जिला परियोजना कार्यालय एटा	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी सहायक लेखाधिकारी, जिला समन्वयक	1. सर्व शिक्षा अभियान के पर्सपैक्टिव प्लान के बारे में सभी को अवगत कराना। 2. आकड़ों के संकलन हेतु आवश्यक निर्देश। 3. नामांकन, कक्षा–कक्ष आवश्यक शिक्षक की संख्या का 2001 से 2010 तक की प्रक्षेपण

				तालिका पर विचार विमर्श।
7.	5-12-2001	जिला परियोजना कार्यालय एटा	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी सहायक लेखाअधिकारी जिला समन्वयक	1. सर्व शिक्षा अभियान के अन्त्गत 40:1 के अनुपात में अध्यापकों की वरुवस्था सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पर विचार विमर्श। 2. विकास खण्ड जलेसर में बाल श्रमिकों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिये बैक टू स्कूल कैम्पेन ब्रिज कोर्स की व्यवस्था।
8.	6-12-2001	ब्लाक संसाधन केन्द्र सहावर	जिला समन्वयक ब्लाक समन्वयक सह समन्वयक एवं अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति।	1. छात्र नामांकन पर विचार। 2. शाला त्यागी बालक/बालिकाओं को विद्यालय में लाये जाने हेतु प्रयासों की समीक्षा। 3. स्वास्थ्य परीक्षण की स्थित। 4. ई0सी0सी0ई0 केन्द्र खोले जाने हेतु विचार विमर्श। 5. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रैली गोष्ठी आदि का आयोजन किये जोन का प्रस्ताव। 6. महिला आरक्षण की दर कम होने के कारण बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देने पर बल।
9.	12-12-2001	कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा	बेसिक शिक्षा अधिकारी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	1. डी0पी0ई0पी0 तृतीय की वर्ष 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना बजट पर विचार विमर्श। 2. डी0पी0ई0पी0–तृतीय तथा सर्व शिखा अभियान के लक्ष्यों का पारस्परिक सामंजस्य पर विचार विमर्श। 3. बालिका शिक्षा पर विचार विमर्श किया गया एवं ऐसे ग्रामों/बस्तियों विकास खण्डों को

				चिन्हित किया जाये। कि किस विकास खण्ड/बस्ती/ग्राम में शालात्यागी बालिकाओं की अधिकता है। जिसे ई0सी0सी0ई0 केन्द्र एवं ग्रीष्म कालीन शिविर द्वारा दूर किया जाये। 4. विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
10.	14-12-2001	कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप/सहायक बेसिक शिक्षा अधि0 जिला समन्वयक, ब्लाक समन्वयक	1. प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका सुनिश्चित की जाये 2. ब्रिज कोर्स सुदूरवर्ती एवं अन्यत्र पिछड़े क्षेत्रों में खोले जायें। 3. अल्पसंख्यक संस्थाओं को शिक्षा की नवीन धारा से जोड़ा जाये। 4. समुदाय को विद्यालय के प्रति जागरुक बनाये जाने की आवश्यकता है।

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य –

सभी के लिये शिक्षा विषय पर सेनेगल के डकार नामकार स्थान में अप्रैल 2000 में एक बैठक हुई जिसमें एन.ई0एफ. के सदस्यों ने प्रतिभाग किया। इस बैठक में शिक्षा को मौलिक मानव अधिकार के रुप में स्वीकार किया गया। डकार सम्मेलन में सदस्या देशों के प्रतिनिधियों ने सन् 2015 तक निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त किया –

1. अपवंचित वर्ग के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करने हेतु सुविधाओं का विस्तार।
2. विशेष रुप से अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों एवं विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले बालक एवं बालिकाओं को 2015 तक उत्तम गुणवत्ता की निःशुलक एवं पूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इनमें बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान अपेक्षित होगा।
3. युवा एवं प्रौढ़ व्यक्तियों को सन् 2015 तक जीवनोपयोगी एवं उचित अधिगम हेतु योजनाएं बनाना।
4. सन् 2015 तक कम से कम 50 प्रतिशत साक्षरता वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना जिसमें बेसिक एवं सतत शिक्षा के माध्यम से युवाओं एवं प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाय।
5. सन् 2015 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में लिंगानुपात में अन्तर को समाप्त किया जाना जिसमें बालिकाओं के उत्तम गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा'के लक्ष्य को ध्यान मे रखा जाय।
6. सन् 2015 तक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना तथा साक्षरता गणितीय एवं जीवनोपयोगी शिक्षा को प्राप्त करना तथा सबके द्वारा शिक्षा की ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिसका स्वयं परिचय एवं गायन हो।

सर्व शिक्षा के लक्ष्य –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा एक से आठ तक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु मुख्य रुप से राष्ट्रीय स्तर पर निम्न लिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

1. सन् 2003 तक सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय शिक्षा गारण्टी केन्द्र वैकल्पिक विद्या केन्द्र बैक टू स्कूल शिविर (वापस चलो कैम्प) आदि में शत् प्रतिशत नामांकन कराना।
2. सन् 2007 तक समस्त नामांकित बच्चों को कक्षा पांच तक की शिक्षा पूर्ण कर लेना।
3. सन् 2010 तक सभी बच्चों को कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।
4. गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
5. समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य तथा बालक बालिका में सन् 2007 तक प्राथमिक स्तर पर भेद–भाव समाप्त करना।
6. सन् 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन ठहराव तथा सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
7. सन् 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उपर्युक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों को अंगीकार करते हुये जनपद एटा के लिये विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया जो निम्नवत है–

नामांकन के लक्ष्य–

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनपद की वार्षिक वृद्धि 2.2 प्रतिशत है जबकि सन् 1991 की जनगणना में यह दर 2.0 प्रतिशत थी। इस वार्षिक दर में वर्ष 2010 तक प्रत्येक वर्ष की अपेक्षित कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

सारिणी 4.1

सारिणी 4.2

वर्ष 2001 की जनगणना की विभन्न आयु वर्ग की जनसंख्या ग्रामीण पगीश

अनुसूचति, जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े प्राप्त हैं तथा उनका समावेश प्राथमिक स्तर 6–11 आयु वर्ग के बच्चों के लिये वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथंमिक स्तर के लिये 11–14 आयु वर्ग के बच्चों को वर्ष 2007 तक शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है।

कुल नामांकन में कुछ कम उम्र के बच्चे तथा कुछ अधिक आयु वर्ग के बच्चो सम्मिलित होंगे इस लिये जी.ई.आर. का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। नामांकन के लक्ष्य में यह भी उल्लिखित है कि प्राथमिक स्तर पर सन् 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सन् 2007 के बाद जी.ई.आर. में वृद्धि कम होगी। क्योंकि 6–11 वर्ष तथा 11–14 वर्ष के वय वर्ग में जिनते बच्चे बढ़ेगें, उतने ही बच्चें नामांकन में भी बढ़ेगें।

ठहराव के लक्ष्य –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की योजना में सन् 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा सन् 2007 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जो निम्नवत् हैं।

परियोजना क्रियान्वयन के समय जिले में ड्राप–आउट के सम्बन्ध में कोई प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट करके इस विधा को समाप्त करने में ठोस कदम उठाया जायेगा।

इन उददेश्यों की प्राप्ति के लिये कला जत्था के कार्यक्रम, मीना कैम्पेन, ठहराव परिक्रमा, ताराकंन, ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण, माता शिक्षक संघ/ अभिभावक शिक्षक संघ/ महिला प्रेरका दल का गठन एवं प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं इन्हें सर्वशिक्षा अभियान में जारी रखा जायेगा।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	6 से 11 की वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी0ई0आर0
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
2001-02	244963	197433	442396	214469	171675	386144	
2002-03	249963	201462	451425	218846	175179	394025	
2003-04	255064	205574	460638	223313	178753	402066	
2004-05	260165	209686	469851	227779	182328	410107	
2005-06	265368	213880	479248	232335	185974	418309	
2006-07	270676	218156	488832	236982	189694	426676	
2007-08	276089	222520	498609	241721	193488	435209	
2008-09	281611	226970	508581	246556	197357	443913	
2009-10	287243	231510	518753	251487	201305	452792	

श्रोत – हाउस होल्ड सर्वे वर्ष 2003–04 के अनुसार

सारिणी 4.2
प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	11 से 14 की वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी0ई0आर0
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
2001-02	91409	72331	163740	78812	61601	140413	
2002-03	93274	73808	167082	80420	62859	143279	
2003-04	95178	75314	170492	82062	64142	146204	
2004-05	97082	76820	173902	83703	65425	149128	
2005-06	99023	78357	177380	85377	66733	152110	
2006-07	101004	79924	180928	87085	68068	155153	
2007-08	103024	81522	184546	88827	69429	158256	
2008-09	105084	83153	188597	90603	70817	161420	
2009-10	107186	84816	192002	92415	72234	164649	

सारिणी 4.3

प्राथमिक विद्यालय में ड्राप आउट की दर

क्र.सं.	वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	ठहराव
1	2	3	4
1	2001-02	40.3	59.7
2	2002-03	35	65
3	2003-04	30	70
4	2004-05	15	85
5	2005-06	5	95
6	2006-07	0	100
7	2007-08	0	100
8	2008-09	0	100
9	2009-10	0	100

सारिणी 4.4

उच्च प्राथमिक विद्यालय में ड्राप आउट की दर

क्र.सं.	वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	ठहराव
1	2	3	4
1	2001-02	19.20	80.8
2	2002-03	15.0	85
3	2003-04	10.0	90
4	2004-05	6.0	94
5	2005-06	2.0	98
6	2006-07	0	100
7	2007-08	0	100
8	2008-09	0	100
9	2009-10	0	100

अध्याय – 5
समस्यायें एवं रणनीति

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) योजना क्रियान्वयन के पश्चात उसमें प्रस्तावित गतिविधियों के संचालन उपरान्त तथा विभिन्न स्तरों पर करायी गयींसमूह चर्चा से प्राप्त सुझावों तथा उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष एक सन्तुलित व्यवहारिकरणनीति तैयार कीं गयी है जिसमें छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापक/अध्यापकों की नियुक्ति, नवीन भवनों का निर्माण, विद्यालय विहीन भवनों का निर्माण, जीर्ण–शीर्णभवनोंकी मरम्मत, अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता, हैण्डपम्प एवं शौचालयों का निर्माण, विद्यालयों का सौन्दर्यकरण एवं उनके सुदृणींकरण का भरसक सफलतम प्रयास कियागया है साथ ही विद्यालय से बाहर शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को शिक्षा.की मुख्य धारा से जोड़ने तथा विद्यालय में उनके ठहराव पर भी विशेष बल दिया गया है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) के अन्तर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के संचालनार्थ कुल समस्यायें चिन्हित की गयी है जिनके समाधान हेतु रणनीति इस प्रकार तैयार कीं गयीं है जिससे कि ''सर्व शिक्षा अभियान'' के प्रस्तावित कार्यक्रम के लक्ष्य को समयान्तर्गत सहजता पूर्वक प्राप्त किया जा सके।

सारणी 5.1

क्र0 सं0	समस्यायें		रणनीतियां
1.	सामाजिक एवं आर्थिक समस्या	–	सामाजिक जन चेतना लोने के लिये तथा बच्चों एवं उनके अविभावकों की सोच में बदलावलाने के लिये कला जत्था, महिला मंगल दल ,डब्लू0 एम0 जी0, शिक्षक अविभावक संघ, जन

सम्पर्क, महिला सामाख्या, ए0 एन0 एम0 बाल विकास परियोजना की कार्यत्रियों तथा ग्राम शिक्षा समितियों के जागरुक सदस्यों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा तथा अपेक्षित लंक्ष्यकी प्राप्ति को बल दिया जायेगा।

2. असेवित बस्तियों में शैक्षिक सुविधा मुहैया कराना –

1.5 किमी0 की दूरी तथा 300 की आबादी बाले ग्रामों/बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयोंकी व्यवस्था की जायेगी तथा 6 से 8 आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले 30 बच्चों में 1 कि0मी0 विद्यालय से दूरी के मानक पर ई0 जी0 एस0 (विद्या) केन्द्र खोले जायेंगे। तथा 9 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

3. मलिन वस्तियों में शैक्षिक सुविधाओं की कमी पाया जाना –

नगर क्षेत्र के अन्तर्गत पायी जाने वाली मलिन बस्तियों में उपलब्ध विद्यालयों को द्विपाली चलाया जायेगा तथा मानक से कम छात्र

संख्या वाले ऐसे विद्यालयों जोकि किराये के भवन में संचालित हैं, को स्थानान्तरित कर पुनः स्थापित किया जायेगा।

4. भौगोलिक कठिनाई के कारण – जनपद के विषय में भौगोलिक शिक्षा में अवरोध परिदृश्यकोदृष्टिगत रखते हुये सर्व शिक्षा अभियान प्राप्ति हेतु मानक के अनुसारशिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा केन्द्रों को खोला जायेगा तथा भौगोलिककठिनाई के कारण शिक्षा ग्रहण न कर पाने वाले बच्चों को शैक्षिक सुविधा मुहैया कराने पर बल दिया जायेगा और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

5. विद्यालयों में संसाधनों का अभाव – मानक के अनुरुप छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया जायेगा तथा स्वच्छ पेयजल, शौचालय तथा चहारदीवारी विहीन विद्यालयों में इनका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों मे बच्चोंके बैठने की व्यवस्था हेतु काष्ठोपकरण सुलभकराया जोयगा

6. बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि में कमी	–	शिक्षा के प्रति बच्चों की रुचि में कमी को दृष्टिगत रखते हुये शिक्षा में खेल द्वारा शिक्षा क्रियाशील आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण कराया जायेगा, समय विज्ञान चक्र को और अधिक उपयोगी और सार्थक बनाकर बच्चों में रुचि उत्पन्न करने वाले सांस्कृतिक एवं कलात्मक पाठ्यक्रम तथा क्रियाकलापों का समायोजन एवं क्षेत्र–भ्रमण आदि को समाविष्ट कर रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम को प्राथमिकता प्रदान कर बच्चों में शिक्षा के प्रति व्यक्तिगत रुचि जागृत की जायेगी और उन्हें शिक्षित करने हेतु मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।
7. अभिभावकों एवं बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरुकता का अभाव	–	शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास होता है न कि रोजगार शिक्षा रोजागर प्राप्त करने का एक साधन मात्र है साध्य नहीं अतः अभिभावक की इस सोच में सकारात्मक परिवर्तन की आवश्कता है कि शिक्षा का उद्देश्य मानव मात्र के व्यक्तित्व का विकास करना है रोजगार दिलाना नहीं।

8. मानक के अनुरुप छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की कमी – मानक के अनुरुप शिक्षण व्यवस्था सुचारु रुप से संचालित करने हेतु छात्र संख्या केसापेक्ष 40:1 के अनुपात पर अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी इस हेतु ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। पूर्व मा0 वि0 में विषय अध्यापक की नियुक्ति की जायेगी साथ ही यदि प्रा0 वि0 भी वहाँ संचालित है तो पूर्व माध्यमिक वि0 के प्रधान अध्यापक को ही सम्पूर्ण प्रबन्ध–तन्त्र का उत्तरदायित्व सौंपा जायेगा। कक्षा 1 से 8 तक समय विभाजन पर बल दियाजायेगा जिससे कि माध्यमिक शिक्षा के साथ जुड़ने में सुगमता बनी रहे।

9. व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में ह्रास – शिक्षक के व्यक्तित्व के विकास में वृद्धि हो इस हेतु सामुदायिक सहभागिता के सहयोग से प्रशिक्षण में जोड़ा जायेगा। शिक्षक का अपने बच्चों के साथ मृदुव्यवहार हो इस हेतु यह आवश्यक है कि बच्चों के मस्तिष्क में सकारात्मक गुणात्मक एवं विशिष्ट

प्रभावकारी सोच अपने शिक्षक के प्रति हो, तभी शिक्षक की छवि अपने बच्चों पर प्रभाव बनाये रख सकती है।

10. अध्यापकों से अध्यापन कार्यों के साथ–साथ अन्य कार्यों का निष्पादन –

शिक्षा, शिक्षक और शिक्षण का परस्पर सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है इसके अभाव में शिक्षक शिक्षण कार्य से विरत रहेगा यह तभी संभव है जबकि शिक्षक को राष्ट्रीय महत्व के कार्य के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों से विरत रखा जाये ताकि शिक्षक नियमित रुप से विद्यालय में उपस्थित रहकर बच्चों की शैक्षिक समस्याओं का समाधानंकरे और बच्चे विद्यालय में उपस्थित रहकर भी स्वयं को उपेक्षित न समझें। बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी तथा कमजोर बच्चों को विद्यालय अवकाश में भी शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी। अन्यथा ऐसी स्थिति में अध्यापक की जबाबदेही सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम अधिगम स्तर का आधार माना जायगा तथा उनकी सेवा पंजिका में भी प्रतिकूल प्रविष्ट अंकित करते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि को रोका

		जायेगा।
11. विद्यालयों का आकर्षक न होना	–	बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने हेतुशैक्षिक संस्थाओं की रंगाई – पुताई करायी जायेगी वहां शैक्षिक माहौल तेयार कराया जायेगा जिससे कि बच्चों के साथ–साथ उनके अभिभावक भी शैक्षिक संस्थाओं के प्रति आकर्षित हों और बच्चों के नामांकन दर में वृद्धि हो।
12. विद्यालयों का वातावरण आकर्षक ना होना		शैक्षिक संस्थाओं का वातावरण आकर्षक हो इस हेतु बच्चों को विद्यालय में बैठने की व्यवस्था सुलभ कराने हेतु प्लास्टिक की चटाई क्रय करायी जायेंगी। सहायक शिक्षण सामग्री कीसहायता से पठन–पाठन कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा विद्यालय प्रांगण को वृक्षारोपण और बागवानी के द्वारा सुसज्जित किया जायेगा तथा प्रत्येक कक्ष के लिये खेलकूद, व्यायाम एवं वादन के उपकरण सुनिश्चित किये जायेंगे जिससे बच्चा विद्यालय की ओर आकर्षित होगा और बच्चों में विद्यालय छोड़कर जाने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जायेगी।

13. गरीब बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकों का अभाव	–	विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध रायी जायेंगी जिससे कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षित किया जा सके और साक्षरता दर को ऊँचा उठाया जासके।
14. विद्यालय में अध्यापक के ठहराव में कमी	–	इसके लिये सूचनायें विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों पर एम0आई0 एस0 के माध्यम से एकत्र तथा उसका पुष्टिकरण सम्बन्धित विद्यालयसे कराया जायेगा इससे विद्यालय में अध्यापक का ठहराव बना रहेगा व सूचनाओं के संकलन में लगने वाला श्रम कम होगा व समय की भी बचत होगी।
15. शिक्षण कार्य में अध्यापक की रुचि कम होना	–	विषय–वस्तु आधारित प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित कराकर अध्यापकों में प्रतिस्पर्धाकी भावना जाग्रत करायी जायेगी जिससे अध्यापक में स्वाध्याय की भावना जाग्रत होगी तथा समय – समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्त में प्रशिक्षण आधारित एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित करायी जायेगी

जिसमेंन्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य रखा जायेगा अन्यथा की स्थिति में वार्षिकवेतन वृद्धि रोकने की व्यवस्था अमल में लायींजायेगी।

16. शैक्षक निरीक्षण/पर्यवेक्षण का अभाव – शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित एन0 पी0 आर0 सी0, बी0 आर0 सी0 प्रभारियोंप्रति उप विद्यालय निरीक्षक ए0 बी0 एस0 ए0उप बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रभावी निरीक्षण किया जायेगा व विद्यालयों में शैक्षिक व्सवस्था कोसुदृढत्र किया जायेगा।

17. सामन्जस्य का अभाव – आज के परिवेश में छात्र – अध्यापक , अध्यापक – अभिभावक के बीच सामन्जस्य का अभाव है को दूर करने के लिये प्रत्येक त्रैमास या छमाही में अभिभावक का सम्मेलन बुलाया जायेगा जिसमें अधिक से अधिक महिलाओं/विशेषकर उपवंचित/उपेक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी तथा उनके विचारों की जानकारी प्राप्त कर को।टेपरक शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा। ग्राम

शिक्षा समिति के सहयोग से नियमित अध्यापक–अभिभावक गोष्ठी आयोजित की जायेगी व समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उनके समाधान की कार्यवाही प्रस्तावित करायीजायेगी।

18. विद्यालयों में श्रेणीकरण	–	प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के लिये विद्यालयों के श्रेणीकरण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा तथा शैक्षिक अनुसमर्थन कर निम्नश्रेणी के विद्यालयों को उच्च श्रेणी में लाने के लिये आवश्यक प्रयास कराये जायेंगे।
19. सतत मूल्यांकन की सुचारु प्रणाली की कमी	–	विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मूल्यांकन कराने के लिये मासिक टैस्ट आरम्भ कराये जायेंगे तथा त्रैमासिक अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षायें आयोजित करायी जायेंगेक्योंकि मूल्यांकन ही कोटि परक शिक्षा का मूल आधार है। मूल्यांकन में क्रमवार विद्यार्थियोंके अभिभावकों से सम्पर्क कर निदानात्मक शिक्षण व्यवस्था सुलभ करायी जायेगी तथा विद्यार्थियों को पुरस्कृत कराया जायेगा।

20. गणवेश के अभाव के कारण उपस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव	–	विद्यालय में गणवेशों के अभाव में सामाजिक एकरुपता का भी अभाव बना रहता है अतःस्वच्छ गणवेश व्यवस्था को लागू किया जायेगा जिससे छात्र का वाहय व्यक्तित्व और अधिक मुखरित हो उठेगा।
21. सक्रिय सामाजिक सहभागिता का अभाव	–	विद्यालय के रख–रखाव शैक्षिक गुणवत्ता एवं वातावरण के विषयक अभिभावकों एवं अध्यापकों में सक्रिय सामाजिक सहभागिता विकसित करनी होगी कि विद्यालय राष्ट्र की सम्पत्ति है। विद्यालय हमारा है तभी विद्यालय का, विद्यालय से जुड़े समुदाय का विद्यार्थीयों का गाँव का और समाज का उत्थान ठीक होगा यहसभी कुछ ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग सेसम्पन्न किया जायेगा।
22. माइक्रोप्लानिंग करने के लिये सम्यक जानकारी की कमी	–	माइक्रोप्लानिंग सम्पूर्ण जिले की शैक्षिक व्यवस्था का आईना होती है अतः गुणवत्तापरक शिक्षा एवं शैक्षिक वातावरण तैयार करने के लिए आवश्यक है कि ग्राम शिक्षा समिति एवं ग्राम के जानकार लोगों का सहयोग प्राप्त कर गांव की माइक्रों प्लानिंग करायी जायेगी तथा उससे

प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही विद्यालय के परिवेश में सुधार लाया जायेगा।तभी विद्यालय भवन, शौचालय, अति0 कक्षा-कक्ष, गणवेश स्वच्छ हवा अनुशासन विद्यालय की चाहरदीवारी बागवानी एवं साज-सज्जा सुव्यवस्थित करायी जासकेगी।

23. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्राविधान न होना – विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति विद्यालय को संवेदनशील बनाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिलाया जायेगा तथा सर्वे कराकर इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के माध यम से आवश्यक उपकरण इत्यादि विकलांग बच्चों को सुलभ कराये जायेंगे।

24. बाल श्रमिक तथा घुमन्तू बच्चों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता – 6-14 आयु वर्ग के बाल श्रमिकों एवं घुमन्तु प्रवृत्ति के बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरुक किया जायेगा जिससे बच्चा श्रम न करके पढ़ाई करना ज्यादा पसन्द करेगा।श्रम विभाग के सर्वेक्षण कार्य का लाभ उठाकरबच्चों को उनकी योग्यता के परीक्षणोपरान्त मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

25. कार्यानुभव कराने वाली क्राफ्ट शिक्षा की कमी – आज का युग मशीनी युग है इस युग में शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक सहभागिता से पृथकरोजगार प्राप्त करने से लगाया जाता है अतः प्रत्येक उच्च–प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर द्वारा शिक्षा प्रदान की जायेगी ताकि विद्यार्थी शिक्षा के साथ–साथ धनोपार्जन की ओर भी अग्रसर हो सकें।

26. विषय अध्यापकों का अभाव – मानक के अनुरुप 40:1 के अनुसार अध्यापकों का अभाव होने के साथ ही उच्च – प्राथमिक [illegible] में विषय अध्यापकों का अभाव है। इस हेतु 40:1 केअनुसार अध्यापकों की नियुक्ति का प्रावधान [illegible] जायेगा तथा प्राथमिक स्तर पर [illegible] कम दो तथा उच्च प्राथमिक [illegible] विषय अध्यापकों में अंग्रेजी, ग[illegible], विज्ञान संस्कृत/उर्दू अध्यापकों [illegible] नियुक्ति की जायेगी तथा [illegible] की आवश्यकता को ध्यान [illegible] हुये गृह–विज्ञानअध्याप[illegible] की नियुक्ति की जाये[illegible] जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा गु[illegible] वृद्धि संभव हो सके।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली अन्य समस्याओंके समाधान हेतु समय–समय पर रणनीति तैयार की जायेगी और उसके अनुसार शैक्षिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जायेगा।

अध्याय – 6

शिक्षा की पहुंच का विस्तार (1)

.नवीन औपचारिक विद्यालय

(1) नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना –

प्रायः यह देखा गया है कि 6–11 आयु वर्ग के बच्चे काफी छोटे होने के कारण दूरस्थ स्थानों पर स्थिति विद्यालयों में प्रवेश के लिये नहीं जाते हैं और यदि उन्हें ऐसे विद्यालयों में प्रवेश दिला भी दिया जाय तो वह सत्र के मध्य में ही विद्यालय छोड़ जाते हैं ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा प्रत्येक 1.5 किमी0 पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का संकल्प लिया है। शासन की इस नीति को पूर्ण करने के लिये डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत जनपद में कुल 109 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं फिर भी हम वांछित लक्ष्य की ओर अभी तक अग्रसर नहीं हो पाये हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चिन्हित की गयी असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय को सुविधा उपलब्ध राने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

जनपद में 2508 ऐसी बस्तियाँ हैं जिनकी आबादी 300 से अधिक है और कुल 1.5 किमी0 की दूरी में 85 बस्तियों कोई विद्यालय नहीं है। अतः ऐसी बस्तियों को सेवित करने की दृ्टि से यह पाया गया है कि यदि 85 नवीन प्राथमिक विद्यालय और खोल दिये जायें तो 300 आवादी बाली समस्त असेवित बस्तियों को विद्यालीय सुविधा सुलभ हो जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 40 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। प्राथमिक विद्यालय इस प्रकार खोले जाय कि अधिक से अधिक बस्तियाँ सेवित हो जाय तथा शेष असेवित बस्तियों को विद्या केन्द्र एवं वैकल्पिक केन्द्रों द्वारा सेवित किया जाय।

सभी 40 नवीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ हो और गुणवत्ता परक शिक्षा विद्यार्थियों को मिले सके इस दृष्टि से प्रस्तावित भवनों में शौचालय, पेयजल, चाहरदीवारी, शिक्षण सामग्री, कोष्ठोपकरण, उपस्कर एवं शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार

व्यवस्था करने का भी प्रावधान रखा गया है।

नवीन प्राथमिक विद्यालय साज-सज्जा :-

प्रत्येक नवीन विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूल भूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेत मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा – मेज, कुर्सी, बाल्टी, घंटा, लोटा, गिलास, टाट पट्टी, अलमारी, संदूक, श्यामपट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्वेप्मेन्ट (ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञानकोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी। किन्तु ग्रामीण अंचलों विज्ञान किट, गणित किट, सुलभता से ग्रम शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

शिक्षा की व्यवस्था :-

प्राथमिक विद्यालयों में स्थापना होते समय एक सहायक अध्यापक तथा एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा मित्र के चयन में योग्यतम अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। भवन-निर्ताण तक ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा विद्यालय स्थापित होने तक अस्थायी पठन-पाठन की व्यवस्था करायी जोयगी।। अध्यापक तथा ग्राम-शिक्षा समितियों के सहयोग से शत प्रतिशत छात्र नामांकन कराकर उन्हें विद्यालयों में शिक्षा पूर्ण करने हेतु रोकने की व्यवस्था की जायेगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना में एक प्रधानाध्यापक तथा चार सहायक अध्यापक प्रस्तावित हैं। प्रत्येक विद्यालय में एक विषय अध्यापक तथा एक विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति का प्राविधान रखा गया है तथा इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि नवीन विद्यालयों को स्थापित करते समय अनुभवी अध्यापकों का चयन वरीयता के आधार पर किया जाये। जिससे उस नवीन विद्यालय के आस पास शिक्षा का सौहार्द पूर्ण वातावरण

स्थापित किया जा सके। अध्यापकों और शिक्षा मित्रों के चयन में 50% महिला अभ्यर्थियों के चयन को वरीयता दी जाय।

पेयजल शौचालय और चाहरदीवारी :-

विद्यालय भवन का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा प्रस्तावित/उपलब्ध स्थल पर कराया जायेगा। अधिक से अधिक यह प्रयास रहेगा कि विद्यालयों की स्थापना आबादी से दूर शुद्ध एवं खुले बातावरण में तथा छायादार वृक्षों के सन्निकट कराया जायेगा। इंडिया मार्का हैण्ड पम्प प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। इनके रखरखाव तथा मरम्मत आदि के व्यय हेतु प्रत्येक विद्यालय को धन उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय के पास छात्र-छात्राओं को अलग-अलग शौचालय की सुविधा उपलबध करायी जायेगी। इसे स्वच्छ रखने हेतु विद्यालय को वर्ष में कुछ धनराशि भी उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्रत्येक नवीन विद्यालय को अपनी एक चाहरदीवारी होगी। जिससे एक निश्चित क्षेत्रफल में शिक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण ढंग से छात्र - छात्राओं को उपलब्ध कराया जा सके। इस चाहरदीवारी के निर्माण का दायित्व ग्राम-शिक्षा समिति का होगा।

निर्माण हेतु कार्य करने वाली संस्था :-

सर्व शिक्षा अभियान से भवन, शौचालय द्वारा चाहरदीवार के निर्माण के लिये ध नराशि एक साथ विद्यालयों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। विद्यालय भवन, शौचालय तथा चाहरदीवारी के निर्माण का दायित्व ग्राम - शिक्षा समिति का होगा तथा सभी सम्बन्धित सदस्य निर्माण, गुणवत्ता की जांच समय-समय पर करते रहेंगे। तकनीकी जानकारी हेतु विकास खण्डों पर उपलब्ध अवर अभियन्ताओं का सहयोग आवश्यक रुप से लिया जायेगा और अवर अभियन्ताओं के अनेक सहयोगों के लिये मानदेय की भी व्यवस्था की जा रही है।

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत खोले जाने वाले 40 नवीन प्राथमिक विद्यालयों में खोले जाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। जैसा कि उक्त सारणी में सुस्पष्ट है। शिक्षा की व्यवस्था + पेयजल शौचालय चाहर दीवारी + निर्माण हेतु करने वाली संस्था

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय साज–सज्जा :

ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी इस ध नराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा – मेज, कुर्सी, बाल्टी, घंटा, लोटा, गिलास, अलमारी, संदुक, श्यामपट्ट, कूड़ादान, मयूजिकल इक्वेप्मेन्ट (ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि) क्रीड़ा सामग्री (फुटवाल, बालीबाल, स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प) क्लास रुप टिचिंग मटेरियल (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, ज्ञान कोष, टू–इन–वन आदि) तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

किन्तु जनपद की वास्तविक आवश्यकता एवं उपलब्धता असेवित बस्तियों को सेवित कर लिये जाने के उद्देश्य से मात्र 230 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें विद्यालय भवन की समूचित व्यवस्था के साथ ही शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी, शिक्षण सामग्री, काष्ठोपकरण तथा उपस्कर एवं शिक्षकों को भी आवश्यकता रहेगी।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साज–सज्जा एवं शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है जिसे ग्राम शिक्षा समिति द्वारा क्रय किया जोयगा।

नवीन प्राथमिक एवं नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प तथा प्रत्येक नवीन विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साज–सज्जा एवं शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है जिसे ग्राम शिक्षा समिति द्वारा क्रय किया जायेगा।

नवीन प्राथमिक एवं नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प तथा प्रत्येक नवीन विद्यालयों में बालक एवं बालिका हेतु

पृथक–पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से विद्यालय भवन को सुसज्जित एवं सुरक्षित रखने हेतु चाहरदीवारी का निर्माण कराया जायेगा जिसकी लागत को प्रत्येक विद्यालय के लागत मूल्य में सम्मिलित कर लिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा तथा सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति सद्भावना को जागृत किया जायेगा।

प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा वार एवं विषय वार शिक्षकों को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक विद्यालय के लिये एक प्रधान अध्यापक और चार सहायक अध्यापक की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है। जिन्हें सेवापूर्ण एवं सेवारत् प्रशिक्षण देकर शिक्षण कार्य हेतु दक्ष बनाया जायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में खुलने वाले 55 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 23 विद्यालय वर्ष 2002–2003 में 32 विद्यालय 2003–2004 में खोले जाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। प्राथमिक तथा नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक की आवश्यकता का संकलित विवरण इस प्रकार है –

इस प्रकार सारणी नं. 6.5 से सुस्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खोले जा रहे 40 नवीन प्राथमिक विद्यालयों में 40 प्रधान अध्यापकों एवं 40 शिक्षा मित्रों की आवश्यकता होगी तथा 55 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 55 प्रधान अध्यापकों एवं 220 शिक्षकों की आश्यकता होगी।

<u>नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने हेतु प्रयास –</u>

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की संकल्पना की गयी है इस हेतु पूर्व से संचालित विद्यालयों, यदि भूमि उपलब्ध है तो, का उच्चीकरण करते हुये किये जाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। जिससे

विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी इत्यादि का अधिकतम उपयोग किया जा सके कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में बचत की जा सके।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सर्वप्रथम नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वस्ती की आबादी एवं मानक के अनुरुप करायी जायेगी। तदुपरान्त विद्यार्थियों की उपलब्धता एवं विद्यालयों की आवश्यकता एवं उपलब्ध भौतिक संसाधनों के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा इसी के आधार पर ही आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रु0 2 लाख मात्र का प्रावधान रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग परियोजना के प्रत्येक अगले वर्ष में किया जायेगा।

निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण –

विद्यालय भवनों, शौचालयों, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि को निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा तथा इसका निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पूर्ण कराये जायेंगे।

निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण –

विद्यालय भवनों, शौचालयों, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि को निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड स्तर पर उपलबध ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा तथा इनका निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पूर्ण कराये जायेंगे।

अध्याय सात

शिक्षा की पहुँच का विस्तार भाग-2

अनौपचारिक, शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक, शिक्षा/नवाचार-

भारत के संविधान के अन्तर्गत 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चो के प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का संकल्प लिया गया है।

जनपद में पूर्व में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत 6-14 वयवर्ग के जो बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़कर बैठ गये, पैतृक व्यवसाय में अभिभावकों की कदद करने में लगे कारखानों में लगे, बाल श्रमिक बच्चे वे बालिकायें जो माता-पिता के काम पर चले जाने के आद अवोध शिशुओं की देखभल में लग गई। ऐसे अपवंचित अवोधग्रस्त बालक-बालिकाओं को उनकी सुविधानुसार अनौचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करने की व्यवस्था रही है। वर्तमान में इन बच्चों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम - ॥ के अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना वैकल्पिकशिक्षा केन्द्रों के माध्यम से शिक्षाकी मुख्याधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

अनौपचारिक शिक्षा

अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत कक्षा एक से पांच तक के पाठ्यक्रम को संघनित करके अंश कालिका शिक्षा दो घन्टे प्रतिदिन छः माह के चार समेस्टरों में प्रदान की जा जाती है। कक्षा 5 उत्तीर्ण करने पर समतुल्य प्रमाण-पत्र प्रदान कर इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। जनपद एवं में पन्द्रह विकास खण्डों में अनौपचारिक शिक्षाकी परियोजना संचालित रही है। आच्छादित विकास खण्डों नाम

इस प्रकार है। शीतलपुर, सकीट, नि0 कलां आमापुर, सहाववर अलीगंज, पब्यिाली, जैथरा, सिदपुरा, गजइण्डवारा, अवागढ़ जलेसर कासगंज, सोरो, भारहरा है। समस्त विकास खण्डों में से प्रत्येक विकास खझड में 100-100 केन्द्र संचाचित किये गये थे। प्रत्येक केनद्र में 25-25 बच्चों का पंजी करण किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति की मांग, आवश्यकता एवं 6-14 वयवर्ग आयु के निरक्षर बच्चों की संख्या के आधार ग्राम पंचायत/न्यायपंचायत स्तर पर संख्या का निर्धारित किया जाता है, अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत चैनल पर आरक्षण व्यवस्थातथा शैक्षिक योग्यता वरीयता के आधार पर चयन किया जाता है। अनुदेशक के चयनके अउपरान्त दस दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, इन केन्द्रों का निरीक्षण परियोजना अधिकारी स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यो, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उपबेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा समिति की मांग, आवश्यकता एवं 6-14 वयवर्ग आयु के निरक्षर बच्चों की संख्या के आधार पर ग्राम पंयायत/न्यायपंचात स्तर पर संख्या का निर्धारित किया जाता है, अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत चैनल पर आरक्षण व्यवस्था तथा शैक्षिक योग्यता वरीयता के आधार पर चयन किया जाता है, इन केन्द्रों का निरीक्षण परियोजना अधिकारी स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी, उपबेसिक शिक्षा, जिला बेसिक शिंक्षा अधिकारी एवं जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, द्वारा किया जाता था। अनुदेशक को रूपया 200 प्रतिमाह हो गापदेय ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा दिया जाता था।

अनौपचारिक शिक्षा हेतु द्वारा कक्षा-5 उत्तीर्ण करके बच्चों को कक्षा 6 में औपचारिक विद्यालय में प्रवेश दिला करके मुख्य धारा से जोड़ा जाता था। अनौपचारिक शिक्षा योजना 31 मार्च 2001 को समाप्त कर दी गयी है।

शिक्षा गांरटी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यकम :

जनपद [redacted] में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III के अन्तर्गत शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा कार्यकम वर्ष 2000-01 से संचालित है, शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि जनपद के ऐसे गाँव/मजरों में जहाँ 1 किमी0 के अन्तर्गत कोई परिषदीय विद्यालय नहीं है तथा 6-11 वय वर्ग आयु के कम से कम 30 बच्चे उपलब्ध हों, शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत शिक्षा की व्यवस्था सुलभ कराई जाएगी।

जनपद एट में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम-III के द्वारा शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत कुल 50 केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा गारंटी योजना के तहत खोले गये केन्द्रों को विद्या केन्द्रों के नाम से जाना जाता है। इस केन्द्र में उसी ग्राम का हाई स्कूल उत्तीर्ण व्यक्ति शिक्षण कार्य करता है जिसे आचार्य कहा जाता है। आचार्य की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, आचार्य का चयन ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा उसी गाँव के हाई स्कूल उत्तीण अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करके हाई स्कूल के प्राप्तोंको के आधार पर किया जाता है। एक आचार्य का चयन एक शैक्षिक सत्र के लिए किया जाता है। आचार्य का कार्यकाल शैक्षिक सत्र के अन्त में 31 मार्च को स्वत: ही समाप्त हो जाता है। ग्राम शिक्षा समिति 2/3 बहुत से हटा सकती है। आचार्य का मानदेय रू0 1000/- माह है। एक शैक्षिक सत्र के लिए किया गया है। आचार्य का कार्यकाल शैक्षिक सत्र के अन्त में 31 कई को स्वत: ही समाप्त हो जाता है। ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा अगले शैक्षिक सत्र के लिए आचार्य के सन्तोषजनक होने पर नवीनीकरणकर सकती है, कार्य सन्तोषजनक न होने पर ग्राम शिक्षा 2/3 बहुमत से हटा सकती है। आचार्य का मानदेय रू0 1000/- माह है। एक शैक्षिक सत्र में कुल 10 माह का मानदेय देय है। मानदेय की धनराशि जिला परियोजना कार्यलय से ग्राम शिक्षा निधि

खाते में एक साथ 6 माह की धनराशि हस्तान्तरित कर दी जाती है। जिसे ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा प्रत्येक माह समय से आचार्य को मानदेय प्रदान कर दिया जाता है। केन्द्र के संचालन हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु रूपया 2350 तथा पुस्तकों के कय हेतु रूपया 1000/- की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में स्थानांतरित की जाती है जिसे ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा कय करके विद्या केन्द्र पर उपलब्ध कराई जाती है, जिसे जिला स्तरीय गठित समिति अनुमोदन प्रदान करती है। शिक्षण कार्य हेतु स्थान व पेयजल की व्यवस्था ग्राम पंचायत उपलब्ध कराती है। शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत अभी तक कुल 75 केन्द्र संचालित है, इन केन्द्रों में विकास खण्डवार पंजीकृत बच्चों का विवरण निम्नवत् है, इन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है।

सारणी-7.1

ई0जी0एस0/केन्द्रों में पंजीकृत बच्चे (ए0आई0ई0 प्राथमिक स्तर)

एटा	EGS	AIE
केन्द्रों की संख्या	75	20
कुल छात्र संख्या	3000	10000

सर्व शिक्षा के अन्तर्गत ई0जी0एस0/वैकल्पिक एंव नवाचार शिक्षा।

जनपद में ऐसी असेवित वस्तियाँ जिनकी आबादी 300 से कम है और 1. 5 किमी0 से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा है ऐसी बस्तियों में ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जाने का लख्य है साथ ही 300 से अधिक की आबादी और 1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय वाली वस्ती हे। नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। जनपद एटा में 15 विकास खण्डों हैं। शीतलपुर, सकीट, नि0 क़लां आमापुर, सहाववर अलीगंज, पब्यिाली, जैधरा, सिदपुरा, गजइण्डवारा, अवागढ़ जलेसर

कासगंज, सोरो, भारहरा है। विकास खण्ड पटियाली व सोरो का क्षेत्र गंगा की कटरी क्षेत्र एंव दस्यु प्रभावी क्षेत्र होने के कारण शैक्षिक स्तर निमन है। जनपद का दूरस्थ विकास खण्ड सोरों भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विद्यालय पहुँच से दूर है।

शिक्षा गारंटी योजना/ वैकल्पिक एवं नवाचार योजना में लाभान्वित करने का लक्ष्य 9-14 वयवर्ग के बच्चे है। इस योजना के अन्तर्गत 6-11 वयवर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों अथवा ई0जी0एस0 केन्द्रों में प्रवेश दिलाया जाएगा। 9-14 वय वर्ग के बच्चे जो पूर्व में ही विद्यालय से ड्राप आउट हो चुके है अथवा कभी विद्यालय नहीं जाते है सड़कछाप व धुमन्तू बच्चों, बालश्रमिक, कामकाजी बच्चों को बैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों ब्रिजकोर्स या ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में औपचारिक विद्यालयों में किसी भी कक्षा में किसीभी समय प्रवेश दिलाया जा सकेगा। जिसके लिए बच्चे उपयुक्त होंगे।

सर्वेक्षण/चिन्हाकन :

ऐसी असेवित बस्तियों में जहाँ एक किमी की परिधि में विद्यालय नहीं है 6-11 वयवर्ग के कम से कम 30 बच्चों की उपलब्धता पर कक्षा 01 और 02 के लिये ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जायेगें। वैकल्पिक एवं नवाचार शिखा केन्द्रं का निर्धारण गाइकोप्लानिंग के आधार पर किया जायेगा। प्रथम चरण में जिस क्षेत्र में ई0जी0एस0 केन्द्र खोला जाना विचाराधीन होगा वहां पर ए0आई0ई0 केन्द्रों के खोलने पर सम्प्रति विचार न किया जाये। क्योंकि सर्व प्रथम यह प्रयास होना चाहिये कि प्रत्येक बच्चा औपचारिक विद्यालयों में या ई0जी0एस0 केन्द्रों में पवेश ले।

ड्रापआउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण डोज/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चें, विशेषकर, बालिकायें,

कामकाजी तथा बालश्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों, अल्पकालीन ग्रीष्म कालीन शिविरों तथा दीर्घकालिक शिविरों, ब्रिज कोर्स शिवरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहे मकतबों। मदरसों में बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता पर शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्यों से इनके क्षेत्रों में भी ए0आई0 केन्द्र खोले जायेगें।

मुख्यतः झुग्गी-झोपड़ी, मलिन बस्तियों एवं बाल श्रमिकों से आच्छादित स्थलों आदि जहां पर 9-14 वयवर्ग के ड्रापआउट एवं विद्यालय न जाने वाले न्यूनतम 20 बच्चें उपलब्ध होगें, नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेगें। इन केन्द्रों में बच्चों का प्रवेश किसी भी समय किया जा सकता है तथा इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गो के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई 'जिस स्तर के बच्चे होगें' पूर्ण कराकर औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा के प्राथमिक विद्यालय में किसी भी उपयुक्त कक्षा में किसी भी समय प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिये निकट के प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रवेश दिलाये जाने की व्यवस्था सम्पन्न करायी जायेगी। जिससे यह बच्चें अतिशीघ्र मुख्यधारा में शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ कर दें।

रणनीति :

सर्व शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से स्कूल न जाने वाले 6-8 व 9-14 वयवर्ग के बच्चों को शिक्षा को शिक्षा देकर उन्हें 2003 से 2007 तक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा हेतु समय का कोई प्रतिबन्ध नही है। वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों

में अध्ययन करने वाले छात्र किसी भी समय मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं, जिस योग्य वे है।

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नियोजन करते समय निम्न क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।

1. अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में।
2. ऐसे क्षेत्र जहां बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम हो।
3. ऐसे क्षेत्र जहां ड्रापआउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो।
4. ऐसी असेवितबस्तियां जहां प्राथमिक विद्यालय/शिक्षा गारन्टी योजना के विद्यालय न हो।
5. ऐसे क्षेत्र जहां आंशिक रूप से बाल श्रमिक, गैर खतरनाक उद्योग में संलग्न बच्चों की संख्या अधिक हो।
6. गंगा नदी का कटरी क्षेत्र जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र है।

केन्द्रों का संचालन स्थल ग्राम शिक्षा समिति की संस्तुति पर पंचायत भवन, चौपाल अथवा किसी विवाद रहित स्थान पर किया जा सकता है जो पहुँच की दृष्टि से वंचित वर्गो के लिये उपयुक्त हो।

केन्द्र संचालन का चयन :-

ई0जी0एस0 व वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन 4 घण्टे संचालित किये जायेगें। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि को नहीं दिया जायेगा।

अनुदेशक चयन :

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिक दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक यथा सम्भव उसी स्थान एवं समुदाय के उपयुक्त होग जहां पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना हो उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरीयता के आधार पर किया जायेगा तत्पश्चात अनुदेशक को आमंत्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक को आमंत्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य सन्तोष जनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटा सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

प्रस्तावों का संकलन :

माइक्रोप्लानिंग से सम्बन्धित पत्र जातों का विश्लेषण एवं समीक्षा करने के पश्चात ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों को विकास खण्ड स्तरीय समिति भारत सरकार के निर्देशानुसार उनकी समीक्षा कर प्रस्तावों का संकलन करेगी, तत्पश्चात अपनी संस्तुति सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगी। विकास खण्ड स्तरीय समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा।

1.	अध्यक्ष	खण्ड विकास अधिकारी
2.	सदस्य/सचिव	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उपविद्यालय निरीक्षक
3.	सदस्य	ग्राम प्रधान।

4. सदस्य वरिष्ठ प्रधानाध्यापक

पर्यवेक्षण/निरीक्षण की व्यवस्था

ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों का पर्यवेक्षण/निरीक्षण का लक्ष्य निम्नवत् प्रस्तावित है-

1. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य-प्रतिदिन ।
2. एन0पी0आर0सी0 समन्वय सप्ताह में एक बार प्रत्येक केन्द्र ।
3. बी0आर0स0ी समन्वयक-10 प्रतिमाह ।
4. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक 5 प्रतिमाह ।
5. जिला समन्वयक ''बेसिक शिक्षा' 10 प्रतिमाह ।
6. खण्ड विकास अधिकारी 5 प्रतिमाह ।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 5 प्रतिमाह ।
8. जिला प्रशासन 2 प्रतिमाह ।
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक 2 प्रतिमाह ।

अनुश्रवण की व्यवस्था:

प्रत्येक केन्द्र से वहां उपस्थित छात्र/छात्राओं की उपस्थिति ड्राप आउट की स्थिति ड्राप आउट को पुन: केन्द्र पर लाने की स्थिति, शैक्षिक स्तर मुख्य धारा से जुडाव, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता केन्द्र स्थल का रख-रखाव, सामुदायिक सहभागिता, निरीक्षण

मूल्यांकन तथा उनकी कठिनाइयों, बैठकों के आंकड़ों का संकलन मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक बैठकों में विकास खण्ड स्तर पर किया जायेगा।

डाइट पर प्रतिमाह ब्लाक समन्वयक की बैठक में निरीक्षण आख्याओं के आधार पर अनुश्रवण किया जाएगा।

शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक
एवं
नवाचार शिक्षा योजना
हेतु चिन्हित स्थानों का विवरण

एटा जनपद में कुल 15 विकास खण्डों में 450 एआईई प्राथमिक स्तर पर आवश्यकता है। जिनका विवरण विकास खण्डवार सारिणी संख्या 7:2 में दर्शाया गया है।

ए0आई0ई0 की कुल आवश्यकता-450

केन्द्र खोले जाने की प्रक्रिया :-

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र, सभासद सम्बन्धित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्र0 अ0/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार मकतब/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक होने की स्थिति में मकतबों/मदरसों में सतुलित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अन्यथा सम्बन्धित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह

व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो मकतबों में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रस्तावित करना होगा कि स्थानीय जन समुदाय को अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी यदि आवश्यक हुआ तो सम्मिलित किया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिये अनुदेशकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिये। जहां पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो वहां पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक का प्रशिक्षण :-

एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा विकसित माड्यूल के अनुसार डायट पर 30 दिन का प्रशिक्षण होगा। उच्च प्राथमिक केन्द्रों का प्रशिक्षण 40 दिन का होगा। प्रशिक्षण के उपरान्त उनको नियुक्त पत्र दिया जायेगा। प्रशिक्षण में पूरे समय भाग न लेने या असत्य होने पर नियुक्त पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

शिक्षणा अधिगम सामग्री की व्यवस्था :-

प्रत्येक ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों की साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के ग्राम शिक्षा निधि खातें में हस्तान्तरित की जायेगी, ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री का बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सभी अनुदेशकों को उपलब्ध करायी जायेगी साथ

ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगी। केन्द्रों की साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

संलग्न सूची

ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों को दी जाने वाली सामग्री का विवरण

(50 बच्चों पर अनुमानित)

क्र0	सामग्री का विवरण	संख्या
1.	टिन का बॉक्स, ताला सहित	01
2.	लकड़ी का ब्लैक बोर्ड (स्टेण्ड सहित)	02
3.	टाट पट्टी	05
4.	मानचित्र 1- जनपद 2- राज्य 3-देश	03
5.	छात्र उपस्थिति पंजिका	03
6.	रजिस्टर	02
7.	चॉक	आवश्यकतानुसार
8.	डस्टर	02
9.	स्लेट (प्रति बच्चा)	01
10.	पेन्सिल डिब्बा (स्लेट हेतु)	30
11.	कॉपी 120 पेज की	6 कापी प्रति बच्चा-1 वर्ष के लिये
12.	फुटबाल	02
13.	रस्सी कूदने के लिये	03
14.	रिंग	03
15.	स्केल	05
16.	क्रेयान कलर	20 पैकेट
17.	एवेकस 'छोटा'	05
18.	पेन्सिल	6 पेन्सिल प्रति बच्चा एक वर्ष हे।

शिक्षा गारंटी योजना/नवाचार केन्द्र :-

जनपद एटा में 5+ से 14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले लगभग 83605 है। जिसमें लगभग 60000 बच्चें विभिन्न मान्यता प्राप्त/परिषदीय/राजकीय संस्थाओं में नामांकित किये गये। परन्तु लगभग 23000 बच्चें कहीं भी शिक्षा ग्रहण नहीं करते है। इन बच्चों के लिए ए0आई0ई0 केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त ड्राप आउट बच्चों को ए0आई0ई0 केन्द्र में लाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्राविधान है। 150 बस्तियों में ए0आई0ई0 उच्च प्राथमिक स्तर एवं प्राथमिक स्तर पर केन्द्र खोले जायेगें।

सारिणी 7.4 के अनुसार बस्तियों में ए0आई0ई0 उच्च प्राथमिक स्तर एवं प्राथमिक स्तर के केन्द्र खोले जाऐंगें।

सारिणी 7.5

ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थापना का वर्षवार लक्ष्य

क्र.	वित्तीय वर्ष	खोले जाने वाले केन्द्रों की सं0								
		ई0जी0एस0			ए0आई0ई0 प्रा0 स्तर			ए0आई0ई0 उ0प्रा0 स्तर		
		पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग
1	2002-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2003-04	-	-	-	20	-	20	-	-	-
3	2004-05	-	-	-	20	295	315	-	135	135
4	2005-06	-	-	-	-	-	315	-	-	135
5	2006-07	-	-	-	-	-	315	-	-	135

हाउस होल्ड सर्वे 2003 पर आधारित

स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति जनू 2003

सारिणी 7.1

क्र.	स्कूल न जाने का कारण	आयु								
		5+ से 6+		7+ से 10+		11+ से 14+		कुल		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1	श्रम	143	155	693	129	1605	205	2441	489	2930
2	घरेलू कार्य में	4792	3343	4780	4381	4309	4151	13881	11875	25756
3	बच्चों की देखभाल	3298	4355	1116	2781	782	2294	5196	9430	14626
4	विद्यालय की अनुउपलब्धता (अधिक दूरी)	626	729	436	298	282	294	1345	1321	2666
5	अन्य कारण	9737	6011	6791	4729	6133	4226	22661	14966	37627
	योग	18596	14593	13816	12318	13112	11170	45524	38081	83605

स्कूल न जाने वाले छात्र एवम् छात्राओं के लिये AIE की व्यवस्था

हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति सारणी में दर्शायी गयी है।, हाउस होल्ड सर्वे माह मई 2003 में किया गया था उस समय स्कूल न जाने वाले बालक एवं बालिकाओं की कुल संख्या 83605 थी। 2003-04 का सत्र शुरू होने पर लगभग 60000 बालक एवम बालिकाओं का नामांकन विभिनन विद्यालयों में पंजीकृत किया गया। अत: अवशेष बच्चों लगभग 18000 के लिये AIE की व्यवस्था की गयी है।

सारणी- 7.2

क्रम सं0	ब्लाक का नाम	स्कूल न जाने वाले बालक एवं बालिकाएं	AIE प्राथमिक स्तर पर
1.	शीतलपुर	1200	30
2.	सिढ़पुरा	1200	30
3.	समीट	1200	30
4.	सोंरो	1200	30
5.	सहावर	1200	30
6.	अवागढ़	1200	30
7.	अंमापुर	1200	30
8.	अलीगंज	1200	30
9.	जलेसर	1200	30
10.	जैथरा	1200	30
11.	नि0 कलां	1200	30
12.	मारहरा	1200	30
13.	कासगंज	1200	30
14.	पटियाली	1200	30
15.	राजडूण्डवारा	1450	30

जनपद में विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण -

स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालय में लाने हेतु जनपद स्तर पर ब्रिज कोर्स एवं वैकल्पिक नवाचार शिक्षा कार्यक्रम संचालित किये जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इनके द्वारा स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े जाने का लक्ष्य है।

1. घरेलू कार्य में लगे रहना।

2. मजदूरी में लगे रहना।

3. भाई बहनों की देखभाल करना।

4. अन्य कारण

उपरोक्त कारणों से स्कूल न जाने वाले बालक एवं बालिकाएं जिनकी संख्या लगभग 24000 है को निम्न तालिकानुसार शिक्षा से जोड़े जाने का लक्ष्य है

क्र.		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें
1	ब्रिज कोर्स (न्याय पंचायत)	149	6000	149	6000	149	6000	149	6000
2	वैकल्पिक एवं नवाचार कार्यक्रम	450	18000	450	18000	450	18000	450	18000

कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति (2003 की स्थिति)

क्र0सं0	विकास खण्ड	6 से 11 वय वर्ग			11-14 वय वर्ग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	शीतलपुर	1246	1173	2419	2021	1169	1390
2.	सिढ़पुरा	727	584	1311	952	431	1383
3.	सकीट	1105	780	1885	389	351	740
4.	सोरो	6999	5537	12536	2477	2223	4700
5.	सहावर	1212	827	2036	717	79	250
6.	अवागढ़	1671	1245	2916	335	414	749

7.	आयापुर	934	960	1894	670	522	1192
8.	अलीज	3202	3353	9555	342	685	1027
9.	जलेसर	1736	1531	3276	362	469	831
10.	जैथरा	176	151	327	171	36	207
11.	नि0कला	1758	1579	3337	1295	1236	2531
12.	पटियाली	1118	1502	2620	465	347	812
13.	गंजडुडवारा	1179	1068	2247	102	110	212
14.	नगर क्षेत्र एटा	2012	1961	3973	505	447	952
15.	नगर क्षेत्र कासंगज	5129	3196	8325	1981	1916	3897
16.	नगर क्षेत्र जलेसर	201	144	345	145	107	252
17.	कासगुंज	51	55	106	84	43	127
18.	जलोसर	575	512	1087	264	233	497
19.	गंज डुडवारा	225	152	377	181	128	309
20.	सोरो	41	45	86	51	28	79
21.	मारहारा	545	466	920	153	198	251
22.	योग	31751	26821	58572	13116	11172	24288

स्रोत : हाउस होल्ड सर्वे 82860 कुल

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों ब्रिजकोर्स या ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में औपचारिक विद्यालयों में किसी भी कक्षा में किसी भी समय प्रवेश दिलाया जा सकेगा। जिसके लिए बच्चे उपयुक्त होगें।

पर्यवेक्षण/निरीक्षण की व्यवस्था :-

ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों का पर्यवेक्षण/निरीक्षण का लक्ष्य निम्नवत् प्रस्तावित है-

1. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य- प्रतिदिन ।

2. एन0पी0आर0सी0 समन्वय सप्ताह में एक बार प्रत्येक केन्द्र।

3. बी0आर0सी0 समन्वयक-10 प्रतिमाह।

4. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक 5 प्रतिमाह।

5. जिला समन्वयक ''बे0शि0' 10 प्रतिमाह।

6. खण्ड विकास अधिकारी 5 प्रतिमाह।

7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 5 प्रतिमाह।

8. जिला पशासन 2 प्रतिमाह।

9 मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक 2 प्रतिमाह।

अनुश्रवण की व्यवस्था :-

प्रत्येक केन्द्र से वहां उपस्थिति छात्र/छात्राओं की उपस्थिति ड्राप आउट की स्थिति ड्राप आउट को पुनः केन्द्र में लाने की स्थिति, भौतिक स्तर मुख्य धारा से जुड़ाव, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, केन्द्र स्थल का रख-रखाव, सामुदायिक सहभागिता, निरीक्षण मूल्यांकन तथा उनकी कठिनाइयों, बेठकों के आंकड़ों का संकलन मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक बैठकों में विकास खण्ड स्तर पर किया जाएगा।

डाइट पर प्रतिमाह ब्लाक समन्वयक की बैठक में निरीक्षण आख्याओं के आधार पर अनुश्रवण किया जाएगा।

अध्याय–आठ

ठहराव एवं सम्वर्धन:-

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य प्रगति में अब तक के अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बालक/बालिकाओं का विद्यालय में पंजीकरण तो हो जाता है। कतिपय कारणों से ठहराव में वृद्धि न होने के कारण ड्राप आउट की समस्या आती है। सर्वशिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्धि करने के लिये कारगर प्रयास किये जा रहे है जिनमें मुख्य प्रयास निम्नांकित है।

सारणी:-

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता (माँग)

सारणी 8.1

क्रमांक	विवरण	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1.	विद्यालय पुनर्निर्माण	20	--
2.	अतिरिक्त कक्षाकक्ष	1415	112
3.	पेयजल सुविधा	140	110
4.	शौचालय	854	105
5.	चहारदीवारी	--	--

सारणी 8.2

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में शिक्षकों की आवश्यकता:

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षा मित्र	योग (3+4)	40:1 से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक	अति शिक्षक	अति शिक्षा मित्र
1.	2003-04	309812	5205	1960	7165	7745	580	290	
2.	2004-05	317557	5495	2250	7745	7939	194	97	387
3.	2005-06	325465	5592	2357	9739	8137	198	99	99
4.	2006-07	333633	5691	2446	8137	8341	204	102	102

सारिणी 8.3

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता

क्र0 सं0	वर्ष	40:1 दर से कक्षाकक्ष	वर्तमान कक्षाकक्षा	नवीन विद्यालयों के कक्षाकक्ष	योग (4+5)	आवश्यक शिक्षक	वर्षवार मांग
1.	2002-03	288496	7212	--	--	--	---
2.	2003-04	300517	7512	4091	---	4091	---
3.	2004-05	309812	7745	4091	80	4171	500
4.	2005-06	317557	7938	4591	--	4591	500
5.	2006-07	325496	8137	5091	--	5091	415

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 3 कक्षा कक्ष के अनुसार अतिरिक्त कक्षा कक्षों की मांग ।

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकड़े प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़े प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

सारिणी 8.4

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

क्र0 सं0	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
1.	2001-02	294	64	1790	1218	572
2.	2002-03	358	97	2275	1218	1057
3.	2003-04	455	64	2595	1218	1377
4.	2004-05	519	0	2595	1218	0
5.	2005-06	519	0	2595	1218	0
6.	2006-07	519	0	2595	1218	0
7.	2007-08	519	0	2595	1218	0
8.	2008-09	519	0	2595	1218	0
5.	2009-10	519	0	2595	1218	0

सारिणी 8.5

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–कक्षों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में कक्षा–कक्षों की आवश्यकता

क्र0 सं0	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
1.	2001-02	294	64	1432	--	--
2.	2002-03	358	97	1820	--	--
3.	2003-04	455	64	2076	1964	112
4.	2004-05	519	0	2076	2188	0
5.	2005-06	519	0	2188	2188	0
6.	2006-07	519	0	2188	2188	0
7.	2007-08	519	0	2188	2188	0
8.	2008-09	319	0	2188	2188	0
5.	2009-10	519	0	2188	2188	0

विद्यालय की सुविधाएं

विद्यालय रखरखाव एवं विद्यालय विकास अनुदान:

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय भवन के रखरखाव हेतु प्रतिवर्ष 5000 का अनुदान दिया जायेगा एवं रूपये 200 प्रतिवर्ष विद्यालय विकास अनुदान प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं सहायता प्राप्त इण्टरकालेज एवं राजकीय इण्टर कालेज एवं राजकीय इण्टर कालेजों 60 में भी दिया जायेगा।

सारणी सं0 8.6

क्र0 सं0	वर्ष	विद्यालय की संख्या			विद्यालय विकास अनुदान रु0 2000	रखरखाव अनुदान रु0 5000
		प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	योग		
1.	2002-03	1822	455	2277	2180	2180
2.	2003-04	1862	519	2381	2277	2277
3.	2004-05	1862	519	2381	2381	2381
4.	2005-06	1862	519	2381	2381	2381
5.	2006-07	1862	519	2381	2381	2381
6.	2007-08	1862	519	2381	2381	2381
7.	2008-09	1862	519	2381	2381	2381
8.	2009-10	1862	519	2381	2381	2381

विद्यालय विकास अनुदान एवं रखरखाव अनुदान की आवश्यकता

अतिरिक्त कक्षा कक्ष:

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में 3991 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 77 कक्षा की आवश्यकता है। इसके उपरान्त सभी प्राथमिक विद्यालय तीन कक्षीय. एवं उच्च प्रा0 वि0 चार कक्षीय हो जायेंगे कक्ष बनवाने हेतु 2002 से 2007 तक कुल 4068 अतिरिक्त कक्षाकक्ष के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2005-06 में ....05.... प्राथमिक एवं ....05.... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। वर्ष 2002-03 मे 25 की प्राप्ति हो चुकी है। कुल लक्ष्य 879 का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	300	
2005-06	300	
2006-07	254	
योग	854	

सारणी सं0 8.7

वर्तमान एवं आगामी वर्षो में उच्च प्रा0वि0 में अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता

क्र0 सं0	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	1:4 की दर से	वर्तमान कक्षा-कक्ष	आवश्यक कक्षा-कक्ष
1.	2002-03	455	1820	1723	97
2.	2003-04	519	2076	2044	32
3.	2004-05	---	---	---	---
4.	2005-06	---	---	---	---
5.	2006-07	---	---	---	---
6.	2007-08	---	---	---	---
7.	2008-09	---	---	---	---
8.	2009-10	---	---	---	---

सारणी 8.8

वर्तमान एवं आगामी वर्षो में प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवययकता वर्षवार

क्र0 सं0	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	वर्तमान कक्षा-कक्ष	नवीन विद्यालय के कक्षा-कक्ष	योग	आवश्यक कक्षा-कक्ष	मांग	वर्ष वार मांग
1.	2002-03	1822	--	4091	---	4091	5466	1375	--
2.	2003-04	1822	40	4091	80	4171	5586	1415	500
3.	2004-05	---	---	---	---	---	---	---	500
4.	2005-06	---	---	---	---	---	---	---	415
5.	2006-07	---	---	---	---	---	---	---	---

नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण:

स्कूल चलों अभियान के अन्तर्गत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये नि:शुल्क पाठय पुस्तक वितरण की योजना है। जिसका वर्षवार लक्ष्य निम्नवत् है:-

सारणी 8.9

6-14 वय वर्ग कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण हेतु वर्षवार अनूसूचित जाति तथा कुल बालिकाएं ।

मुफ्त उच्च पुस्तिकाओं के तिवरण के लिए

क्र0 सं0	वर्ष	6-11 वय वर्ग प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		बालक	बालिकाएं	योग	अनु0 बालक	बालिकाए	योग
1.	2002-03	00	00	00	00	00	00
2.	2003-04	46448	191109	237557	19881	27507	47388
3.	2004-05	47609	195886	243495	20378	28194	48572
4.	2005-06	48799	200783	249582	20887	28900	49787
5.	2006-07	50019	205802	255821	21410	29622	51032

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग किए जाने से सार्थक परिणाम की संभावना है। कम्प्यूटर शिक्षा से जहां एक ओर लंक्ष्यों को सीखने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी शिक्षकों को विषय सामग्री को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में सुविधा होगी। शिक्षकों तथा बच्चों दोनों को नवीवनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकेंगे। कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिये परियोजना जनपदों में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों को अन्तर्गत प्रथमत: प्रतिवर्ष 10-10 विद्यालयों को चयनित किया जायेगा तथा एक जनपद में

सपूर्ण परियोजना अवधि में कुल 170 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रतिवर्ष एक मुश्त 60000 रु0 व्यय किये जायेगें।

क्र0 सं0	क्रमवार	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	कम्प्यूटर हेतु उ0प्र0वि. की संख्या	0	10	10	10	10

शौचालय:

जनपद के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 78 ऐसे है. जिनमें शौचालय उपलब्ध नहीं है। 2002-03 एवं 2004 में क्रमश: 78 शौचालय बनवाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्राथमिक विद्यालय जर्जर भवन:

जनपद मे 13 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे है। जिनके भवनों के पुन: निर्माण कार्य हेतु 2003 से 2007 तक का पुर्ननिर्माण हेतु लक्ष्य रखा गया है।

पेयजल व्यवस्था:-

जनपद में 41 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे है जहां पेयजल की सुविधा नहीं है। 2004-2005 में इन विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था हेतु लक्ष्य रखा गया है।

पुर्ननिर्माण-प्राथमिक विद्यालय:-

जनपद में 20 प्राथमिक विद्यालय के भवन जर्जर अवस्था में है इनको पुन: निर्माण हेतु 2004-2005 एवं 2005-06 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

सारणी 8.10

वित्तीय वर्ष	विद्यालय पुर्ननिर्माण		पेयजल सुविधा		शौचालय		चहार दीवारी		अतिरिक्त कक्षा-कक्षा	
	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0
2004-05	10	--	70	55	285	55	--	--	500	--
2005-06	10	--	70	55	285	50	---	---	500	---
2006-07	---	---	---	---	184	---	---	---	415	112
2007-08	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2008-09	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2009-10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Total	**20**	**8**	**140**	**110**	**854**	**105**	**---**	**---**	**1415**	**112**

बालिका शिक्षा

सभी जन समुदाय के मिश्रित होने से ही राष्ट्र की उन्नति एवं विकास होता है। इस तथ्य के कारण भारतीय संविधान में 6-14 वर्ष में आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के प्राविधान के प्रति अपनी वचन बद्वता व्यवस्था की है। संविधान में राज्य को निर्देश दिया गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान किया जाय। पंचवर्षीय योजनाओं में संविधान में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वचनबद्धता का समर्थन किया है। एवं अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आरंभ किया है। बालिका शिक्षा के प्रचलित परिवेश एवं रणनीतियों में समय के साथ बदलाव आया है। 1986 में अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पश्चात् आरम्भ की गई कार्यनीति के अन्तर्गत महिलाओं की समानता में बदलाव लाने के लिए किया गया है। नहिलाओं की निरक्षता को दूर करने के लिए प्राथमिक शिक्षा तक उउनकी पहुंच एवं धारण में आने वाली

कठिनाइयों को दूर करने को प्राथमिकता दी जायेगी एवं इसमें विशेष सहायक सेवाओं के समरबद्ध लक्ष्य का सुचारू रूप से अनुश्रवण होगा ।

उत्तर प्रदेश में साक्षरता की राष्ट्रीय दर 52.2 प्रतिशत के विपरीत 41.6 प्रतिशत है। महिलाओं एवं पुरुषों की राष्ट्रीय साक्षरता दर 64.1 प्रतिशत और 25.3 प्रतिशत है। अनूसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर कई जिलों में 7 प्रतिशत से भी कम है। नामांकन आंकडें ने केवल जोड़कर व सामाजिक समूह को भी दर्शाते है। यह अनुमान है कि स्कूल में प्रवेश होने वाले बच्चों में से 56 प्रतिशत कक्ष्ज्ञा-3 उत्तीर्ण करने से पूर्व ही शाला त्याग कर देते हे।

उत्तर प्रदेश में बालिकाओं का कुल नामांकन अनुपात के 1996-97 से 1999-2000 में बालिकाओं के जी0ई0आर0 में 98 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1996-97 में 84.4 प्रतिशत बेसिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 के मुताबिक राज्य का संपूर्ण कुल नामांकन 100 प्रतिशत है। 1999-2000 में बालिकाओं के लिए यह 105.3 प्रतिशत एवं बालिकाओं के लिए 98.7 प्रतिशत है। 1999-2000 बालिकाओं के 1996-97 में कुल नामांकन अनुपात की तुलना में यह 24.6 प्रतिशत है।

बालिकाओं की शिक्षा के अवरोधक तत्वः

बालिकाओं के नामांकन में मुख्य अवरोधक, समाज में प्रचलित सामाजिक धारणाएं आर्थिक बाध्यता, बस्तियों में स्कूल का अभाव एवं महिला शिक्षिकाओं का अभाव है। बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय की मांग न होना भी निम्नवत् नामांकन का एक प्रमुख कारण है। स्कूल का वातावरण भी बालिकाओं की शिक्षा को प्रेरित नहीं कर पाता है और न ही उनकी विशेषताओं को उभारता है। अतिरिक्त कार्य होने पर उन्हें

घर में रोक लिया जाता है। जिसमें उनकी स्कूल में उपस्थिति में भारी कमी हो जाती है।

प्रयास एवं सुझाव:

1. जागरूकता क्रियाकलापों द्वारा बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय वातावरण बनाये जाने पर जोर ।
2. जेण्डर संवेदन बनाना जिससे समाज बाकिलाओं **की** शिक्षा को समानता और सहजता से समझ सकें ।
3. महिला तथा बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने एवं जोर डालने वाली सामग्री विकसित करना ।
4. **शिक्षकों को कक्षा में जेण्डर भेदभाव पर आधारित क्रियाकलापों को रोकने हेतु प्रशिक्षित किए जाने के लिए प्रशिक्षण माण्ड्यूल विकसित करना ।**
5. **ई0सी0सी0ई0 तथा अन्य वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करना ।**
6. प्राथमिक शिक्षा से उच्च स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं को जोड़े रखने की रणनीति से कार्य।

कार्यक्रम:

बालिकाओं की शिक्षा हेतु समुदाय के साथ कार्य करना । बालिकाओं की शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता निम्नांकित होगी।

1. बालिकाओं के नामांकन ठहराव एवं विद्यालय के प्रबन्ध में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाना ।

2. महिला समूहों का संगठन एवं महिला समाख्या के साथ उनका समन्वयन ।

3. माता शिक्षक संघ एवं अभिभावक शिक्षा संघ का गठन ।

4. ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना ।

मीना कैम्पेन:

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सामुदायिक वचनबद्धता के विकास के लिए "मीना कैम्पेन" नामक एक विशिष्ट योजना का आरम्भ किया गया। यह यूनिसेफ द्वारा तैयार की गयी मीना नामक बालिका पर दर्शायी गई एक शिक्षाप्रद फिल्म है।

माँ-बेटी मेला एवं महिलाओं की संसद:-

बालिकाओं की शिक्षा के विषय में महिलाओं का संगठित होना आवश्यक है और इस उद्देश्य से माँ-बेटी मेलों और महिला संसदों का आयोजन किया जाता है, इन मेलों का मुख्य उद्देश्य:-

1. बालिकाओं की शिक्षा के विषय में जागरूकता बढ़ाना ।

2. बाकिलाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में महत्व बताना ।

3. शिक्षकों एवं अभिभावकों के बीच एक क्रियाशील सम्बन्ध की स्थाना ।

4. बालिकाओं द्वारा अनुभव की गई समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट कराना ।

5. बेटे और बेटियों के प्रति लोगों के विचारों को जानने के लिए जेण्डर आधारितवार्ताओं का आयोजन ।

समानता के लिए शिक्षा:

महिला संगठनों के अतिरिक्त महिला समाख्या कार्यक्रम विभिन्न आयु वर्गो के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। महिला समाख्या कार्यक्रम में शैक्षिक एवं अन्य हस्तक्षेप समुदाय जैसे महिला संघों के साथ मिलकर विकसित किए गए है। जैसे-

बालकेन्द्र किशोरी संघ, किशोरी केन्द्र एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र:

संघ की महिलाओं द्वारा छोटे बच्चों, किशोरी लड़कियों आदि की शिक्षा के लिए व्यवस्था व्यक्त की गई, इसके पश्चात् बाल केन्द्रों एवं किशोरी केन्द्रों की संकल्पना की गई है।

किशोरी संघ:

किशोरी संघ का उदय किशोरी केन्द्रों से हुआ है, यह किशोरियों का समूह जिनका संगठन स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण, कानूनी साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जैसे विषयों को ध्यान में रखकर किया गया है।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र:-

प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने हेतु उन बालिकाओं को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित किया जायेगा जो अपरिहार्य कारणोंसे विद्यालय नहीं आ रही है।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणीनति:-

बालिकाओं के ठहराव हेतु कुछ समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण ।

1. माह में 5 दिन से अधिक उपस्थित पर हरा निशान ।

2. माह में 7-15 दिन की उपस्थिति पर पीला निशान ।

3. माह में 6 दिन से कम उपस्थिति पर लाल निशान ।

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा। यह निशान प्रति माह चार्ट पर इंगित कर कक्षावार टॉग दिया जायेगा। तथा ग्राम स्तरीय समूह बैठकों पर चर्चा किया जायेगा तथा बच्चों को रिबन के बैज प्रदान किया जायेगा।

सत्र के मध्य एवं सत्रांत के अन्त में अभिभावक सम्मेलन:-

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हें अवगत कराते हुए नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गांव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें जिनके बच्चें नियमित विद्यालय आ रहे हैं ।

कोहार्ट स्टडी:-

अधिकतम शाला त्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले वर्षो का बच्चों का शाला त्याग दर रजिस्टर से निकालकर ऐसे बच्चें को सूचीबद्ध किया जायेगा। जिन्होंने पिछले साल पांच साल में विद्यालय छोड़ा है ऐसे बच्चों के लिए ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुन: विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा ।

ग्रीष्मकालीन शिविरः-

ऐसे गांव जहां न्यूनतम् 40 बालिकाएं शाला त्याग के रूप में चिन्हित की जायेगी उन गांव में उन बालिकाओं के दस दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर चलाकर उन्हें पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

सारणी 8.8

वर्तमान एवं आगामी वर्षो में प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवययकता वर्षवार

क्र0 सं0	वर्ष	ग्रीष्मकालीना शिविरों की संख्या	
		प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	2002-03	--	--
2.	2003-04	-	--
3.	2004-05	75	---
4.	2005-06	75	---
5.	2006-07	75	---
6.	2007-08	---	---
7.	2008-09	---	---
8.	2009-10	---	---

कलाजत्था अभियानः

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कलाजत्था एक सशक्त माध्यम है बालिकाओं बीच में विद्यालय छोड़ दे यह सुनिश्चित करने के लिये स्कूल में कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गांव गांव में नाटकों की प्रस्तुतियां की जायेगी। यह अभियान ऐसे गांवों में चलाया जायेगा जहां महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण:-

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशीन बनाने हेतु अलग से शिक्षकों को जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बालक/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपाश्कों परचर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

माडल क्लस्टर डेवलपेंटल एप्रोच (एम0सी0डी0ए0):-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड की 5 न्याय पंचायतों को, जो महिला साक्षरता दर में कम हो, बालिकाओं को ड्राप आउट अधिक हो, आदर्श न्याय पंचायतों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रक्षा गया हो। जिससे उन न्याय पंचायतों में बालिकाओं का शत-प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित किया जा सकें। इसके अन्तर्गत आच्छदित न्याय पंचायतों में कला-जत्था का प्रदर्शन, एम0टी0एव/डब्ल्यू0एम0जी0 का गठन एवं प्रशिक्षण, मीना-कैम्पेन, पी0आर0ए0, तारांकन, ठहराव परिक्रमा आदि कार्यक्रम किये जायेंगे। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत अभी तक तीन विकास खण्डों को इस कार्य के लिए आच्छदित किया जा चुका है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत माडल क्लस्टर डेवलपमेन्टल एप्रोच हेतु विकास खण्डों का आच्छादन निम्नवत् होगा-

सारणी 8.13

वर्ष	एम0सी0डी0ए0 से0 अज्ञच्दाछित विकास खण्ड			कार्यक्रम कला जत्था	मीना कैम्पेन शो	बाल मेला न्याय न्याय पंचायत स्तर	एम0टी0ए0 पी0टी0ए0 प्रशीक्षण	महिला प्रेरक दल प्रशिक्षण	ग्रा0शि0स0 प्रशिक्षण त्रिदिवसीय
	पूर्व से आच्छदित	नवीन प्राविधान	कुल						
2002-03	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2003-04	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2004-05	--	20	20	--	90	--	--	05	604
2005-06	--	20	20	--	110	--	---	05	604
2006-07	---	20	20	---	130	---	---	05	--
2007-08	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2008-09	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2009-10	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Total	--	**60**	**60**	--	**330**	--	---	**15**	**1208**

शिशु शिक्षा केन्द्रों को खोलना:

छोटे भाई बहनों की देखरेख में लगे रहने के कारण जो बालिकायें विद्यालय नहीं जा पाती या विद्यालय में पर्याप्त समय नहीं दे पाती जिससे उनका ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पाता तथा कुछ बालिकाओं इन कार्यो में अधिक व्यस्ता रहने के कारण विद्यालय छोड़ देती ह। इन बालिकाओं को विद्यालयों में लाने के लिये शिशु-शिक्षा केन्द्रों को खोला गया। यह केन्द्र आई0सी0डी0एस0 को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के द्वारा विद्यालय समय के अनुसार विद्यालय में चलाये जाते है कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय का अतिरिक्त मानदेय डी0पी0ई0पी0 के द्वारा दिया जाता है तथा प्रत्येक केन्द्र पर 5000 की शैक्षिक सामग्री हेतु दी जाती है। और प्रत्येक वर्ष 1500 रूपये आकस्मिक व्यय हेतु ।

प्रथम चरण में यह केन्द्र ऐसे विकास खण्ड में जहां की महिला साक्षरता दर कम थी। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत 2000-2001 में विकास खण्ड कालाकांकर में 25 केन्द्र तथा मंगरौरा में 25 केन्द्र कुल 50 केन्द्र खोले गये है।

द्वितीय चरण में 2001-2002 में विकास खण्ड गौरा में 30 एवं विकास खण्ड लक्ष्मणपुर में 30 कुल 60 केन्द्र खोले जा रहे है। इस तरह कुल 110 केन्द्र डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत खोले जा चुके है।

सारणी सं0 8.14

सर्व शिक्षा के अन्तर्गत नवीन ई0सी0ई0ई0 केन्द्रों की आवश्यकता

वर्ष	पूर्व से संचालित केन्द्र	नवीन केन्द्र	क्रमागत योग
2002-03	97	0	97
2003-04	--	0	--
2004-05	--	0	--
2005-06	--	30	30
2006-07	---	45	45
2007-08	---	0	--
2008-09	---	0	--
2009-10	---	0	--

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता:-

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जिन विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 के आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है इन विकास खण्डों में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र (ECCE) खोले जायेगें।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभवः-

शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के पारिवारिक पारम्परिक एवं गैर पारंपरिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी।

वर्तमान शिक्षा में बालिकाओं हेतु उनके भावी जीवन हेतु उपयोगी कार्यक्रमों में अभाव में शिक्षा के प्रति उनकी रूचि एवं अभिभावकों की जागरूकता अपेक्षानुकूल नहीं है शिक्षा प्रणाली में उपर्युक्त कार्यक्रमों के सम्मिलित हो जाने से निःसंदेह बालिकाओं का विद्यालय के प्रति रूचि बढ़ेगी तथा अभिलेख बालिकाओं को नामांकन एवं उनकी शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो जायेंगे। सिलाई-कढ़ाई, बुनाई, कलाचित्रण के साथ-2 स्थानीय आवश्यकता के अनुसार टोकरियां बनाने मिट्टी के खिलौने कागज के सामान आदि बनाने के प्रशिक्षण से जोड़ा जायेगा।

सामुदायिक सहभागिता के कार्यक्रमः-

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में शासन स्तर से लागू किये गये कार्यक्रमों में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसमें उन लोगों की सहभागिता नहीं थी जिनके हितों के लिए कार्यक्रम संचालित किये गये थे। वैसे तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में लागू होने से पहले की जिला बेसिक शिक्षा समिति/नगर बेसिक शिक्षा समिति/विद्यालय शिक्षा समिति/ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाता रहा था किन्तु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-3 से आच्छादित होने के उपरान्त समुदाय का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने की संकल्पना की गयी। इसके लिए ग्राम शिक्षा समिमियों को क्रियाशील बनाने के लिए ग्राम

शिक्षा समितियों के त्रिदिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ के दो वर्षो में कराने का लक्ष्य रखा गया तथा प्रथम वर्ष में 1105 ग्राम शिक्षा समितियों में से 500 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1105 ग्राम शिक्षा समितियों तथा 90 वार्ड शिक्षा समितियों के द्विदिवसीय प्रशिक्षण की योजना बनाई गयी है।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण में निम्नलिखित प्रकार से सहयोग की अपेक्षा की गयी-

(क) नामांकन में सहयोग:-

6-14 आयु वर्ग के सभी बालक बालिका जिनमे अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा विकलांग बच्चों के नामांकन पर विशेष ध्यान देते हुए शपप्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें समुदाय के द्वारा परिवार सर्वेक्षण के उपरान्त प्राप्त आंकड़ों के आधार पर माइक्रोप्लानिंग तथा ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण करते हुए निकटतम् प्राथमिक विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/में चिन्हित स्कूल न जाने वाले बालकों का शतप्रतिशत प्रवेश दिलाने में सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के द्वारा वातावरण निर्माण में भी समुदाय का सहयोग लिया जा रहा है।

(ख) ठहराव:-

समुदाय के लोगों में से पीटीए/एमटीए/डब्ल्यूएमजी का गठन करके स्कूल छोड़ने वाले बालक/बालिकाओं को पुनः विद्यालय वापस लाकर शप प्रतिशत ठहराव का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्य में सफलता भी प्राप्त हो रही है।

सर्व शिक्षा अभियान म निर्धारित लक्ष्या की प्राप्ति हतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति आवश्यक है। पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जा चुका ह एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा समितियों को सुदृढीकृत एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से संबंधित समस्त विकास कार्यो एव एस.एस.ए. क सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज समितियों का सहयोग लिया जायगा।

(ग) गुणवत्ता:-

अध्यापकों को प्रेरित करने का कार्य भी समुदाय के लोग कर सकते है। जहां भूमिका होती है। सभी प्रकार से स्वयंसेवी लोगों के द्वारा भी शिक्षकों की कमी को समुदाय पूरा कर सकता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालयों की स्थिति को अच्छी बनाने, बागवानी, साजसज्जा, रखरखाव, निर्माण कार्य, सुदृढ़ीकरण, सुन्दरीकरण में भी समय-समय पर समुदाय का सहयोग लिया जा सकता है। राष्ट्रीय पर्वो, वार्षिकोत्स, खेलकुद प्रतियोगिताओं में समुदाय के लोगों को आमंत्रित कर विद्यालयों के प्रति उनके मन में विश्वास का भाव पैदा किया जा सकता है। सामुदायिक सहभागिता के लिए स्वयंसेवी संगठनों का वातावरण निर्माण, शिशु शिक्षा केन्द्र संचालन, विद्या केन्द्र/शिक्षा केन्द्र संचालन, प्रशिक्षण व्यवस्था, विकलांग बच्चों की सुविधा हेतु नि:शुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने आदि में सहयोग प्राप्त किये जाने का भी सर्व शिक्षा अभियान में लक्ष्य रखा गया है।

विशेष वर्ग की शिक्षा (समेकित शिक्षा):-

भारत की लगभग 5-10 प्रतिशत जनसंख्या विकलांगता से ग्रसित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य शिक्षा का सार्वजनीकरण है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उन सभी जो कि 5-10 प्रतिशत बच्चों को जो दृष्टि सम्बन्धी एवं मानसिक सम्बन्धी अक्षमताओं से ग्रस्त है, विद्यालय में लाया जाना है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहां

व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है, विभिन्न अक्षमताओं में सबसे अधिक संख्या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की है पूर्ण रूप से दृष्टिहीन बच्चों की संख्या कम है। इन बच्चों में से अधिकांश बच्चें के (अक्षम बच्चें) लिये कोई विशेष शिक्षण विधि की आवश्यकता नहीं होती और थोड़े से विशेष प्रयास के साथ इन अक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जा सकता है।

पहले अभिभावक अक्षम/विकलांग बच्चों को बिन बुलाई आपदा अथवा अभिशाप समझते थे किन्तु समाज में समेकित शिक्षा के इस प्रयास से आज सोच एवं व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। आज विकलांग व्यक्तियों ने अधिकांश क्षेत्रों में सफलता पाई है। और दूसरों को सहारा देना शुरू भी कर दिया है। अक्षम बच्चें मानसिक रूप से अधिक जागरूक व क्रियाशील होते है।

समेकित शिक्षा के विभिन्न प्रकार के माइल्ड एवं माडरेट (कम और माध्यम) श्रेणी विकलांग बच्चों को जो विद्यालय से बाहर हैं प्राथमिक शिक्षा की मुख्य आधार में सामान्य बच्चों के साथ लाया जाना ताकि उनका मानसिक विकास सामान्य बच्चों की तरह हो सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि विकलांगता को लेकर सम्बोधन में, व्यवहार में, चाल में, कक्षा में, मैदान में, एवं घर में कोई लज्जाजनक स्थिति उत्पन्न न हो।

अक्षम बच्चें सिर्फ सहानुभूति के पात्र ही नहीं है इन्हें उचित वातावरण और भावनात्मक समर्थन के साथ-साथ शिक्षण प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है।

ऐसे बच्चें जो अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण शिक्षा से वंचित है स्कूल की दुनिया से बाहर है, उनमें निहित क्षमता का विकास कर उनमें आत्म विश्वास जमाने और

आत्मनिर्भरता बनाने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है, अतः ये समेकित शिक्षा अन्तर्गत ही ये प्रयास संभव है।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विभिन्न विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करायी जानी है। मुख्यतः समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं माध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है।

विकलांग/अक्षमता के प्रकार:-

सामान्य रूप से अध्यापकों को अध्यापन के समय जिन विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्र/छात्राओं को शिक्षा देने का कार्य करना पड़ता है। वे निम्न प्रकार के है मुख्य रूप से विकलांगता पांच प्रकार की होती है:-

1. दृष्टि विकलांगता ।
2. श्रवण एवं वाणी विकलांगता।
3. अस्थि विकार विकालंगता ।
4. मानसिक मन्दता ।
5. अधिकम मन्दता ।

बच्चों में कुछ विकलांगायें/अक्षमतायें जन्म से होती है। तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती हैं । कुछ अक्षमताओं वातावरण से सम्बन्धित होती है।

1. **अधिगम समस्याओं से सम्बन्धी कारण:-** निम्नवत् है।

1. बौद्धिक क्रियाकलापों का निम्नस्तर तथा विकास की मन्दगति । .

2. दृष्टि विषयक समस्या (देखने में कठिनाई) ।

3. श्रवण तथा वाक समस्या सुनने तथा बोलने में कठिनाई।

4. हाथ पैर का क्षतिगसत होना या हाथ पैन का न होना अंगों की विकृति मांस पेशियों के तालमेल में समस्या होने से क्रियाकलापों में कठिनाई।

5. मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान स्मृति विषयक समस्यायें।

घर परिवार सम्बन्धी कारण निम्नलिखित है ।

1. माता पिता के स्नेह में कमी ।

2. बच्चों की हीन भावना से देखना ।

3. सीखने के समान अवसर न मिलना ।

4. शिशु स्तर पर लापन-पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना ।

5. सामान्य बच्चें का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना ।

विद्यालय वातावरण से सम्बन्धित कारण निम्नलिखित हैं-

1. शिक्षक का बच्चें से लगावा होना ।

2. सीखने की गति धीमी होने पर बच्चें के प्रति गलत धारणा बना लेना ।

3. कक्षा में अनुकूल सामाजिक वातावरण का न होना ।

4. सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चें के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना ।

5. उत्तरदायित्व निर्वहन तथा सुविधाओं की भागीदारी जैसी भावनाओं के प्रति उदासीनता का होना ।

6. बच्चों को विशिष्ट आवश्यकताओं तथा भौतिक सुविधाओं के सामंजस्य का अभाव होना ।

सामान्य विद्यालयों के अध्यापकों में इन बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी विशेष प्रकार की जरूरतों को समझाने की आवश्यकता जिससे उनकी आवश्यकता के अनुरूप अनुकूल शिक्षा को नियोजित कर सके इसका उत्तरदायित्व सबसे अधिक कक्षा में अध्यापकों पर आता है क्योंकि उनका उन बच्चों से सीधा संपर्क होता है, तथा उनको बच्चों के ध्यान से देखने का अवसर मिलता है इसीलिये प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को 5 दिवसीय समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अक्षमता के परिणामः-

1. बच्चों में ।
2. परिवार में ।
3. समाज में ।

1. आत्मनिर्भरता में कमी ।
2. चलने में परेशानी ।
3. समाज में उपेक्षित ।

परिवार मे:-

1. अधिक ध्यान देने की आवश्यकता ।

2. आर्थिक बोझ अधिक ।

समाज में:-

1. ध्यान देने की आवश्यकता ।

2. उत्पपादन मे कमी ।

3. समाज में एकीकरण में कमी ।

अक्षम बच्चों में अनेक भ्रान्तियां है, बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये तकनीकी की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों के लिये विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है केवल अध्यापकों को कुछ बाताओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है विशेष प्रकार की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जिनका रोग असाध्य या गंभीर रूप धारण कर चुका है।

1. संवेदीकरण:-

अक्षम बच्चों के लिये निम्नलिखित का संवेदीकरण आवश्यक होता है।

1. समुदाय का संवेदीकरण ग्राम शिखा समिति द्वारा किया जाना ।

2. परिवार एवं भाई बहनों का संवेदीकरण तथा मार्ग निर्देशन (मार्ग दर्शन) ।

3. अध्यापकों का संवेदीकरण ।

संवेदीकरण का सबसे पहला बिन्दू दृष्टिकोण परिवर्तन का है अक्षम बच्चों के लिये सहानुभूति तो सभी दिखा देते हैं इन्हें सहानुभूति की नहीं, सहायता की आवश्यकता है, उनमें निहित इनकी अक्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है।

2. उपकरण एवं उपस्कर:-

अक्षम बच्चों की विकालंगता की डिग्री एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिये बच्चों का डाक्टर कीटीम जिसमें एक आथोपेडिक, एक ई0एन0टी0 डाक्टर एवं आई स्पेशिलिस्ट हो के द्वारा मेडिकल असिस्मेन्ट कराया जाता है फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकरण एवं उपसकर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से करायी जाती है इसलिये निम्न संस्थाओं से संपर्क किया जाता है-

1. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान 116 राजपुर रोड, देहरादुन ।
2. अलीयावर जंग राष्ट्रीय श्रवण संस्थान बान्द्रा, बम्बई ।
3. एलिम्को जी0टी0रोड, कानपुन-206016 ।
4. अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, कर्करडूमा विकास मार्ग, दिल्ली ।
5. भारत सरकार. के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट फिटमेन्ट सेन्टर।
6. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद ।

7. नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइण्ड एजूकेशन डिपोर्टमेन्ट कालेज, ग्रीन एल0पी0 बाला काम्पलेक्स बम्बई ।

8. मंगलम ए 445, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।

9. यू0पी0 विकलांग केन्द्र 13, लूकरगंज, इलाहाबाद ।

10. जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, इलाहाबाद ।

3. अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण:-

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकितम शिक्षा का केन्द्र बिन्दू विशेष रूप से लिया गया है। जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विद्यापर बल दिया गया है। समेकित शिक्षा के लिये प्राथमिक अध्यापकों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन अध्यापकों को प्रशिक्षित कराने के लिए प्रति विकास खण्ड 4-4 मास्टर टेनर्स का चयन किया गया है और इन मास्टर टेनर्स का 10 दिसवीय एडवांस स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन विकलांग केन्द्र रूरल रिसर्च सोसाइटी 13, लूकरगंज, इलाहाबाद में व मूक बधिर विद्यालय जार्ज टाउन में आयोजित किया गया है।

4. शिक्षकों के लिए सामग्री का विकास:-

शिक्षकों द्वारा हस्तपुस्तिका का विकास किया गया तथा पांच विकलांताओं दृष्टि, श्रवण, अधिगम, अस्थि तथा मानसिक विकलांगता पर फोल्डर्स तैयार किये गये है। इन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए आप क्या कर सकते है। फोल्डर्स तैयार किये गये है। विकालंग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा-3 की पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तकों में दोस्ती नामक पाठ सम्मिलित

किया गया है ग्राम शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल में विकलांगता के विषय को भी शामिल किया गया है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये विकसित प्रशिक्षण माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश होता है:-

1. विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन ।
2. विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना ।
3. इन बच्चों के सभी समूहों के लिये शिक्षण रणनीति को विकसित करना ।
4. कक्षा कक्ष प्रबन्धन और मूल्यांकन ।
5. इन बच्चों के अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।
6. विकलांग बच्चों का आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना ।

स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी:-

विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के लिये तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी ली जाती है। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये कार्य कर रही हो और निम्न पात्रातायें रखती हो।

1. संस्था/सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो।
2. संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञों की उपलब्धता हो।

3. विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

4. संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

समेकित शिक्षा की आवश्यकता तथा इसके उद्देश्य:-

समेकित शिक्षा कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को बहुत ही जरूरी है। समेकित शिक्षा को मुख्य धारा में लाकरा इन बच्चों में आत्म विश्वास एवं आत्म सम्मान की भावना का विकास करना ।

1. कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना ।
2. 6-11 वय वर्ग बच्चों को सामान्य बच्चों की ही तरह सामान्य अवसर प्रदान करना।
3. स्कूल में ऐसा वातावरण बनाना जिससे कि इन बच्चों में आत्म विश्वास एवं समाजीकरण की भावना का विकास हो।
4. समुदाय एवं अभिभावकों का संवेदीकरण/निर्देशन एवं उनका सहयोग प्राप्त करना।
5. कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना ।
6. जनसमुदाय को जागृत करना ।
7. स्थानीय विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा एवं स्वावलम्बन हेतु सामूहिक उत्तरदायित्व हेतु बोध का प्रयास करना ।
8. प्रत्येक विकलांग बच्चें को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का सुनिश्चितीकरण करना ।

9. मास्टर ट्रेनर की पहचान एवं उन्हें प्रशिक्षण दिलाना ।

10. प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कराना ।

11. प्रत्येक विद्यालय में विकलांग बच्चों का आई0ई0पी0 (इन्डिविजुऐलाइज्ड एजूकेशनल प्लान) तैयार कराना ।

12. रिसोर्स टीचर/मास्टर ट्रेनर्स द्वारा नियमित विद्यालयों का भ्रमण एवं आवश्यक शैक्षिक सपोर्ट दिलाना ।

13. समाज द्वारा अन्य सामान्य लोगों की भांति इन अक्षमताग्रस्त बच्चोकं को स्वीकृति दिलाना और उन्हें शिक्षा व रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना ।

14. स्वास्थ्य सामाजिक सम्बन्ध विकसित कराना जिससे सामान्य बच्चों का अक्षताग्रस्त बच्चों के प्रति भेदभाव मूलक दृष्टिकोण को बदलकर अनुकूल तथा सकारात्मक बनाया जा सकें।

15. जीवन के रहन-सहन के स्तर को उन्नत करने के लिये इन बच्चों के नागरिक अधिकारों के उपयोग हेतु आवश्यक सामर्थ्य का विषय/विकास सुनिश्चित करना ।

16. उन्हें स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना ।

विशेष शैक्षिक प्राविधान:-

विकलांग व अक्षमताग्रस्त वच्चों को कई प्रकार के शैक्षिक . प्राविधान उपलब्ध कराये गये है जिनमें से कुछ इस प्रकार है-

1. समेकित शिक्षा विन्यास (क्षतिपूरक सहायक उपकरण) ।

2. समेकित शिक्षा की व्यवस्था (पाठ्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन) ।

बच्चों की विशेष आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु को सामान्य अध्यापक विशेष अध्यापक के परामर्श से तैयार कर सकते है।

3. समेकित शिक्षा भवन (विशेष प्रकार के विद्यालय)

आधारभूत अकादमी कौशलों के विकास के बाद इनमें से अधिकतर बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जा सकता है।

एकीकृत शिक्षा को सहज बनाने वाले कारक:-

1. सामान्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की पहचान एकदम प्रारम्भ में करना उपयुक्त है।
2. इन बच्चों को निरंतर उपचारात्मक सेवायें उपलब्ध कराना साथ ही उपकरणों के उपयोग सुझाना ।
3. बच्चों में रचनात्मक विश्वास जागृत करना तथा उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना ।
4. संसाधन विशेष अध्यापक की सहायता से अतिरिक्त सामग्री तैयार करना ।
5. समेकित शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु में परिवर्तन कर पहले से ही शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना ।
6. विद्यालय की, प्रत्येक प्रकार की गतिविधि में प्रत्येक विद्यार्थी की भागीदारी सुनिश्चित करना जिससे बौद्धिक विकास के लिए सबको समान अवसर मिल सके।

इस शिक्षा को सफल प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक का स्नेहपूर्ण तथा सकरात्मक व्यवहार है इसके अतिरिक्त शिक्षक सम्बन्धी परिवतन या सुधार की अन्तर्दृष्टि भी अपेक्षित है जिससे कि इन बच्चों की आवयकता अनुसार शिक्षण अधिगम की व्यवस्था हो सके जिससे कि इन्हें भी समाज का अंग माना जायें ।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा की प्रस्तावित कार्य योजना निम्नवत् है–

1. जनपद के सभी अक्षमताग्रस्ता बच्चों का मेडिकल असेस्मेंट ।
2. असेज्मेन्ट उपरान्ता सहायक उपकरण/उपस्कर वितरण शिविर का आयोजन ।
3. मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग प्रति ब्लाक 4 प्रतिभागी ।
4. फाउन्डेशन कोर्स प्रति ब्लाक 2 प्रतिभागी ।
5. प्राथमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण ।
6. साहित्य वितरण पूरे जनपद में ।
7. समेकित शिक्षा में एन0जी0ओ0 का पूर्ण सहयोग ।
8. प्रत्येक ब्लाक में समेकित शिक्षा पर तीन दिवसीय विशेष शिविर ।
9. पूरे जनपद में विकलांग बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग ।
10. वातावरण सृजन कार्यशाला, ब्लाक स्तर/न्याय पंचायत स्तर ।
11. अभिभावक, गोष्ठी न्या पंचायत स्तर वर ।

12. खेलकूद प्रतियोगिता, कला प्रतियोगता वाद-विवाद प्रतियोगिता जनपद/ब्लाक/न्याय पंचायत स्तर पर ।

13. जनजागरण रैली न्याय पंचायत स्तर पर ।

14. अभिभावक शिक्षक बाल विकलांग मेला न्याय पंचायत स्तर पर ।

15. समसत विद्यालयों में विकलांग बच्चों की शारीरिक असुविधा को ध्यान में रखते हुए रैम्प विशेष कुर्सी नीचे श्यामपट, नीचे स्विच बोर्ड इत्यादि ।

16. जनपद के सभी प्राथमिक/जूनियर के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रजिस्टर बनवाये जाने चाहिए ।

17. विद्यालय में विकलांग बच्चों के ठहराव हेतु विकलांग छात्रवृत्ति उपकरण/उपस्कर वितरण व समय-समय पर पांच दिवसीय शिविरों का आयोजन ।

18. विकलांग दिवस का समारोह प्रतिवर्ष न्याय पंचायत स्तर पर आयोजन ।

19. जिला स्तर पर पुर्नवास केन्द्र की स्थापना ।

20. ग्राम शिक्षा समिति का तीन दिवसीय समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण ।

अक्षमताग्रस्त बच्चों का सर्वागीण विकास हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा में उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार सभी अक्षमताग्रस्त बच्चों को शिक्षित किया जायेगा तथा जन समुदाय को भी जागृतम किया जा सकेगा, इससे उनका पूर्ण विकास तो होगा ही साथ ही वे समाज में पूर्ण विश्वास व आत्मसम्मान के साथ आत्म निर्भर बन सकेंगे यह तभी संभव है जबकि सर्वशिक्षा अभियान में समेकित शिक्षा में इन सभी कार्यक्रमों को अवसर प्रदान किया जायेगा ।

विद्यालय विकास की सुविधा (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक)

सुन्दर व आकर्षक विद्यालय होने पर बच्चें उनकी ओर आकर्षित होते है जिससे विद्यालय में उनका धारण बड़ता है। वर्तमान में जनपद में 1862 प्राथमिक विद्यालय तथा 519 उच्च प्राथमिक विद्यालय है। जिनकी मरम्मत तथा रखरखाव हेतु 5000 प्रति विद्यालय प्रति वर्ष की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी ।

वर्ष	प्रा0वि0 संख्या	अनुदान की राशि	उ0प्रा0वि0	अनुदान की राशि
2002-03	1822	9110000	---	---
2003-04	1822	9110000	451	2155000
2004-05	1862	9310000	519	2595000
2005-06	1862	9310000	519	2595000
2006-07	1862	9310000	519	2595000

विद्यालय विकास अनुदानः

विद्यालयों में होने वाले सामान्य व्यय जैसे चाक/डस्टर की व्यवस्था, स्टेशनरी विद्यालय अभिलेखों हेतु रजिस्टर तथा अन्य अल्प व्यय के लिये रू0 2000/- प्रति विद्यालय प्रति वर्ष की दर से नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा रु0 4000/- प्रति विद्यालय प्रति वर्ष की दर से नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु धनराशि की मांग की गयी है ।

वर्ष	प्रा0वि0 की संख्या			उच्च प्रा0वि0 की संख्या		
	परिषदीय	मान्यता प्राप्त	योग	परिषदीय	मान्यता प्राप्त	योग
2002-03	1822	--	1822	---	--	--
2003-04	1822	--	1822	455	349	804
2004-05	1862	322	2184	519	349	869
2005-06	1862	322	2184	519	349	869
2006-07	1862	322	2184	519	349	869

अध्याय –9

गुणवत्ता के लिए नियोजन

जनपद एटा में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिए वर्ष 2000 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संशाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापना वर्ष अक्टूबर 1996 में हुई तथा डायट के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यक्रम पर सहयोग– समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा हैं इस कार्य में जनपद में स्थापित 15 बी.आर.सी. तथा 149 एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई हैं। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत डायट में संस्थागत शिक्षकों का बहु आयामी विकास होना अपेक्षित है। शिक्षक प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में डायट की क्षमता संवर्द्धन के अतिरिक्त बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., ग्राम शिक्षा समितियों, ई.सी0सी0ई. कार्यकत्रियों तथा बैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता विकास का कार्य होना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त एक्शन रिसर्च के क्षेत्र में भी डायट की क्षमता विकसित होना अपेक्षित है। परियोजना के अन्तर्गत सुविधाओं के विस्तार, उपकरण तथा सामग्रियों की व्यवस्था, अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षों, दृश्य श्रव्य उपकरणों आदि की व्यवस्था, तथा अनुरक्षण भी सुनिश्चित किया जाना है।

डायट की स्थापना एवं उददेश्य –

राष्ट्रीय आंकाक्षाओं तथा प्राथमिकताओं की पूर्ति तथा अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था होती है – विशेषतः लोकतान्त्रिक समाज़ में शिक्षा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। सभी के लिये शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है। और स्वतंन्त्रता के पॉच दशक बीत जाने पर भी हम अपने इस लक्ष्य से दूर हैं। शिक्षा एक सहज, सतत एवं निरन्तर परिवर्तनशील प्रकिया

है। अतः समय की मांग और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरुप शिक्षा व्यवस्था को पुर्नवलोकित करने हेतु निरन्तर गंभीर प्रयास की आवश्यकता बनी रहती है।

भारत एक विशाल देश है। भौगोलिक दृष्टि तथा सांस्कृतिक विविधिताओं के कारण यह एक उप महाद्वीप के आकार का है। अनेकता में एकता तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था इस देश की विशिष्टता है। अतः देश की प्रारम्भिक शिक्षण–शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं स्तर में समानता एवं एकरुपता रखना हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। जनपद स्तर पर 'जिला शिक्षा और प्रशिक्षण' की स्थापना में यह मुख्य विचार रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कियान्वयन कार्यक्रम (पी0ओ092) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय साधनों से प्रत्येक जनपद स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु " जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान" की स्थापना की गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से पूर्व अध्यापक शिक्षा का यह कार्य राजकीय दीक्षा विद्यालयों के माध्यम से सेवा पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रुप में सम्पन्न हो रहा था भौतिक, मानवीय एवं अकादमिक संसाधनों के अभाव में ये संस्थाऐं सेवा पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य तत्सम्बन्धित दायित्वों को बहन करने में कठिनाई का अनुभव कर रही थीं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अंगीकृत करने के पश्चात् जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1987 से प्रारम्भ हुई। तथा प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार एवं गुणात्मक उन्नयन की दृष्टि से केन्द्र पुरोनिर्धारित योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना निरन्तर कमिक रचणों में की जा रही है। अध्यापक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों से सम्बन्धित अधिकारियों एवं अभिकर्मियों के शैक्षिक स्तर में निरन्तर सुधार तथा उन्नयन के उददेश्य से स्थापित हो रहे इन संस्थानों के माध्यम से पाठयकम तकनीक प्रबन्ध एवं नियोजन की शैक्षिक जानकारी, शैक्षिक शोध, अभिनव प्रयोग एवं नवीनतम शैक्षिक उपलब्धियों और शिक्षण विधाओं को विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के रुप में ऐसे दूरस्थ ग्रामीण अंचलो तक पहुँचाने की व्यवस्था की गयी है जो शिक्षा की इन मूलभूत आवश्यकताओं से अभी तक वंचित है। इसी के अनुपालन में सम्प्रति उत्तर प्रदेश प्रथक–प्रथक चरणों में बीस–बीस एवं तेईस और इस तरह कुल तिरेसठ जिला शिक्षा और

प्रशिक्षण संस्थानों को स्वीकृत एवं क्रियाशील किया गया है। तृतीय चरण में निम्न ' जिला और प्रशिक्षण संस्थान' स्थापित किये गये।

1. सैदपुर–गाजीपुर	2. बड़कोट–उत्तरकाशी
3. इस्माइलपुर – बिजनौर	4. पिण्डाटी – जालौन
5. गौचर – चमोली	6. दर्जीकुआ – गौण्डा
7. रामपुर कारखाना – देवरिया	8. सुल्तानपुर
9. पटेहरकलां – मिर्जापुर	10. इमलिया – मऊ
11. जफरपुर आजमगढ़	12. मैसऊ कानपुर देहात
13. खैराबाद – सीतापुर	14. ताजपुर लखीमपुर खीरी
15. बांसी सिद्धार्थ नगर	16. बस्ती
17. नगला अमान फिरोजाबाद	18. प्रतापगढ़
19. पटनी सहासपुर	20. हरचन्दपुर एटा
21. चढ़ी गॉव – पौड़ी	22. मदननेगी टिहरी
23. महाराज गंज	

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के कार्य –

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र में संचालित सभी कार्यक्रमों अर्थात प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से संचालित समस्त कार्यक्रमों की सफलता हेतु अकादमिक एवं संसाधन सम्बन्धी सहयोग प्रदान करने के लिये उत्कृष्टता के एक केन्द्र के रुप में होनी है। साथ ही उन्हें जनपद में प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा तन्त्र को उत्कृष्ट बनाने में सहायता प्रदान करनी है।

मुख्य रुप से संस्थान को निम्नांकित तीन दायित्वों का निर्वहन करना है। –

1. प्रशिक्षण – सेवापूर्ण एवं सेवारत, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के समस्त क्षेत्रों में।
2. अकादमिक एवं संसाधन सम्बन्धी सहयोग (एकेडमिक एण्ड रिसोर्स सपोर्ट)
3. क्रियात्मक शोध (एक्शन रिसर्च – शैक्षिक समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु।)
   यह अपेक्षा है कि संस्थान अपने कार्यों के दक्ष एवं प्रभावशाली नियोजन एवं क्रियान्वयन, सौहार्दपूर्ण, रचनात्मक, संगठनात्मक वातावतरण के निर्माण तथा

स्वच्छ एवं आकर्षण परिसर के रख रखाव के अंग में नेतृत्व प्रदान करने हेतु जनपद की अन्य शैक्षिक संस्थाओं हेतु आदर्श के रुप में विकसित होगा।

<u>जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के अन्य कार्य संक्षेप मे निम्नांकित हैं–</u>

- अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्रों के अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों हेतु सेवापूर्ण/सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों/ पर्यवेक्षकों हेतु सेवारत, प्रवेश एवं सतत् प्रशिक्षण व्यवस्था।
- प्रधानाध्यापकों हेतु संस्थागत नियोजन एवं प्रबन्धन तथा सूक्ष्म नियोजन में प्रशिक्षण एवं अभिनवीकरण कार्यक्रमों का संचालन।
- सामुदायिक नायकों, स्वैच्छिक संगठन अभिकर्मियों एवं विद्यालीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य तत्सम्बन्धित व्यक्तियों हेतु अभिनवीकरण कार्यक्रमों का संचालन।
- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों (एन0पी0आर0सी0) का अकादमिक संदर्भ सहयोग एवं अनुश्रवण
- शिक्षा में कियात्मक अनुसंधान तथा संस्थान प्रयोग क्षेत्र (लैब ऐरिया) में अभिनव प्रयोग/ परीक्षण हेतु कार्यक्रमों का संचालन।
- प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा, समेकित बाल विकास परियोजना (आई0सी0डी0एस0) केन्द्रों के कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं सतत् अनुश्रवण।
- शिक्षकों/अनुदेशकों/ अभिकर्मियों हेतु जिला संदर्भ एवं (डी0आर0यू0) के रुप में सतत् सहायता।
- जिला परियोजना कार्यालय (डी0पी0ओ0) एवं अन्य एन0पी0ओ0, सी0बी0ओ0 को सतत् परामर्श एवं अकादमिक सहयोग प्रदान करना।
- मूल्यांकन की परम्परागत विधाओं के इतर न्यूनतम अधिगम स्तर (एम0एल0एल0) सम्बन्धी दक्षताओं की प्राप्ति तथा बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में शिक्षको का बालकों के ज्ञानात्मक, भावनात्मक, कौशलात्मक, शारीरिक तथा अन्य विद्यालीय कार्यक्रमों में सहभागिता आदि–2 के क्षेत्र मे विकास हेतु व्यापक प्रशिक्षण एवं सतत् अनुश्रवण।

- स्थानीय आवश्यकतानुसार पाठयक्रम में इकाइयों के निर्माण, शिक्षण–अधिगम सामग्री, परीक्षण तथा मूल्यांकन सामग्री आदि के विकास हेतु कार्यशालाओं, विचार गौष्ठियों का आयोजन।
- ब्लाक संसाधन केन्द्रो के समन्वयकों/सह–समन्वयकों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के प्रभारीगण एवं ब्लाक स्तरीय प्राथमिक शिक्षा/ अनौ0शिक्षा एवं समेकित बाल विकास परियोजना के अभिकर्मियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना तथा प्रष्ठ पोषण सहित प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करना।
- विभिन्न लक्ष्य समूहों हेतु विभिन्न प्राकर के प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे भाषा, गणित, परिवेशीय अध्ययन (विज्ञान आदि विष्यों के शिक्षकों को उनकी कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों के अनुसार दक्षताधारित विशिष्ट शिक्षण हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दशा में स्थानीय विशेषताओं/ समस्याओं के संदर्भ व्यक्तियों की कार्यशालाओं/ विचार गौष्ठियाँ आयोजित करना तथा शोध सर्वेक्षण एवं कियात्मक अनुसंधान करना।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में उपर्युक्त उददेश्यों की पूर्ति के लिये निम्न सात विभागों की स्थापना की गयी –

1. जिला संसाधन ईकाई विभाग
2. सेवा पूर्व विभाग
3. सेवारत विभाग
4. पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन विभाग
5. कार्यानुभव विभाग
6. शैक्षिक तकनीक विभाग
7. नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग

<u>शिक्षकों को सहयोग–समर्थन की व्यवस्था–</u>

डी.पी.ई.पी. का मुख्य उददेश्य रहा है। प्राथमिक शिक्षा स्तर में सुधार तथा शैक्षिक संप्राप्ति में गुणात्मक विकास करना। इस उददेश्य को प्राप्त करने के लिए तीन लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। 1– शत प्रतिशत नामांकन, 2– सार्वभौमिक धारण, 3– शैक्षिक संप्राप्ति स्तर में वृद्धि। प्रभावी शैक्षिक अनुसमर्थन एवं अनुश्रवण द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त

करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य में डायट, बी0आर0सी0 व एन.पी.आर.सी. को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है।

जनपद में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता युक्त संप्राप्ति का मुख्य उत्तरदायित्व डायट पर है। इस दिशा में डायट द्वारा बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. समन्वयक को विजनिंग कार्यशाला एवं आधारभूत प्रशिक्षण दिये जा चुके है। शिक्षको को 8 दिवसीय सेवारत प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। प्रशिक्षण में शिक्षण, विद्यार्थियों का संतत व्यापक मूल्यांकन का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित है। प्रशिक्षणोपरांत शिक्षको द्वारा अपने-अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं। इसका मूल्यांकन शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा डायट, बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 द्वारा किया जा रहा है।

डायट के प्रवक्ताओं को शैक्षिक सपोर्ट हेतु एक एक विकास खण्ड का मैन्टर निर्धारित कर दिया गया है जहॉ शैक्षिक सुधार कार्यक्रम का निर्धारण माह में एक दिन कोरग्रुप की बैठक में प्रवक्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रत्येक माह 2 एन0पी0आर0सी0 और 4 विद्यालयों का अनुश्रवण होना आपेक्षित है। इसी प्रकार बी0आर0सी0 के संकुल प्रभारी भी अपने क्षेत्र के विद्यालयों को अनुश्रवण करके शैक्षिक सहयोग का कार्य करने लगे हैं। प्रति माह बी.आर.सी. समन्वयक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर ड. ाट की अकादमिक संसाधन समूह की बैठक में कठिनाईयों के निवारण हेतु कार्य क्रम बनाकर प्रयास होना अपेक्षित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में केवल प्राथमिक विद्यालय आच्छादित हैं। परिणाम स्वरुप उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी शैक्षिक सहयोग अपेक्षित है। इसी प्रकार अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6,7,8 तथा 1-5 कक्षा के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं, कठिनाईयों के निवारण, शैक्षिक संप्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाईयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की व्यवस्था नहीं है।

मकतब, मदरसों में अध्ययनरत बच्चे तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। शहरी क्षेत्र में प्रथक रुप से संकुल संसाधन केन्द्र भी नहीं है।

स्कूल पूर्व शिक्षा की सुविधा –

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में स्कूल पूर्व शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जनपद में एटा में 50 शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय से किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से केन्द्रा का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रुप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकत्रियों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये तथा इनके पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित एन0पी0आर0सी0 समन्वयक को भी प्रशिक्षित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम शिक्षा समिति –

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय प्रबंधन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति के अभिभावकों तथा स्वयं सेवी संगठनों के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश है। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यो का भी पर्यवेक्षण करती है। डी0पी0ई0पी0 में जनपद एटा डायट के नेतृत्व में 167 ग्राम शिक्षा समितियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह तथा ब्लाक संसाधन समूह का गठन किया जा चुका है। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरु युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित है। बी0आर0जी0 के सदस्यों के ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस

प्रशिक्षण में स्कूल मेपिगं तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये हैं। तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनाऐं तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई हैं।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान ग्राम शिक्षा समिति संकल्प एवं प्रयास नामक मॉडयूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है। जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारुप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के कियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ना अपेक्षित है। स्कूल के कियाकलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूल न आने वाले खासकर लड़कियों के नामांकन के लक्ष्य के अनुरुप वृद्धि होना अपेक्षित है। अधिकाश अभिभावक उदासीन हैं बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका सहयोग भी लेने का प्रयास जारी है।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :-

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरचन्दपुर कंलॉ एटा के नेतृत्व में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने उनके विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिये बहुआयामी रणनीति अपनाना अपेक्षित हैं।शिक्षकों में नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना भी अपेक्षित है– शिक्षकों की सोच में परिवर्तन हेतु प्रयास करना है। डी0पी0ई0पी0 से पूर्व एस0टी0ओ0पी0टी0 कार्यक्रम में कुछ कठिनाइयां भी होती है।

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़े हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिये एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इस जोड़ने में कठिनाई हुई।
- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं जा सका वरन सीमित संख्या में शिक्षको को ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा सका।

– प्रशिक्षण के उपरान्त फालोअप खासकर विकास खण्ड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों – परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए हैं। प्रथम वर्ष में आयोजित डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। विकास खण्ड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया जाता रहा हैं।

डी.पी.ई.पी. में दिये गये सेवारत शिक्षक – प्रशिक्षण का विवरण :–

डी0पी0ई0पी0 के अंतर्गत प्रथम वर्ष आठ दिवसीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षकों में शिक्षण की दक्षता एवं कौशलों का विकास करने हेतु दिया गया है। समय की बदलती हुई परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि शिक्षक बच्चे के परिवेश में तेजी से आने वाले परिवर्तन के अनुरुप अपने शिक्षण में उतना ही अधिक दक्ष और योग्य हो कि बच्चों को उतनी ही गति से शिक्षण दे सकें, जितनी गति से वह सीखना चाहते हैं। इस प्रशिक्षण का एक उददेश्य यह भी रहा हैं कि कक्षा शिक्षण प्रभावी, रुचिपूर्ण एवं बाल विकास केन्द्रित हो। शिक्षक प्रशिक्षण की प्रतिवर्ष व्यवस्था होना अपेक्षित है।

शिक्षक की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने हेतु तथा शिक्षण की दक्षताओं एवं कौशलों का विकास करने हेतु विभिन्न सेवारत अध्यापक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण पूर्ण हो चुके हैं।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण :–

प्रथम चक्र में प्रशिक्षण का उददेश्य है कि शिक्षक बच्चों को सक्रिय करके शिक्षण कार्य करें। डायट मे यह प्रशिक्षण 08 दिनों का था। इस प्रशिक्षण के निम्नांकित उददेश्य थे।

1. प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षण अधिगम की नवीनतम प्रभावकारी प्रविधियों की जानकारी देना।
2. विद्यालयों को आनन्दमयी शिक्षा केन्द्र के रुप में विकसित करने में शिक्षक सक्षम हो सके।
3. बहुकक्षा शिक्षण एवं बहुश्रेणी शिक्षण की विधियों का प्रयोग।
4. विद्यालय के विकास में योगदान हेतु ग्राम समिति के सदस्यों को प्रोत्साहित करना।
5. शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण एवं प्रयोग। बोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाया शिक्षण प्रक्रिया को सरस एवं रुचिकर बनाना, बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं का विकास करना। स्थानीय परिवेश के अनुसार शि0अ0 साम0 के प्रयोग एवं स्कूली शिक्षा की तैयारी सम्बन्धित ज्ञान प्रदान किया गया। मूल्यांकन एवं नयी शिक्षण विधियों का प्रयोग हेतु कक्षा शिक्षण भी कराया गया।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

डी0पी0ई0पी0 के अंतर्गत जनपद एटा में बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 की स्थापना की गई। बी0आर0सी0 स्तर पर एक समन्वयक तथा दो सह समन्वयक और एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापना किया जा चुका है जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया--

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 7 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉडयूल पर आधारित था।
2. शैक्षिक अनुसमर्थन डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों, सह – समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बन्ध में 7 दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 की कार्य भूमिका एवं उत्तरदायित्व, शैक्षिक अनुसमर्थन एवं समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन0पी0आर0पी0 तथा

बी0आर0सी0 का उनके भौतिक – अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

समन्वयकों की भूमिका –

बी0आर0सी0 द्वारा वर्तमान में प्रमुख रुप से निम्नांकित कार्य किये जाने लगे हैं बी.आर.सी. संदर्भ केन्द्र के रुप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाईयों के समाधान हेतु करेंगे।

- विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप।
- विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन।
- शैक्षिक अनुसमर्थन एवं अनुश्रवण वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण करना।
- निःशुल्क पुस्तक वितरण में सहयोग।
- शैक्षिक कठिनाईयों का निवारण।
- संसाधनों की व्यवस्था में सहयोग।
- कियात्मक अनुसंधान।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो का अनुश्रवण।
- एन0पी0आर0सी0 स्तरीय कियाकलापों का पर्यवेक्षण एवं श्रेणीकरण।
- ई0एम0आई0एस0 के आंकड़ों का संकलन।
- डायट के मार्गदर्शन मे विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन. पी. आर. सी. समन्वयकों की भूमिका –

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी कियाकलापों के केन्द्र बिन्दु एन.पी.आर.पी. है। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण, ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर– विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत हैं। –

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. नियमित विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन एवं अनुश्रवण।
3. विद्यालय श्रेणीकरण।
4. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन।
5. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
6. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
7. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचना का आदान प्रदान करना।
8. कार्यो तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।
9. शैक्षिक कठिनाईयों का निवारण।
10. शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास एवं प्रयोग।
11. नवीन शैक्षिक गतिविधियों का विकास एवं प्रयोग।

<u>शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार बच्चों का स्तर :</u>

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिये कक्षा–2 एवं कक्षा–5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में आधार भूत परीक्षण के अन्तर्गत परीक्षण किया गया जिसके आधार पर जनपद की स्थिति निम्नानुसार है –

सारणी 9.1

1. लिंगवार एवं जातिवार भाषा की स्थिति

कक्षाएं	कुल		लिंगवार				जातिवार					
			बालक		बालिका		S.C.		OBC		अन्य	
	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
2	56.25	28.48	11.76	5.64	10.68	5.71	10.95	5.58	11.17	5.8	12.21	5.53
5	42.71	14.28	32.22	9.88	29.37	10.17	30.29	10.92	29.15	8.89	31.59	11.6

सारणी 9.2

लिंगवार भाषा की स्थिति

कक्षायें	वालक		बालिका	
	S<40%	S<80%	S<40%	S<80%
कक्षा--2	34.3	28.8	43.7	23.5
कक्षा--5	47.8	2.1	53.1	0.8

सारणी – 9.3
जातिवार भाषा की स्थिति

कक्षाएं	S<40%			S<40%		
	अनु0 जाति	पिछड़ी जाति	अन्य	अनु0जाति	पिछड़ी जाति	अन्य
कक्षा–2	40.1	39.2	34.7	24.5	25.3	33.9
कक्षा–5	51.7	52.4	40	0.7	1.10	4.2

सारणी 9.4

लिंगवार एवं जातिवार गणित की स्थिति

कक्षाएं	कुल		लिंगवार				जातिवार					
			बालक		बालिका		एस0सी0		ओ0बी0सी0		अन्य	
	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
कक्षा–2	44.89	32.56	9.6	6.48	8.29	6.49	8.85	6.26	8.91	6.52	9.47	7.05
कक्षा–5	21.23	12.69	8.99	5.29	7.68	4.6	8.66	5.61	8.44	4.81	8.42	5.17

सारणी – 9.5
लिंगवार गणित की स्थिति –

कक्षाएं	बालक		बालिकाएं	
	S<40%	S>80%	S<40%	S>80%
कक्षा–2	46	19.7	54.6	15.6
कक्षा–5	92.8	0	97.9	0

सारणी – 9.6
जातिवार गणित की स्थिति

कक्षायें	5<40%			5>40%		
	एस0सी0	ओ0बी0सी0	अन्य	एस0सी0	ओ0बी0सी0	अन्य
कक्षा–2	49.7	51.3	46.5	14.5	17.9	24.4
कक्षा–3	90.7	96.6	94.2	0	0	0

श्रोत – बी0एस0ए0 आफिस एटा

सारणी 9.7

जनपद में कार्यरत अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता का प्रतिशत निम्नानुसार है–'

VII	H.S.	Inter	B.A.	M.A.
2.1	34	32.6	22.6	8.5

टीचर ग्रान्ट हेतु अध्यापकों की संख्या

क्र0सं0	वर्ष	2002--03	03--04	04--05	05--06	06--07
1	टीचर उ0प्रा0वि0	134	510	640	5484	5620
2	टीचर प्रा0 वि0	1123	1158	1273	1273	1273

उपरोक्त के अध्ययन से स्पष्ट है कि शिक्षकों को नयी विधाओं की जानकारी देना अत्यन्त आवश्यक है। अतः विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षणों का आयोजन, अधिगम सामग्री का उपयोग तथा बी0आर0सी0 एन.पी.आर.सी. और डायट स्तर पर प्रभावी शैक्षिक अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन कर विद्यालयों को अपेक्षित स्तर तक लाया जायेगा।

सारणी – 9.7

वर्तमान में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों योग्यता B.A.B.T.C. है और उस सारिणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक बड़ा अध्यापकों का समूह निर्धारित योग्यता नहीं रखता अतः इन अध्यापकों को विषय से सम्बन्धित प्रशिक्षण देकर शिक्षण स्तर में व्यापक सुधार लाया जायेगा।

सामान्य निष्कर्ष –

कक्षा दो एवं कक्षा पांच के भाषा एवं गणित की उपलब्धि में अशातीत वृद्धि है। इन दोनों कक्षाओं के बच्चों के भाषा और गणित के मध्यमानों का प्रतिशत भी लगभग समान है इससे पता चलता है कि भाषा और गणित जो प्राथमिक शिक्षा के मुख्य विषय है, दोनों में बच्चों ने समान रुप से योग्यता प्राप्त की है।

विद्यालयों में जाति और लिंग के आधार पर अन्तर कम हुआ है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों का प्रवेश बढ़ा है। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या में पर्याप्त बृद्धि हुई है। वर्गवार और लिंगवार भाषा और गणित की उपलब्धि भी लगभग समान है 85 प्रतिशत बच्चे दक्षता को प्राप्त कर लिए हैं, 15 प्रतिशत बच्चे दक्षता प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं।

प्रमुख निष्कर्ष :–

1. सर्वेक्षण की तिथि को 95 प्रतिशत अध्यापक उपस्थित पाये गये। इनमें से लगभग 40 प्रतिशत अध्यापक क्रिया आधारित शिक्षा एवं सहायक सामग्री का प्रयोग करते पाये गये। कक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक के रुप में कार्य कर रहा है। बालक पठन–पाठन कार्य में रुचि ले रहे थे। शिक्षक समय से उपस्थिति पाये गये। कक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था

में शिक्षक मेधावी छात्रों को पीछे और कमजोर छात्रों को आगे बैठाते हैं। विशेषकर बालिकाओं को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता हे।

2. इस व्यवस्था के कमजोर बच्चे लाभान्वित थे। शिक्षक कठिन कार्यों का निराकरण पूछकर श्यामपट पर लिखता है। पठन–पाठन को समूह में बारी –बारी पढ़ाते है। मेधावी बच्चों के सहयोग से समूह में उच्चारण दोष का निराकरण करते हैं तथा शिक्षक स्वयं भी उच्चारण करते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण पर ध्यान रखते हैं प्रश्नोत्तर एवं अनुपूरक अध्ययन सामग्री का भी प्रयोग किया जाता हैं। अधिकतर बाजार से बनी हुई सामग्री का प्रयोग हो रहा है। कुशल अध्यापक ही केवल स्व निर्मित सामग्री का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में कर रहे हैं। कुछ विद्यालयों के अध्यापक शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

अध्ययन के निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त हुये हैं–

1. सेवा पूर्व एवं सेवारत दोनों प्रकार के प्रशिक्षणों में क्लास रूम प्रक्रिया की जानकारी स्पष्ट की जानी चाहिये।

2. शिक्षकों के विषय ज्ञान का विस्तार ही काफी नहीं हे बल्कि शैक्षिक सत्र के आरम्भ में ही शिक्षकों को शैक्षिक तकनीकों एवं आधुनिक सूचना तकनीकी से अवगत कराया जाना चाहिये।

3. प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को बी.आर.सी. स्तर पर सूचना तकनीकी के उपयोग हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

4. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया को लागू करने के लिये विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की डिजाइनिंग के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाये। परीक्षणों को विश्वसनीय बनाने के लिए निर्धारित विधियों की जानकारी शिक्षकों को दिया जाना चाहियें

5. क्लास रुम की प्रक्रिया में सुधान लाने के लिये शिक्षकों बी.आर.सी. स्तर पर 6 से 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और उन्हें एक्शन रिसर्च की रणनीति बनाने हेतु जानकारी देना आवश्यक है।

6. शिक्षकों एवं बच्चों को सक्रियता प्रदान करने के उददेश्य से डायट, एन.जी.ओ. और शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक शिक्षण सामग्री एवं अनुपूरक साहित्य का विकास

किया जाना चाहिये।

7. विद्यालयों के सामाजिक रुप से अपवंचित एवं अकादमिक रुप से पिछड़े हुए बच्चों की देखभाल करने के लिये बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ बनाने की आवश्यकता है।

8. शिक्षकों एवं बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति को सुनिश्चित करने एवं पाठय सहगामी क्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय स्तर पर गहन पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

9. विद्यालय के अकादमिक सामाजिक व अन्य परिणामों को जानने के लिये की हर दूसरे वर्ष मूल्यांकन करके अच्छे परिणाम वाले विद्यालयों को पुरुस्कार एवं अन्य प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इसके लिये जिला स्तर प्राधिकारी के सहयोग से डायट स्तर पर योजना निर्माण की आवश्यकता है।

10. शिक्षण में प्रयोग हेतु सहायक सामिग्री के निर्माण एवं अन्य दृश्य-श्रव्य उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये एन.पी.आर.सी. स्तर पर उचित निर्देश दिया जाना चाहिये। इस प्रकार शिक्षण में सुधार लाने वाले शिक्षकों की पहचान करके उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

जनपद में विशेष बच्चों के बारे में -

जनपद की शहरी मलिन बस्तियों में बच्चे हैं और बाल श्रमिक भी हैं। बाल श्रमिकों का जीवन गरीबी के शिकंजो से जकड़ा रहता है। जिनके माता-पिता आर्थिक रुप से कमजोर होते हैं, क्योंकि इनके पास आय के स्रोत नहीं होते है। धनाभाव में भी माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और विद्यालयों में प्रवेश कराते हैं। किन्तु परिस्थितिवश घर के काम में अथवा बाहर के काम में बच्चे को लगा देते हैं। जिस से उसको आर्थिक लाभ होने लगता है। शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे अपने जीवकोपार्जन के लिये कूड़े कचरे से पालिथिन की थैली आदि सामग्री बटोर कर विक्रय कार्य में लगे रहते हैं अथवा माता-पिता के साथ खदानों के आसपास रहते हैं। पत्थर खदानों के पास स्थित बच्चों तथा बीडी बनाने के काम में लगे हुये बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करनी है।

बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिये वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालय की निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय उनके स्तर के अनुरुप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष में पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरुप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों के जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

डायट के प्रवक्ताओं के द्वारा प्रत्येक माह अपने आबंटित विकास खण्डों में निरीक्षण तथा अनुश्रवण और क्लास रुम आब्जर्वेशन स्टडी 1998 तथा 2000 से शिक्षकों की अकादमिक समस्याएं ज्ञात हुई–

लम्बे समय से शिक्षण करने वाले अध्यापक नवीन शिक्षण विधा को मानसिक रुप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। परम्परागत ढंग से ही शिक्षण कार्य करने में विश्वास करते हैं। कुछ अध्यापक अपनी शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण तथा नवीन पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु को ज्ञान के अभाव में बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अध्यापकों का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय से प्रवेश लेने वाले बच्चे सभी विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर के मानक को पूर्ण नहीं कर पाते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्ता पूरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद एटा में 6–14 वय वर्ग के सभी बालक – बालिकाओं को वर्ष 2007 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जिसे स्कूली शिक्षा में व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस

प्रकार है –

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल ई.जी.एस. केन्द्र वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।

2. सभी बच्चे पांच वर्ष की शिक्षा पूरी करें यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।

3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक पूरा प्राप्त कर लिया जायेगा।

4. गुणवत्तापूरक शिक्षाओं जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो प्रदान की जायेगा।

5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 समाप्त कर लिया जायेगा।

6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों को स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिये जनपद का एक विजन विकसित किया जायेगा। जिसमें जनपद – विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्व प्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों विकास खण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिये डायट स्तर पर विजनिंग कार्याशाला आयोजित की जायेगी जिसमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उददेश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा– कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियां तय की जायेगी। इन कार्याशालाओं का उददेश्य होगा कि परियोजना के अन्तर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाऐं बन सकें। शिक्षकों के लिये भी विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि उनके विषय में ज्ञान को बढ़ाने के लिये शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत प्रशिक्षणों को सतत प्रक्रिया के रुप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिये तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण ही यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिये नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

डी.पी.ई.पी. के अतंर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान मे अनुभूत आवश्यकताओं यथा बहुकक्षा – बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिये विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण –

प्रथम वर्ष में पाठय पुस्तकों पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षा मित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरान्त इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्याशालायें भी आयोजित की जायेगीं।

जिनका विवरण इस प्रकार है –

1. बिजनिंग कार्याशालायें –3 दिवसीय–एन.पी.आर.सी. स्तर पर।
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठयपुस्तक आधारित सामग्री निर्माण हेतु एक–एक तीन कार्याशालाऐं – एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर।
4. विकास खण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अतंर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/ कार्यशालायें जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों कायाशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षका प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 /– की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस प्राकर रु0 86.20 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार भाषा तथा गणित की विषय वस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में ल‍ु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्याशाऐं भी आयोजित की जायेगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इसमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये ऐजेण्डों को उपभाग किया जायेगा।

3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिये शिक्षण रणनीतियों सम्बन्धी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षण प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70/– प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु0 103.81 लाख प्रस्तावित है। तृतीय वर्ष में विज्ञान तथा सामाजिक

विषय और मूल्यांकन पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है:–

1. बी0आर0सी0 स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगी।

2. बी0आर0सी0 स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

3. बी0आर0सी0 स्तर पर सतत तथा व्यापक छात्र मुल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालायें 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षण प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70/- की दर से अनुमानतः रु0 107.7 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालायें भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालायें वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तेयार किया जायेगा।

2. एन0सी0आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी जिसमें न्याय पंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।

3. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की

प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बन्धी 2 दिवसीय कार्यशाला एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। इन पशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70/– की दर से अनुमानतः रू0 111.55 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिये अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे निका विवरण इस प्रकार है :–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक–एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के सम्बन्ध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिये 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्ता इण्टरमीडिएट अथवा उससे कम हैं उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षो से अधिक है उनके लिये नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नव नियुक्त सहायक अध्यापकों के लिये 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्ति प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयो के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय प्रबंधन विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि विन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

<u>उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण :–</u>

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण

अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें सहायक अध यापक, प्रधानाचार्य हाई स्कूल तथा इण्टर कालेजों में कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षकायें प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथ शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गयी है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे :-

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण विषय वस्तु शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति पाठ योजना तथा संबन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालायें एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी0आर0सी0 स्तर पर भी एक दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70/– की दर से अनुमानतः रु0 21 लाख प्रस्तावित हैं।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय वस्तु शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्य तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति पाठ योजना तथा संबंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये ऐजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालायें एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित कियाजायेगा। एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70/- की दर से अनुमानित रु0 21 लाख प्रस्तावित हैं।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 6 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा संबंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गये एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालायें एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चत किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70/- की दर से अनुमानतः रु0 22 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी0आर0सी0 स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्य पुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी की जायेगी तथा प्रस्तुति की जायेगी इसके साथ-साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप

हेतु डायट द्वारा तैयार किए गये एजेण्डा के आधार पर एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन0सी0आर0सी0 तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बन्धी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में ''टेस्ट आइटम'' बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन0पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 22 लाख प्रस्तावित है।

पांचवे वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 6 दिवसीय होगा। इस प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षण की विषय वस्तु की रुप रेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरुप पशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पॉचवें वर्ष में अनुमानतः 22 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिये कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है :–

1. कम्प्यूटर उपयोग संबन्धी प्रशिक्षण :–

सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुये भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि बच्चों को कॅप्यूटर सम्बन्धी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्रथमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक

शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबन्धी शिक्षण जानकारी प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है –

1. शिक्षा मित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण :– जनपद के 1566 शिक्षा मित्रों तथा 434 ई0जी0एस0 केन्द्रों के आचार्य जी के लिये 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षामित्रों के लिये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिये 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. वैकल्पिक शिक्षा– जनपद के प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 75 है। इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिये आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी. के सहया से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण हेतु व क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अतंराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. ई.सी.सी.ई.केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 100 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिये 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण माडयूल का विकास किया गया था कालान्तर में इस मॉडयूल का अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्था, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधार शिक्षा" भाग 1 व 11 प्रशिक्षण माडयूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं। स्कूल रेडिनेस बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक संबेगात्मक और सृजनात्मक शारीरिक विकास भाषाई कौशलों का विकास बच्चों में सामाजिक संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि प्रशिक्षण सात दिवसीय हैं और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता हैं तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता हैं इस माडयूल का आगामी तीन चार वर्षो तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

बी.आर.सी./एन.पी.आर. समन्वयकों का प्रशिक्षण–बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

4. एस.एस.ए. परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल, इंटर कॉलेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर.सी./एन.पी.आर. समन्वयकों की क्षमता मैं अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व संबंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरुप संशोधित/परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी. आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिये आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षा मित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षक हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉडयूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.

आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्र्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. प्रशिक्षण – जनपद में विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वार डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एवं डिप्टी बी.एस.ए. के लिये अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंन्त्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण विद्यालयों बी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों ई.जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण ई.एम.आई.एस. माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभग करेंगे।

6. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने बच्चों खासकर बालिकओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनायें बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरुक अभिभावकों के लिये जीव दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अतंराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में आरंभ किया जायेगा।

प्रशिक्षण माडयूल का विकास स्तर पर डी.पी.ई.पी.–111 के अंतर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरुप जनपद स्तर पर संशोधित परिबर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिये 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे – ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य मेडिल कलस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों

या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू. एम.जी., एम.टी.ए. ओटीए युवक मंगल दल के सदस्यों के प्रशिक्षण के फलस्वरुप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैंपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनायें प्राप्त होती है इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनमें स्कूल जाने के लिये प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है। जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. **एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण –**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम 05 वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षो में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय का बढ़ाना –

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है वर्ष में 200 कुल कार्य दिवस के लिये खुला। डी.एम. के आदेश पर 12 दिन का शीतावकाश के लिये बन्द हुआ, तथा निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ। अतः 177 दिवस शिक्षण के लिये शेष रहा।

सारिणी – 9.8

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
परीक्षा	08 छमाही सालाना परीक्षा	12

अन्य कार्य	19	08
नष्ट हो जाने वाले दिन	12 डी.एम.के विशेष आदेश पर	12
समुदायी से सम्पर्क	08	08
शिक्षक दिवस	173	180.

स्रोत – डायट

सारिणी 9.9

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण सप्ताह के अनुसार

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
	वादन/समय	वादन/समय
भाषा–1 हिन्दी	9 वादन/6 घण्टे	6 वादन/ 4 घण्टे 30 मिनट
भाषा – 2 अंग्रेजी	5 वादन/3 घण्टे 20 मिनट	6 वादन/4घण्टे 30 मिनट
भाषा –3 संस्कृत	5 वादन/ 3 घण्टे 20 मिनट	4 वादन/3 घण्टे
विज्ञान	6 वादन/3 घण्टे	6 वादन/ 4 घण्टे 30 मिनट
गणित	9 वादन/6घण्टे	6 वादन/4घण्टे 30 मिनट
सामाजिक विषय	6 वादन/ 4घण्टे	6 वादन/ 4 घण्टे 30 मिनट
समाजपयोगी कार्य	3 वादन/ 2 घण्टे	6 वादन/ 4घण्टे 30 मिनट
कला शिक्षण	5 वादन/ 3 घण्टे 20 मिनट	8 वादन/ 6 घण्टे

उपर्युक्त सारिणी – के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 177 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 183 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्य दिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश है अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों का क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समय से अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण माडयूल का विकास किया गया था कालान्तर में इस मॉडयूल का अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्था, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधार शिक्षा" भाग 1 व 11 प्रशिक्षण माडयूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं। स्कूल रेडिनेस बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक संबेगात्मक और सृजनात्मक शारीरिक विकास भाषाई कौशलों का विकास बच्चों में सामाजिक संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि प्रशिक्षण सात दिवसीय हैं और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता हैं इस माडयूल का आगामी तीन चार वर्षो तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

बी.आर.सी./एन.पी.आर. समन्वयकों का प्रशिक्षण–बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

4. एस.एस.ए. परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल, इंटर कॉलेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर.सी./एन.पी.आर. समन्वयकों की क्षमता मैं अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व संबंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरुप संशोधित/परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी. आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिये आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षा मित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षक हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉडयूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.

आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्र्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. प्रशिक्षण – जनपद में विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वार डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एवं डिप्टी बी.एस.ए. के लिये अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंन्त्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण विद्यालयों बी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों ई.जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण ई.एम.आई.एस. माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभग करेंगे।

6. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने बच्चों खासकर बालिकओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनायें बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरुक अभिभावकों के लिये जीव दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अतंराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में आरंभ किया जायेगा।

प्रशिक्षण माडयूल का विकास स्तर पर डी.पी.ई.पी.–111 के अंतर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरुप जनपद स्तर पर संशोधित परिबर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिये 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे – ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य मेडिल कलस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों

या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू. एम.जी., एम.टी.ए. ओटीए युवक मंगल दल के सदस्यों के प्रशिक्षण के फलस्वरुप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनायें प्राप्त होती है इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनमें स्कूल जाने के लिये प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यो में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है। जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. **एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण –**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम 05 वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षो में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय का बढ़ाना –

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है वर्ष में 200 कुल कार्य दिवस के लिये खुला। डी.एम. के आदेश पर 12 दिन का शीतावकाश के लिये बन्द हुआ, तथा निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ। अतः 177 दिवस शिक्षण के लिये शेष रहा।

सारिणी – 9.8

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
परीक्षा	08 छमाही सालाना परीक्षा	12

अन्य कार्य	19	08
नष्ट हो जाने वाले दिन	12 डी.एम.के विशेष आदेश पर	12
समुदायी से सम्पर्क	08	08
शिक्षक दिवस	173	180.

स्रोत – डायट

सारिणी 9.9

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण सप्ताह के अनुसार

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
	वादन/समय	वादन/समय
भाषा–1 हिन्दी	9 वादन/6 घण्टे	6 वादन/ 4 घण्टे 30 मिनट
भाषा – 2 अंग्रेजी	5 वादन/3 घण्टे 20 मिनट	6 वादन/4घण्टे 30 मिनट
भाषा –3 संस्कृत	5 वादन/ 3 घण्टे 20 मिनट	4 वादन/3 घण्टे
विज्ञान	6 वादन/3 घण्टे	6 वादन/ 4 घण्टे 30 मिनट
गणित	9 वादन/6घण्टे	6 वादन/4घण्टे 30 मिनट
सामाजिक विषय	6 वादन/ 4घण्टे	6 वादन/ 4 घण्टे 30 मिनट
समाजपयोगी कार्य	3 वादन/ 2 घण्टे	6 वादन/ 4घण्टे 30 मिनट
कला शिक्षण	5 वादन/ 3 घण्टे 20 मिनट	8 वादन/ 6 घण्टे

उपर्युक्त सारिणी – के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 177 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 183 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्य दिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश है अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों का क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समय से अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने

वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग हेतु आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एम.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों का यथा आवश्यक संशोधित किये जाने पर तदनुरुप पाठय पुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से लगभग 177 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 265.56 लाख रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक – संदर्शिकाएं जो डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपलबध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 170 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्य क्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित जनवरी 2000 में अनुमोदति किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधित किये जाने की कार्य वाही किये जो तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर विशेष रुप से कार्यशाला का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्य पुस्तकों का विकास एस.सी.ई.आर.टी. के तत्वाधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस.ई.आर.

टी. के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, वाहय विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रहीं है। इन पाठ्य पुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–2002 में हो जायेगी। तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र मे इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा। तथा ये शिक्षक संदर्शिकाऐं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायीं जायेगीं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभीं बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगीं जिससे 12000 बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 5.70 लाख व्यय होगीं।

किशोरी बालिकाओं के लिए पठन सामग्री –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिए अच्छी तरह तैयार कर सकें। यह विशेष रुप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

7. गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका –

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तरीय अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिये जनपद तथा उप जनपद स्तरीय वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेगी। जनपद, विकास खण्ड, न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिये प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय

अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रम का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग और प्रमुखों दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपर्युक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना इस हेतु डायट द्वारा निम्नतम कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी.ई.सी. प्रशिक्षण वी.ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए ''संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम'' को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध – मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस.ए. /एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी का क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठा कर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक रिपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण –

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिये विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संदर्भ समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ योग्य शिक्षकों आदि सदस्य है अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत शासकीय संस्थानों अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलबध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता के विकास, अकादमिक संदर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य

रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के लिये आयोजित किया जायेगा। इसी क्रम में एन.पी. आर.सी. स्तर पर संकुल प्रभारी द्वारा कुछ अध्यापकों की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार क्रमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रक्रिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रुप में दिया गया है तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पाठन सामग्री, सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रुप में प्रदान किया जायेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन :–

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालाएं एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व

शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्य योजना बनाने में एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत शिक्षण सामग्री निर्माण शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी।

1. बच्चों की संप्राप्तिं स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र छात्राओं की अधिकम संप्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आईटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन :-

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0 लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी0आर0सी0, एन0सी0आर0सी0 को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूढने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध हेतु प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अन्तर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं :-

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है।
2. विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिनन विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो।
4. बच्चों के सतत व्यापक मूल्यांकन में कक्षा बच्चों का सहयोग।
5. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।

6. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
7. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिन्हित कमजोर विद्यालयों के प्रबंधन के मुद्दे।
8. विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षकाओं का रोल परसेप्शन परिवर्तन करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

जनपदीय परिस्थितियॉ एवं आवश्यकताओं के अनुरुप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यो का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रमों, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकन कर व्यवहारिक कठिनाइयों, के परिपेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षो को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, निरीक्षक तक पहुंचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्ग दर्शन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलबध करायी जायेगी। शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं को सुचारु रुप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से जन ; स्तर पर क्लास रुप आब्जर्वेशन स्टडी भी की जायेगी।

<u>ऑकड़ां का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग :–</u>

1. ई0एम0आई0एस0 के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक विकास
2. शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों चुने हुए प्रशिक्षक 10 दिन का प्रशिक्षण
3. शिक्षा मित्र/आचार्य जी का
4. आधारभूत प्रशिक्षण 30 दिन

	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		20 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		20 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	03 दिन
6.	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी0आर0सी0एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी0आर0सी0एन0पी0आर0सी0 तथा सहायिकाएं	20 दिन
8.	ए0बी0एस0ए0एस0डी0आई0 का प्रशिक्षण	ए0बी0एस0ए0एस0डी0आई0	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी0आर0जी0 का प्रशिक्षण	बी0आर0जी0 के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुये शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	30 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	20 दिन
15	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 के चुने हुये	05 दिन

		समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी0आर0सी0एन0पी0आर0सी0 समन्वयक डायट स्टाफ चुने हुये शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणी करण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 के चुने हुए	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी0आर0सी0एन0पी0आर0सी0 के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्राथमिक के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक शिक्षकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक हाई स्कूल/इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य-दृश्य माध्यम से उपयोगी संबंधी कार्यशाला	बी0आर0सी0 समन्वयक चुने हुये विद्यालय शिक्षक	02 दिन
25.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ-लर्निंग मटीरियल का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को	बी0आर0सी0एन0पी0आर0सी0	02 दिन

	बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	समन्वयक	
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन

आकादमिक सुपरविजन में डायट, बी0आर0सी0एन0पी0आर0सी0 की समेकित भूमिका–

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 की समेकित भूमिका रहेगी। एन0पी0आर0सी0 अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी0आर0सी0 को देगा तथा समीक्षा करके बी0आर0सी0 प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए0आर0जी0 के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेण्डा तैयार करेंगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यो का अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई0सी0सी0ई0, ई0जी0एस, केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा तथा अपेक्षित सुधार लाया जायेगा।

बी0आर0सी0 की भूमिका –

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास

हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण–आयोजित करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा ,ई0जी0एस0 शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी0आर0सी0 के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायत राज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन0पी0आर0सी0 तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी0आर0सी0 स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु संदर्भ समूह विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी0आर0सी0 स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन0पी0आर0सी0 की भूमिका :–

- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।
- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं को आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई0सी0सी0ई0 तथा ई0जी0एस0 केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी0ई0सी0 के सदस्यों, डब्लू एम0जी0/पी0टी0ए0/एम0टी0ए0 सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।

– शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों का सहयोग प्रदान करेंगे।
– स्कूल डवलपमेन्ट प्लान का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
– एन0पी0आर0सी0 अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक श्रोत केन्द्र के रुप में अपने आपको विकसित करेंगे।

प्राथमिक विद्यालय/कन्या उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इसमें सिलाई कढ़ाई, फलसंरक्षण तथा हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षकों को चिन्हित कर डायट पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो इस कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर प्रभारी होंगे। विद्यालय वार विभिन्न कौशलों के अनुसार स्थानीय विशेषज्ञों का चयन किया जायेगा और सामग्री–उपकरणक्रय कर व्यवस्था की जायेगी। इन शिल्पों/कौशलों के लिए सप्ताह में तीन दिन शिक्षण समय में उपरांत अन्तिम दो वादनों में लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण डायट द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री क्रय विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। कार्यक्रम का वार्षिक मूल्यांकन भी किया जायेगा। उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/प्रोत्साहन की व्यवस्था –

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरुस्कार/प्रोत्साहन व्यवस्था :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित का कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमों का सुचारु संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपर्युक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य

निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रु0 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास

खण्ड में 1 एन.पी.आर. को रु0 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः 15,000 तथा रु0 10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस ध नराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालये को समद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रु0 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता –

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बार (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे जिनमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र–छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण –

	भवन का विस्तार	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)
1.	कार्यालय भवन के अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण	40.00
2.	एक सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3.	एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण	2.00
	योग	50.00 लाख

उपकरण/साजसज्जा

1.	कम्प्यूटर (4) प्रिटर्स, यू0पी0एस0	6.00
2.	फोटाकापियर	1.50

3.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी–मेज	1.00
4.	जनरेटर वाटर कूलर, डुपलिकेटिंग मशीनें फैक्स मशीन	1.50
	योग	**10.00 लाख**

आवर्तक (प्रतिवर्ष)

1.	क्रियात्मक शोध/अध्ययन	2.00
2.	कार्यशालाएं/सेमीनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कटिन्जेसी	1.00
5.	वाहन रख–रखाव/पी.ओ.एल.	0.50
	योग	**10.00 लाख**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर का प्राविधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामग्री विकास के लिये उपयोगी सिद्ध होगें। तकनीक अभियान के अन्तर्गत वातातरण सृजन एवं शैक्षिक उन्नयन के लिये निम्न प्रावधान और किये जा रहें हैं–

1.	फर्नीचर	–	0.50 लाख (योजना के तीन वर्षों में)
2.	विभागों का विकास	–	0.50 लाख प्रतिवर्ष
3.	एक्सपोजर विजिट	–	0.50 लाख प्रतिवर्ष
4.	पुस्तकालय	–	0.25 लाख प्रतिवर्ष
5.	कम्प्यूटर आपरेटर का वेतन	–	0.84 x 3 = 2.52 लाख प्रतिवर्ष
7.	कम्प्यूटर स्टेशनरी	–	0.20 लाख प्रतिवर्ष

अध्याय – 10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

जनपद में 6–14 आयु वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता परक शिक्षा उपलबध कराने हेतु वर्तमान व्यवस्था की पूरक व्यवस्था के साथ में सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0) की परियोजना प्रस्तावित की जा रही है जिसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2007 तक ही होगी। परियोजना अवधि में बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्ध कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी कार्यक्रम एवं उसका प्रबन्ध 'उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद' द्वारा किया जायेगा।

टीम भावना पर आधारित इस परियोजना का प्रबन्ध लोकतांत्रिक होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये भी पर्याप्त अवसर उपलबध होंगे। इसमें यह अपेक्षा रहेगी कि अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। समय–समय पर कार्यक्रम की समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इस तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी जन–सहभागिता पर आधारित होगे। इससे सबसे निवले स्तर पर जवाबदेही, दिन प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा तथा अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अध्यापक विद्यालय में उपस्थित रहें और अध्ययापन कार्य भी करें। अध्यापन कार्य से विरत रहने वाले अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी और अध्यापन कार्य कर रहे अध्यापकों के विगत वर्षो में उनकी दिये गये प्रशिक्षण के आधार पर समीक्षा की जायेगी।

प्रबन्धतंत्र संवेदनशील और लचीली प्रणाली –

विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्ध प्रणाली के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने,

उ0 प्र0 के सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद

निर्णयकर्ता समितियां	सर्वशिक्षा अभियान की प्रबन्ध पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति यू0पी0ई0एफ0ए0पी0बी0	राज्य परियोजना कार्यालय	एस0सी0ई0आर0टी0 एस0आई0ई0, साइमैट एस0आई0ई0टी0 एन0जी0ओ0 आदि।
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन0जी0ओ0 आदि
क्षेत्र विकास समिति	विकास खण्ड शिक्षा अधि..ारी	विकास खण्ड संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक/अध्यापक	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र

जवाबदेही सुनिश्चत करने की प्रणाली स्थापित करने एवं वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रत्येक की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0प्र0 सर्व शिक्षा अभियान द्वारा तैयार किया गया प्रबन्धतन्त्र इस प्रकार है –

संगठनात्मक ढाँचा–नीति निर्धारण –

ग्राम शिक्षा समिति –

बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 तथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पदान हेतु ग्राम शिक्षा समिति का किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं–

समिति का स्वरुप –

1. ग्राम पंचायत का प्रधान — अध्यक्ष

2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक विद्यालय हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठ सदस्य।

3. बेसिक विद्यालयों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी), जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।

अधिकार एवं दायित्व –

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी–

1. पंचायत क्षेत्र में बेसिक विद्यालयों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबन्धन करना।

2. बेसिक विद्यालयों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।

3. पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

4. बेसिक विद्यालयों उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये पंचायत को सुझाव देना।

5. ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक

6. पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित बेसिक विद्यालयों के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

7. बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रुप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। चूंकि ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में अग्रणी रही है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इस और अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ–साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को सूक्ष्म नियोजन आदि विधाओं के सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास संभव हो सके।

बेसिक शिक्षा के साथ–साथ गारन्टी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये उपर्युक्त परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण भी इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आगनबाड़ी केन्द्रों के कर्मचारियों के वेतन/मानदेय का भुगतान भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा साथ ही, छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण भी ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन हेतु (एन0पी0आर0सी0) –

जनपद में सभी 149 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण जिला प्राथमिक शिक्षा

कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) योजनान्तर्गत कराया जा रहा है। इसे सुसज्जित किया जाने के साथ–साथ न्याय पंचायत प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। सर्व शिक्षा के अभियान के अन्तर्गत इनको प्रशिक्षिण के माध्यम से और अधिक क्रियाशील एवं सक्रिय किया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व –

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का शैक्षिक निरीक्षण करना।

2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाईयों पर विचार–विमर्श एवं उसका निराकरण करना।

3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।

4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता में सुधार, वातावरण निर्माण आदि की कार्य योजना तैयार करना।

5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति –

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक विकास खण्ड शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो 'सर्व शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगीं।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी हैं–

1. ब्लॉक प्रमुख	अध्यक्ष
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य सचिव
3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक	

अधिकार एवं दायित्व –

क्षेत्र पंचायत समिति का मुख्य कार्य विकास खण्ड संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्णयों अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी कियान्वयन एवं अनुश्रवण कना इसका मुख्य दायित्व होगा। इसका मुख्य कार्य ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच समन्वय स्थापित करना भी है तथा सुनिश्चित करना भी है तथा सुनिश्चत रोजगार योजना/जे0जी0एस0बाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में विशेष सहायक होगीं। इन समस्त कार्यो के सम्पादन हेतु समिति की प्रत्येक माह एक बैठक करना अनिवार्य होगा।

प्रशासनिक संगठन–ब्लाक स्तर–

प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर स्थित पर स्थित एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उपविद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमत रुप से उनका पर्यवक्षेण व अनुश्रवण करेंगे तथा परियोजना सम्बन्धी कार्यो के क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, विकास खण्ड संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित रहे इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला शिक्षा परियोजना समिति को उपलब्ध कराना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व रहेगा।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी के रूप में उनके प्रमुख उत्तरदायितव निम्नलिखित होंगे–

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित करना।

6. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

7. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

8. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखने और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां कराना।

9. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

10. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उपविद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का वितरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रुप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी हो उपलब्ध करायेंगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजनान्तर्गत पूर्व में ही निर्मित विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जा चुकी है। जहां से वह सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने एवं गतिशीलता बढ़ाने के उददेश्य से यात्रा भत्ता एवं दुपहिया वाहन के रख-रखाव हेतु एक नियत धनराशि (रुपये 18,000 /- प्रति विकास खण्ड प्रति वर्ष) उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। उन्हें ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना अन्तर्गत पदास्थापित किये गये एक बी0आर0सी0 एवं एक ए0बी0आर0सी0 समन्वयक के अतिरिक्त एक और ए0बी0आर0सी0 समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र पर नियुक्त किया जायेगा।

विकास खण्ड संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजनान्तंर्गत सभी विकास खण्डों में विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है तथा उन्हें जल एवं विद्युत व्यवस्था से सुसज्जित भी किया जा चुका है एक समन्वयक एवं दो सह समन्वयक भी नियुक्त कर उनको प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। किन्तु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता एवं उच्च प्राथमिक स्तर विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये एक अतिरिक्त सह सह–समन्वयक का पद सृजित करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है जो कि परियोजना कार्यों के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण, सूचनाओं के एकत्रीकरण, संकलन विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन एवं कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का सहयोग करेंगे।

प्रायः यह देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकांश समय सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं उनका विश्लेषण करने में चला जाता है जिस कारण से वह शैक्षिक गुणवत्ता सम्बर्द्धन व समर्थन हेतु विशेष समय नहीं दे पाते हैं। अतः प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र को एक– एक कम्प्यूटर व एक–एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकरण करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 स्तर पर एक लाख रुपये का बजट प्रावधान किया जा रहा है आपरेटर के स्थान पर विकास खण्ड स्तर पर किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण दिलाकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व –

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण करना।

2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।

3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।

4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र

के रुप में कार्य करना।

6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।

7. विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के सम्बन्ध में बस्तीवार कम्प्यूटराइज्ड विवरण तैयार करना।

8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) योजनान्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं।

समिति का गठन निम्नवत् है –

1. जिलाधिकारी	– अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	– उपाध्यक्ष
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	– सदस्य सचिव
4. प्राचार्य डायट	– सदस्य
5. जिला श्रम अधिकारी	– सदस्य
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी	– सदस्य
7. वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	– सदस्य
8. अधिसाशी अभियन्ता (आर0ई0एस0)	– सदस्य
9. अधिशासी अभियन्ता (पी0डब्ल्यू0डी0)	– सदस्य
10. जिला विद्यालय निरीक्षक	– सदस्य
11. दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से) जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य

12. दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिये)

13. दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)

14. स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व –

सर्व शिक्षा अभियान हेतु यह जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति हैं। जिले स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार हैं। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के सम्बन्ध में इसके निर्णय प्रभावी होंगे। प्रवेश, धारण, संवर्धन, निर्माण के लिये तकनीकी पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार–प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना, संचालन एवं निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति –

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है–

1. जिला पंचायत अध्यक्ष	– अध्यक्ष
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	– सदस्य–सचिव
3. अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	– पदेन–सदस्य
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी	– पदेन –सदस्य
5. जिला विद्यालय निरीक्षक	– पदेन – सदस्य
6. अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	– पदेन –सदस्य
7. तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के उप निरीक्षक	– सदस्य

राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे

8. विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) – सदस्य

जो समिति का सहायक सचिव होगा

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी–

(क) जिले के ग्रामींण क्षेत्रों में स्थिति बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूल के विकास, प्रचार–सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र–जिला परियोजना कार्यालय –

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला स्तर पर जनपदीय परियोजना अधिकारी के रुप में कार्य करेंगे। उनका दायित्व राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगें। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद् के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे –

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी।
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	1 प्रतिनियुक्ति पर
3. समन्वयक	4 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4. सलाहकार	2 रु0 10,000/– नियत वेतन पर
5. ई0एम0आई0एस0 अधिकारी	1 रु0 10,000 /– नियत वेतन प्रति पद

6. कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक — 3 रु0 7,000 /- नियत वेतन प्रति पद

7. सहायक लेखाधिकारी — 1 प्रतिनियुक्ति पर

8. लिपिक — 1 नियत मानदेय के आधार पर

9. परिचारक — 1 नियत मानदेय के आधार पर

उ0 प्र0 के सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिटी प्लान के अन्तर्गत उपरोक्त में से कोई भी पद सृजित नहीं है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ जिला परियोजना अधिकारी के नियत्रंण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

उक्त के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्तव्य की तरह करेंगे। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीं समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददेश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों की भांति ग्रामीण अभियन्त्रंण सेवा विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेग, जिसके लिये उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित दर से ही भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रुपये 1,000 प्रति, अतिरिक्त कक्षा कक्ष / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रुपये 500 प्रति तथा शौचालय हेतु रुपये 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं

दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा तीन वर्ष बाद मानदेय की दर से संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि भुगतान जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम (ई0एम0आई0एस0)-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एवं क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर पर डायस सॉफ्टवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये सॉफ्टवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद के अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम का संकलित कर एक अध्यावाधिक एवं उपयुक्त ईएम0आई0एस तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष सांख्यिकी कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/सांख्यिकी सहायक रखे जायेंगे जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ए0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटरों पर रिपोर्ट तैयार कर सकें। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन

एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व –

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे–

1. विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण एवं वितरण करना।

2. समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

3. माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुये प्रपत्रों का एकत्रीकरण करना।

4. भरे हुये प्रपत्रों को सैम्पुल चैकिंग सम्पादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।

5. समयबद्ध रुप से दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर परियोजना कार्यालय को भेजना।

6. संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।

7. सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिये नोडल अधिकारी के रुप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

8. माइक्रो प्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट कर सभी सम्बन्धित को प्रस्तुत/ प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि से अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण –

जनपद स्तर पर विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर,

प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का एक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा तथा उन्हें ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र संकलन विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत सैम्पल चैकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे आंकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

2. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगे।

3. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें उन0पी0आर0सी0 समन्यक तथा सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

4. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (प्रोजक्ट मेनेजमेन्ट स्तर पर)

यह प्रशिक्षण राज्य परियोजना कार्यालय/राज्य शैक्षिक प्रगन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित एक सप्ताह का होगा। इसमें डी0पी0ओ0 एवं बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबन्धन एवं दूसरे दिन में प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकड़ो का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच –

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रति वर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात् ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से

प्राप्त भरे हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रुप से यह सूचना की पुष्टि स्वरुप होगा और यदि त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकड़ो का उपयोग–

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण जैसे – जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप आउट दर, छात्र–अध्यापक अनुपात, कक्षा–कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा ताकि बार–बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों से स्कूल से बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आंकडत्रों तथा ई0एम0आई0ए0 से प्राप्त आंकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वाछित कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन अभीष्ट होगा।

ई0एम0आई0एस0 एवं माइक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जायेगा–

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारन्टी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरुप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों की चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हेतु आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।

6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।

7. श्यामपट विहीन विद्यालयों का चिन्हीकरण।

8. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।

9. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।

10. शिक्षकों का विवरण।

11. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।

12. विकलांगतावार आंकड़ों के अनुसार उपरकणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सूचनादाताओं का उपयोग सम्बन्धी विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी –

संस्थाओं में छात्र–छात्राओं के ठहराव में वृद्धि के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्रापआउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहॉर्ट स्टडी वाह्य एजेन्सी द्वारा करायी जायेगी जिसका अनुश्रवण राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये प्रथक–प्रथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु0 दो लाख रखी गयी है।

प्रोजक्ट मैनेजमेन्ट इनफॉरमेशन सिस्टम –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद से सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने के प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0ए0सी0आई0 (L.A.C.I.) के अन्तर्गत कम्प्यूटराइज्ड वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसके लिये भी एस0आई0एस0प्रयोग0 में लाया जा रहा है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान –

शिक्षा की गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार के लिये जिला स्तर पर पूर्व से स्थापित जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान सुदृड़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्य को दृष्टिगत रखते हुए इसको और अधिक सुदृड़ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे–

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसन्धानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निधारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिये शोधकार्य करना और उसके परिणामों/निष्कर्षो की जानकारी सर्वसम्बन्धित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्ता मूलक निरीक्षण करना, उसके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों मार्ग दर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया कलापों का निर्देशन एवं नियंत्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर ऐकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये बेसलाइन सर्वेकरना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित शिक्षक आंकड़ों का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

12. शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

निधि का हस्तारण करना (फ्लो ऑफ फण्ड) –

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान के अप्रेजल के पश्चात एवं उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिखा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे–ग्राम शिक्षा समिति, स्वयं सेवा संस्थान, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से परिचालित किया जायेगा सभी के लिये जिला परियोजना परिषद वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधित हैं। अतः रुपये 5000 मूल्य से अधिक सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के लेखा सम्बन्धी अधिकारी/कर्मचारी संयुक्त रुप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त खाता खुला है जिसका

परिचालन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय सन्दर्शिका में लेखा–जोखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एवं प्रोक्योरमेन्ट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं जो परियोजना में भी अपनाये जायेंगे तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रुपरेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी। तो उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धी स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय–समय पर रिफ्रेसर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंको में खाते पूर्व से ही संचालित है जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिले को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयसग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय

जिला परियोजना कार्यालय	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
1. बी0आर0सी0 और एन0पी0आर0सी0	बी0आर0सी0 एन्ड एन0पी0आर0सी0
2. ग्राम शिक्षा समिति	
3. अध्यापक	
4. स्वंय संस्था आदि	

सर्वेक्षण व्यवस्था –

उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्वशिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखा जोखा का स्वतंत्र सम्प्रेषण चार्टरड एकाउन्टेण्ट के माध्यम से किया जायेगा यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टरड एकाउन्टेन्ट का चयन एवं रिफ्रेन्स फॉर ऑडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा राज्य सरकार/भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखा– जोखे का सम्प्रेषण (ऑडिट) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आन्तरिक सम्प्रेषण (इण्टरनल ऑडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्यसत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना –

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरुप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, बी0आर0सी0, समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेंगी जिसमें योजना कार्यों को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी। और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाइयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देशों की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपयोग किये जायेंगे। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजनाओं को सशक्त किया जाता रहेगा और कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्यक माह से कम्प्यूटराइज्ड पी0एम0आई0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य योजना की क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा वार्षिक ई0एम0आई0एस0 डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा यथा आवश्यक उपचारात्मक प्रयास अनपाये जायेंगे।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स के ध्यान में रखते हुए आदि के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित हैं जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के घुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
‹	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
0.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैच्छिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों / वाद विवाद / वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

SARVA SHIKSHA ABHIYAN

AW PB-2003-04 Etah

	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2003-2004 Phy	2003-2004 Fin
A	ACCESS			
A1	New Primary School Unserved	259	40	10360
A2	New Upper Primary Schools	451	32	8960
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	69	8280
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04	2.25	40	540
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04	9	40	2160
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)	10	96	5760
A8	Teaching Learning Equipment		0	
A8.1	PS	10	40	400
A8.2	UPS	50	32	1600
A9	TLE UPS not covered OBB	50	0	0
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0
	Total		0	38060
	Interventions for out of school children		0	
A11	Alternative Schools		0	
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.845	0	0
A11.2	Honraria	1	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0
A11.4	Contingency	0.468	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.056	0	0
A12	AIE/ Primary-including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.845	0	0
A13	AIE Upper Primary	1.2	20	720
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	1	180
A16	Bridge Course at NPRC level	0.845	149	5036.2
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.35	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0
	ACCESS Subtotal		0	43996.20
R	RETENTION		0	
R1	Reconstruction - PS	191	0	0
R2	Reconstruction - UPS	383	8	3064
R3	Additional Classrooms		0	
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	27	1890
R4.1	Toilets Upper Primary	10	65	650
R4.2	Toilets Primary	10	0	0
R5.1	Drinking Water Primary	15	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	15	40	600
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	1822	9110
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	392	1960
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0
R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0
R7.4	Salary of Fresh SM(PS)	2.25	[illegible]	[illegible]
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	15384	21384
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	20	40
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	515	1030
R12	Promoting Girls Education		0	0
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0
R12.2	MCDA	75	0	0
R12.3	Meena Manch	4	0	0
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0
R12.5	Trg /Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0
	Opening of ECCE centers		0	
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	
R13.2	TLM(per center)	5	0	0
R13.3	Additional Honn. Of instructor + Worker(per mth)	0.375	0	0
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0
R13.5	Training		0	
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0

R16	Community Mobilisation		[illegible]	
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.01	[illegible]	[illegible]
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	[illegible]	[illegible]
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day	0.48	0	0
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	0
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog	60	10	5000
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0
	RETENTION Sub Total		0	44728
Q	QUALITY IMPROVEMENT		0	
Q1	Training Programmes		0	
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	40	84
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	0	0
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	219	306.6
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	1154	1211.7
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0
Q1.9	Trg. Of rescurce persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0
Q2	IED Provision for disable children	1.2	2415	2898
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0
Q2.5	Support Services	5	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th /batch of 32 teachers	17.2	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0
Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0
Q5	Teacher Learning Material		0	0
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	162	81
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	2054	1027
Q5.3	Free Text book PS	0.05	1578	78.9
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	58791	8818.65
Q5.5	School Library	0.15	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0
Q5.9	Schools Awards	25	0	0
	QUALITY Sub Total		0	14505.8[illegible]
C	CAPACITY BUILDING		0	
C1	DIET Capacity Building		0	
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0
C2	Block Resource Center		0	0
C2.1	Civil Construction	800	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @ 10 for 12 mths	5.5	0	0
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0

C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	15	90
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0
C2.9	TLM(per center)	5	15	75
C2.10	Consumables	5.0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	15	187.5
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0
C2.13	Conigency - ABSA	5.0	0	0
C3	School Complex (NPRC)		0	0
C3.1	Construction	70	0	0
C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	149	149
C3.4	Contingency	2.5	149	372.5
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	149	357.6
C4	District Project Office/Management		0	0
C4.1	Staffing		0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0
C4.3	Salary of AE	15	1	180
C4.4	Equipment Maintenance	30	1	30
C4.5	Furniture/Fixtures	30	1	30
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	1	10
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0
C4.8	Travelling Allowances	10	16	160
C4.9	Consumaables	40	1	40
C4.10	Telephone/FAX	30	1	30
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	1	100
C4.12	Pay to JE	10	15	1800
C4.13	Hiring of Vehicle	10	1	10
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.5	0	0
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	415	581
C4.16	Contingency	100	1	100
C4.17	AWP & B	10	1	10
	Total		0	4312.6
C5	MIS		0	
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	1	244
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0
C5.6	Computer Software	20	0	0
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0
C5.8	Pnning & Distribution of Data Formats	40	0	0
C5.9	Maint of Equip & Consumables	20	0	0
C5.10	Computer Consumable	25	0	0
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0
	CAPACITY Sub Total		0	4556.6
	GRAND TOTAL		0	107786.65

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
Etah

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003 Phy	2002-2003 Fin	2003-2004 Phy	2003-2004 Fin	2004-2005 Phy	2004-2005 Fin	2005-2006 Phy	2005-2006 Fin	2006-2007 Phy	2006-2007 Fin	Total Phy	Total Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0.00	0.00	40	10360	0	0	5	1280	0	0	45	11640
A2	New Upper Primary Schools	451	23.00	10373.00	32	8960	0	0	5	1400	0	0	60	20733
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	69.00	5220.00	69	8280	69	8280	69	8280	69	8280	345	38340
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0.00	0.00	40	540	40	990	45	1113.75	45	1113.75	170	3757.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0.00	0.00	40	2160	40	4320	45	4860	45	4860	170	16200
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0.00	0.00	96	5760	96	11520	111	13320	111	13320	414	43920
A8	Teaching Learning Equipment		0.00	0.00	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0.00	0.00	40	400	0	0	5	50	0	0	45	450
A8.2	UPS	50	29.00	1450.00	32	1600	0	0	5	250	0	0	66	3300
A9	TLE UPS not covered OBB	50	56.00	2800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	56	2800
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0.00	0.00	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0.00	**19843.00**	0	**38060**	0	**25310**	0	**30753.75**	0	**27773.75**		**141740.5**
	Interventions for out of school children		0.00	0.00	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0.00	0.00	0		75		75		75			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0.00	0.00	0	0	75	1584.375	75	1584.375	75	1584.375	225	4753.125
A11.2	Honraria	1	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	AIE Primary including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.85	0.00	0.00	0	0	225	4753.125	225	4753.125	225	4753.125	675	14259.375
A13	AIE Upper Primary	1.2	0.00	0.00	20	720	225	8100	225	8100	225	8100	695	25020
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	160	0.00	0.00	1	160	1	180	1	160	1	180	4	720
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0.00	0.00	149	5036.2	149	5036.2	149	5036.2	149	5036.2	596	20144.8
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0.00	0.00	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0.00	**19843.00**	0	**43896.20**	0	**45213.70**	0	**50657.45**	0	**47677.45**	**0**	**207387.80**
R	***RETENTION***		0.00	0.00	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0.00	0.00	0	0	10	1910	10	1910	0	0	20	3820
R2	Reconstruction - UPS	383	0.00	0.00	8	3064	0	0	0	0	0	0	8	3064
R3	**Additional Classrooms**		0.00	0.00	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0.00	0.00	0	0	500	35000	500	35000	415	29050	1415	99050
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	15.00	1050.00	27	1890	62	4340	50	3500	0	0	154	10780
R4.1	Toilets Upper Primary	10	0.00	0.00	65	650	55	550	50	500	0	0	170	1700
R4.2	Toilets Primary	10	25.00	250.00	0	0	300	3000	300	3000	254	2540	879	8790
R5.1	Drinking Water Primary	18	0.00	0.00	0	0	70	1260	70	1260	0	0	140	2520
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0.00	0.00	40	600	55	990	55	990	0	0	150	2580
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0.00	0.00	1822	9110	1862	9310	1862	9310	1867	9335	7413	37065
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	392.00	1960.00	392	1960	519	2595	519	2595	524	2620	2346	11730
R7.1	Salary of Addl. Teachers [illegible] (02-03)	8	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0		

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	6.8	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0.00	0.00	0	0	1	2.5	1	2.5	1	2.5	3	7.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0.00	0.00	0	0	1	2	1	2	1	2	3	6
Q5	Teacher Learning Material		0.00	0.00	0	C	4487		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0.00	0.00	162	81	0	0	4497	2248.5	4497	2248.5	9156	4578
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1085.00	542.50	2054	1027	0	0	2064	1032	2064	1032	7267	3633.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0.00	0.00	1578	78.9	317557	15877.85	325496	16274.8	333633	16681.65	978264	48913.2
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	21930.00	3289.50	58791	8818.65	26116	3917.4	26769	4015.35	27438	4115.7	161044	24156.6
Q5.5	School Library	0.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	QUALITY Sub Total		0.00	**6011.90**	0	**14506.85**	0	**40702.86**	0	**42963.8**	0	**43876.3**		**148060.7**
C	CAPACITY BUILDING		0.00	0.00	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0.00	0.00	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0.00	0.00	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0.00	0.00	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0.00	0.00	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0.00	0.00	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0.00	0.00	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0.00	0.00	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0.00	0.00	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0.00	0.00	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0.00	0.00	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0.00	0.00	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0.00	0.00	0	0	1	48	1	48	1	48	3	144
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0.00	0.00	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0.00	0.00	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0.00	0.00	0	0	0		C		0			
C2.1	Civil Construction	800	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0.00	0.00	0	0	0	0	15	2160	15	2160	30	4320
C2.3	Ass t. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0.00	0.00	0	0	0	0	30	1980	30	1980	60	3960
C2.4	Chowkidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0.00	0.00	15	90	15	90	15	90	15	90	60	360
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0.00	0.00	0	0	15	30	15	30	15	30	45	90
C2.8	Maintenace of Building	10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.9	TLM(per center)	5	0.00	0.00	15	75	15	75	15	75	15	75	60	300
C2.10	Consumables	5.0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	0.00	0.00	15	187.5	15	187.5	15	187.5	15	187.5	60	750
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0.00	0.00	0	0	15	54	15	54	15	54	45	162
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0.00	0.00	0	0	15	75	15	75	15	75	45	225
	[illegible] (NPRC)		0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	[illegible]		0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	6.8	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0.00	0.00	0	0	1	2.5	1	2.5	1	2.5	3	7.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0.00	0.00	0	0	1	2	1	2	1	2	3	6
Q5	Teacher Learning Material		0.00	0.00	0	C	4487		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0.00	0.00	162	81	0	0	4497	2248 5	4497	2248.5	9156	4578
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1085.00	542.50	2054	1027	0	0	2064	1032	2064	1032	7267	3633.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0.00	0.00	1578	78.9	317557	15877.85	325496	16274.8	333633	16681.65	978264	48913.2
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	21930.00	3289.50	58791	8818.65	26116	3917 4	26769	4015.35	27438	4115.7	161044	24156.6
Q5.5	School Library	0.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	QUALITY Sub Total		0.00	**6011.90**	0	**14506.85**	0	**40702.86**	0	**42963.8**	0	**43876.3**		**148060.7**
C	**CAPACITY BUILDING**		0.00	0.00	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0.00	0.00	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0.00	0.00	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0.00	0.00	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0.00	0.00	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0.00	0.00	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0.00	0.00	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0.00	0.00	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0.00	0.00	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0.00	0.00	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0.00	0.00	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0.00	0.00	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0.00	0.00	0	0	1	48	1	48	1	48	3	144
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0.00	0.00	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0.00	0.00	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0.00	0.00	0	0	0		C		0			
C2.1	Civil Construction	800	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0.00	0.00	0	0	0	0	15	2160	15	2160	30	4320
C2.3	Ass t. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0.00	0.00	0	0	0	0	30	1980	30	1980	60	3960
C2.4	Chowkidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0.00	0.00	15	90	15	90	15	90	15	90	60	360
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0.00	0.00	0	0	15	30	15	30	15	30	45	90
C2.8	Maintenace of Building	10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.9	TLM(per center)	5	0.00	0.00	15	75	15	75	15	75	15	75	60	300
C2.10	Consumables	5.0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	0.00	0.00	15	187.5	15	187.5	15	187.5	15	187.5	60	750
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0.00	0.00	0	0	15	54	15	54	15	54	45	162
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0.00	0.00	0	0	15	75	15	75	15	75	45	225
[illegible]	[illegible] (NPRC)		0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0.00	0.00	0	0	0	0	149	[illegible]	149	21456	298	42912
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	[illegible]	0	0	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0.00	0.00	149	149	0	0	149	149	149	149	447	447
C3.4	Contingency	2.5	0.00	0.00	149	372.5	0	0	149	372.5	149	372.5	447	1117.5
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0.00	0.00	149	357.6	149	357.6	149	357.6	149	357.6	596	1430.4
C4	District Project Office/Management		29.00	1014.00	0	2500	0	0	0	0	0	0	29	3514
C4.1	Staffing		0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0.00	0.00	0	0	0	0	7	1260	7	1260	14	2520
C4.3	Salary of AE	15	0.00	0.00	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0.00	0.00	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0.00	0.00	0	0	0	0	1	10	1	10	2	20
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0.00	0.00	0	0	15	270	15	270	15	270	45	810
C4.8	Travelling Allowances	10	0.00	0.00	0	0	15	150	15	150	15	150	45	450
C4.9	Consumaables	40	0.00	0.00	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0.00	0.00	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0.00	0.00	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0.00	0.00	0	0	15	1800	15	1800	15	1800	45	5400
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0.00	0.00	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0.00	0.00	0	0	0	0	1822	2550.8	1822	2550.8	3644	5101.6
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	421.00	589.40	415	581	0	0	415	581	415	581	1666	2332.4
C4.16	Contingency	100	0.00	0.00	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0.00	0.00	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0.00	**1603.40**	0	**4312.6**	0	**4482.1**	0	**35031.4**	0	**35031.4**		**80460.9**
			0.00	0.00	0		0		0		0			
C5	MIS	200	0.00	0.00	1	244	0	0	0	0	0	0	1	244
C5.1	MIS Cell Furnishing	12	0.00	0.00	0	0	0	0	1	144	1	144	2	288
C5.2	Salary of Computer Programmer	7.5	0.00	0.00	0	0	0	0	1	90	1	90	2	180
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	100	0.00	0.00	0	0	0	0	1	100	1	100	2	200
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	20	0.00	0.00	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0.00	0.00	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.6	Computer Software	30	0.00	0.00	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60
C5.7	Upgradation and Networking	40	0.00	0.00	0	0	0	0	1	40	1	40	2	80
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	20	0.00	0.00	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	25	0.00	0.00	0	0	0	0	1	25	1	25	2	50
C5.10	Computer Consumable	10	0.00	0.00	0	0	0	0	1	10	1	10	2	20
C5.11	Training Of Computor Staff	25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats		0.00	**1603.40**	0	**4556.6**	0	**4482.1**	0	**35530.4**	0	**35530.4**	0	**81702.9**
	CAPACITY Sub Total		0.00	**34651.30**	0	**107786.65**	0	**240299.65**	0	**308504.40**	0	**301245.45**	0	**992487.45**
	GRAND TOTAL													

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention													**Etah**
			2002-03		**2003-04**		**20004-05**		**2005-06**		**2006-07**		**Total**
Civil			11673.0		25524.0		47050.0		48840.0		31590.0		164677.0
Management			589.4		581.0		2690.0		7620.8		7620.8		19346.0
Programme			22388.9		81681.7		190559.7		252043.6		262034.7		808464.5
Total			**34651.3**		**107786.7**		**240299.7**		**308504.4**		**301245.5**		**992487.5**
Percentage - Civil			**33.7**		**23.7**		**19.6**		**15.8**		**10.5**		**16.6**
Percentage - Management			**1.7**		**0.5**		**1.1**		**2.5**		**2.5**		**1.9**
Percentage - Programme			**64.6**		**75.8**		**79.3**		**81.7**		**87.0**		**81.5**
Percentage - Total			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**